'प्राथमिक शिक्षक' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षकों और संबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारियाँ पहुँचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सार्थक और संबद्ध सामग्री प्रदान करना और देशभर के विभिन्न केंद्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। शिक्षा जगत् में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने होते हैं। अत: यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चिंतन में परिषद् की नीतियों को ही प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए परिषद् का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

अकादमिक संपादक
लता पाण्डे
अकादमिक संपादकीय मंडल
इंदु कुमार
रमेश कुमार

श्वेता उप्पल — *मुख्य संपादक*
रेखा अग्रवाल — *संपादक*
अब्दुल नईम — *सहायक उत्पादन अधिकारी*

आवरण
अमित श्रीवास्तव

मूल्य एक प्रति – ₹ 65.00 वार्षिक – ₹ 260.00

प्राथमिक शिक्षक

वर्ष 34 अंक 3-4 जुलाई-अक्तूबर 2010

इस अंक में

संवाद 3

लेख

1. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 5
2. शिक्षा के अधिकार 2009 के शैक्षिक आयामों की व्यावहारिक प्रांसगिकता — शाइनी दुग्गल 10
3. पहली कक्षा का शिक्षक — लता पाण्डे 16
4. राह बनाते शिक्षक — रश्मि पालीवाल 21
5. मैं भी शिक्षक, तुम भी शिक्षक — भारती 26
6. कहानी सुनाने के तरीके — अक्षय कुमार दीक्षित 30
7. दृश्य एवं प्रदर्शन कला द्वारा शिक्षण — शर्बरी बैनर्जी 36
8. पृथ्वी ग्रह का शिक्षण-जानकारी और अनुभव की लड़ाई — मुकेश मालवीय 41
9. भाषा और गणित — लता अग्रवाल 45
10. प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव की गतिविधियाँ– प्रस्तावित या निर्धारित — शारदा कुमारी 52
11. ग्राम शिक्षा समिति में ई-प्रबंधन का प्रसार — दिनेश कुमार 60
12. संस्कृति की धरोहर हैं - बालगीत और लोरियाँ — दीक्षा जोशी 65
13. कविता से पढ़ाई — स्नेहलता 70

14. आकलन की नई पद्धति– ग्रेडिंग सिस्टम — सूरजमल गर्ग — 72

15. दिवास्वप्न — गिजुभाई बधेका — 76

कहानी

16. तो मैं भी पढ़ूँगा — मतीश झा — 78

अनुभव

17. मूल्यांकन से जुड़े चिरस्मरणीय अनुभव — किरन देवेंद्र — 82

शोध

18. प्राथमिक विद्यालयों के सरकारी तथा गैर–सरकारी शिक्षकों की कार्य संतुष्टि का अध्ययन — आफ़ताब जाकरा सिद्दीकी — 87

पठनीय

19. *बिगड़े बच्चे सबसे अच्छे* — पुनीता गुप्ता — 90

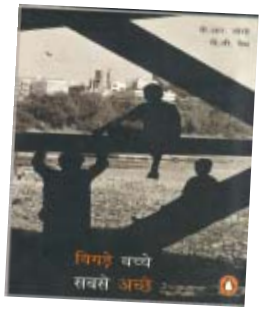

बालमन कुछ कहता है

20. गर्मियों की छुट्टी — 95

21. मेरे मित्र की बहादुरी — 96

22. मैंने बनाई कागज़ की नाव — 97

23. मुझे खेलना अच्छा लगता है। — 98

प्राथमिक शिक्षक पत्रिका के बारे में — 99

कविता

साहब कारबोरेटर में कचरा है..... — जितेंद्र लोढ़ा

संवाद

पहली अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून देशभर में लागू हुआ। सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से देश में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयासों से शिक्षा से वंचित अनेक बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया, बच्चों के शाला त्याग की संख्या में भी कमी आई। लेकिन आज़ादी के छ: दशक बीतने के बाद आज भी हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर हैं। ऐसे में बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के संघर्ष की राह में यह कानून मील का पत्थर है। शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा का अधिकार देता है। इस कानून में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात भी की गई है। यह कानून बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा की माँग करता है जो भय और तनाव से मुक्त हो। इस कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनके संदर्भ में हमें अनुशासन की पारंपरिक अवधारणाओं पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है।

यह कानून बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाएगा। लेकिन सीखना तभी संभव होगा जब बच्चे को आत्मीयतापूर्ण व्यवहार मिले, शिक्षण प्रक्रिया रोचक हो, बच्चे की कमियों को शारीरिक या मानसिक दंड देकर नहीं बल्कि स्नेह से सुधारा जाए।

शिक्षा संबंधी किसी भी कानून की सफ़लता – स्कूली व्यवस्था, पाठ्यसामग्री की गुणवत्ता और उपलब्धि, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षकों की प्रतिबद्धता जैसे अनेक मुद्दों से जुड़ी है। बच्चा सफ़ल है, तो सफ़ल हैं उसके शिक्षक और सफ़ल है उसका स्कूल। स्कूल में प्रवेश करते ही बच्चे को स्नेहपूर्ण व्यवहार मिले तो सीखना उसके लिए आनंदमय बन जाता है। पहली कक्षा बुनियादी कक्षा है। इसलिए बच्चों को स्कूल से जोड़ने में पहली कक्षा के शिक्षक की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। कैसा हो पहली कक्षा का शिक्षक? क्या हैं उसके दायित्व? कैसा हो शिक्षक का बच्चों के प्रति व्यवहार? विभिन्न विषयों के शिक्षण को कैसे रोचक बनाया जाए? प्रस्तुत अंक में इन सब सवालों का जवाब देने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत अंक की शुरुआत शिक्षा का अधिकार कानून 2010 से संबंधित लेख से की गई है ताकि हमारे सभी शिक्षक साथी इस कानून से भली-भाँति अवगत हो सकें। इस कानून

से सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है। अब समय आ गया है कि हमारे शिक्षक साथी भी बच्चों को शिक्षा देने के अपने कर्त्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध हों। शिक्षकों की प्रतिबद्धता ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति की ओर ले जाएगी।

अकादमिक संपादक

लेख

1

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009

शिक्षा का अधिकार कानून पहली अप्रैल, 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है। सभी शिक्षकों को इस कानून से संबंधित जानकारी होनी ज़रूरी है ताकि वे तदनुरूप कार्य कर सकें। इसी आशय से इस कानून से संबंधित जानकारी यहाँ दी जा रही है।

पृष्ठ भूमि

- संविधान के छियासीवें संशोधन से अनुच्छेद 21 ए के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्ज़ा दिया गया है।
- उस संशोधन के क्रियांवयन के लिए **शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009** में पास हुआ, राष्ट्रपतिजी द्वारा इसे अगस्त में स्वीकार किया गया।
- 1 अप्रैल, 2010 से इस कानून को देश में लागू किया गया।

बालक/बालिकाओं के अधिकार

- निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है ऐसी कोई वित्तीय अड़चन न हो जिसके कारण कोई भी बालक/बालिका आठ साल तक की स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाए।
- अनिवार्यता का अर्थ है सरकार पर यह बाध्यता कि वह ऐसे स्कूली तंत्र की व्यवस्था करे जिसमें पढ़ाई करने के लिए बालक/बालिकाएं उत्साहित हों।
- विकलांग बालक/बालिकाओं के लिए विकलांगता (बराबरी के अवसर, संरक्षण तथा पूरी सहभागिता) अधिनियम 1996 के तहत निर्देशित व्यवस्थाओं को लागू किया जाना है।
- कक्षा आठ तक किसी भी बालक/बालिका को फ़ेल नहीं किया जा सकता।
- किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, न उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा सकता है।

लड़कियों और वंचित वर्ग के लिए विशेष व्यवस्थाएँ

- इन श्रेणियों को प्राथमिकता
- आवश्यकतानुसार छात्रावास तथा घर से स्कूल के बीच यात्रा व्यवस्था।
- कार्यनीति का निर्धारण 1986 की शिक्षा नीति के अनुरूप।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय,एनपीईजीईएल तथा महिला सामाख्या में आवश्यक संशोधन।

* प्रस्तुत आलेख राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा समिति, जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका *अनौपचारिका* से साभार

• वंचित वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के लिए वजीफ़े तथा अन्य प्रोत्साहन व्यवस्थाएँ।

आयु के अनुसार भरती व विशेष प्रशिक्षण

• जो बालक/बालिकाएँ स्कूल में भरती नहीं हुए या जिन्होंने आठवीं पास करने से पहले स्कूल छोड़ दिया हो, उन्हें उनकी आयु के अनुसार कक्षा में भरती किया जाना है।

• भरती के बाद उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपनी कक्षा के अन्य बालक/बालिकाओं के साथ पढ़ाई ज़ारी रख सकें।

• नियमों और रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन माह से दो वर्ष तक के विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जाएँगे, जिनमें स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी को महत्त्व दिया गया है। रिपोर्ट में सिफ़ारिश है कि तीन माह से कम के प्रशिक्षण भी हो सकेंगे।

• विशेष प्रशिक्षण के शिक्षाक्रम में जीवन कौशल शामिल होगा –

–यह कार्य खासतौर से गठित समूहों द्वारा संपन्न किया जाएगा।

स्कूलों के बारे में प्रावधान

• सभी बालक/बालिकाओं की शिक्षा स्कूल में ही अपेक्षित है।

• प्रत्येक बालक/बालिका का अधिकार है कि उसे पैदल चल सकने के एक किलोमीटर के भीतर-भीतर प्राथमिक विद्यालय और तीन किलोमीटर के भीतर-भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हो।

• स्कूलों के लिए मानदंड अधिनियम के शड्यूल में दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं-

– कक्षा कक्षों की संख्या तथा अन्य सुविधाएँ।
– शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात जो प्रति कक्षा निर्धारित किया गया है, (30:1)।
– उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक क्लास के लिए एक शिक्षक।
– स्कूलों के लिए कार्य के घंटों का निर्धारिण।
– स्कूलों के लिए कार्य दिवसों का निर्धारण।
– पुस्तकालय
– खेल का मैदान और खेलकूद सामग्री।

स्कूल

• केपीटेशन फ़ी पूरी तरह प्रतिबंधित।

• विद्यार्थियों की भर्ती के लिए किसी प्रकार का परीक्षण प्रतिबंधित।

• प्रत्येक प्राईवेट स्कूल को मान्यता प्राप्त करनी होगी।

• सभी प्राइवेट स्कूलों को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी प्रारंभिक क्लास (जैसे के.जी. या नर्सरी या कक्षा-1) में 25 प्रतिशत भर्ती उस क्षेत्र के वंचित और पिछड़े वर्ग के बालक/बालिकाओं की हो। इन बालक/बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा देय होगी।

स्कूल तथा स्कूल प्रबंधन समिति

• स्कूलों को लोक सहभागिता से चलाना है, जो स्कूल प्रबंधन समिति (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी) के मार्फ़त होगा।

– इस समिति में तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या अभिभावकों के होंगे।
– 50 प्रतिशत महिलाएँ होंगी।
– कमज़ोर तथा वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व गाँवों में उनकी आबादी के अनुसार होगा, समिति स्कूल के विकास का नियोजन करे, उसका प्रबंधन देखे और समय-समय पर उसकी प्रगति का जायज़ा ले।

• स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों का सघन प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

शिक्षक

• उनकी अकादमिक तथा प्रशिक्षण की योग्यताएँ वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा तय की गई संस्था निर्धारित करे, जैसे एनसीटीई।
• शिक्षकों की अकादमिक ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं।
• वे प्राईवेट ट्यूशन नहीं कर सकेंगे।
• शिक्षकों को जनगणना, प्राकृतिक विपदाओं तथा आम चुनावों के अलावा किसी प्रकार का गैर-शैक्षिक कार्य नहीं दिया जा सकेगा।
• इस समय देश में शिक्षकों के साढ़े पाँच लाख पद रिक्त हैं और इस अधिनियम के कारण छह लाख अतिरिक्त पद सृजित होंगे। इन सभी पदों को भरने का कार्य आगामी छह माह में किया जाना है।

शिक्षकों से अपेक्षाएँ

• उनसे महत्वाकांक्षी अपेक्षाएँ हैं-
  - वे एसएमसी के कार्य में पूरा सहयोग करें।
  - स्थानीय समाज तथा माता-पिता के प्रति जवाबदेह होंगे।
  - शारीरिक/मानसिक दंड नहीं देंगे और न ही विद्यार्थी-विद्यार्थी में किसी प्रकार का भेदभाव करेंगे।
  - नियमित रूप से समय पर स्कूल आएँगे और स्कूल में शैक्षिक कार्य ही करेंगे।
• यह विधेयक अपेक्षा करता है कि शिक्षक नैतिकता के आधार पर कार्य करेंगे।
• ऐसा न करने पर उन्हें नियमानुसार दंडित किया जाएगा।

शिक्षाक्रम

• **समग्र दृष्टि** - शिक्षाक्रम, पठन/पाठन सामग्री, शिक्षार्थी मूल्यांकन तथा शिक्षक प्रशिक्षण, ये सभी एक दूसरे को सुदृढ़ करें।
• शिक्षाक्रम निर्धारित करने के लिए केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें उपयुक्त अकादमिक संस्थाएँ निर्धारित करेंगी।
• शिक्षाक्रम के लिए आवश्यक होगा कि-
  - वह संविधान में लिखित मूल्यों के अनुरूप हो।
  - बालक/बालिकाओं में किसी प्रकार का डर या घबराहट पैदा न करे।
  - वह बाल केंद्रित तथा गतिविधि आधारित हो।
• शिक्षण का माध्यम यथासंभव बालक/बालिकाओं की मातृभाषा हो।
• हर स्कूल में शिक्षकों के द्वारा व्यापक तथा अनवरत मूल्यांक की व्यवस्था हो।
• आठवीं कक्षा तक किसी प्रकार की बाह्य परीक्षा या पास/फ़ेल वाली परीक्षा लागू नहीं की जा सकती।

स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी

• स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ प्रोजेक्ट आधारित सहयोग न होकर व्यवस्थाजनक सहयोग अपेक्षित है।
• सर्व शिक्षा अभियान में इस समय जो सहयोग हो रहा है उसके अलावा-
  - वातावरण निर्माण में इस अधिकार को आंदोलन का स्वरूप देना।
  - स्कूल प्रबंध समिति तथा पंचायती राज के लोगों के प्रशिक्षण।

- शिक्षाक्रम के निर्माण में यह देखना कि लड़कियों और पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ बराबरी का रिश्ता रखा जाता है।
- विकलांगों का शिक्षण।
- आयु अनुसार भरती के बाद स्पेशल प्रशिक्षण मुहय्या करवाने में।

• क्षेत्र आधारित ज़िम्मेदारी।
• यह देखना कि अधिकार दरअसल बालक/बालिकाओं तक पहुँचे।

केंद्र सरकार के कर्त्तव्य

• राष्ट्रीय शिक्षाक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करना।
• प्रशिक्षण के मानदंड तथा व्यवस्थाएँ निर्धारित करना।
• राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता तथा वित्त उपलब्ध करवाना तथा उन्हें नवाचार और अनुसंधान करने के लिए मदद की ज़रूरत का अनुमान लगाना।
• जैसा भी राज्य सरकारों के साथ मंत्रणा के बाद तय हो तदनुसार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना।
• राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति का गठन करना और उसके माध्यम से इस विधेयक के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना।

राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के कर्त्तव्य

• यह सुनिश्चित करना कि सभी बालक/बालिकाओं को अच्छे स्तर की नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध हो।
• निर्धारित मानदंड के अनुसार आगामी तीन वर्ष में सभी बालक/बालिकाओं के लिए स्कूल उपलब्ध करवाना। इसके लिए सामाजिक मानचित्रण किया जाना है।
• यह सुनिश्चित करना कि कमज़ोर और वंचित वर्ग के बालक/बालिकाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
• सभी स्कूल के लिए शेड्यूल में निर्धारित सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
• बालक/बालिकाओं को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में भर्ती करवाना और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
• यह देखना कि बालक/बालिकाओं की भर्ती में विधेयक के अनुसार सहजता रहे और प्रत्येक विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल में आए तथा आठवीं तक की पढ़ाई पूरी करे।
• शिक्षाक्रम निर्धारित करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना तथा उनके प्रशिक्षण को देखना।

दण्ड विधान

• ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने में आनाकानी करने या विलंब करने पर संस्था प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।
• माता-पिता/अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में भरती करें और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें।
• यदि कोई स्कूल केपीटेशन फी लेता है तो उस पर ली गई केपीटेशन फ़ी का दस गुना जुर्माना।
• यदि कोई स्कूल भरती के लिए किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग करता है तो उस पर पहले केस में 25,000 तक और उसके बाद हर केस में 50,000 तक का जुर्माना।
• किसी विद्यार्थी को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न देने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति

के खिलाफ़ नियमानुसार कार्रवाई होगी। बिना मान्यता के स्कूल चलाने या संबंधित अधिकारी द्वारा मान्यता रद्द कर देने और उसके बाद भी स्कूल चलाते रहने की स्थिति में 10,000 का जुर्माना और स्कूल के चलते रहने पर प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना।

- वे शिक्षक जो विधेयक में लिखित कर्तव्य पूरे नहीं करते उनके खिलाफ़ नियमानुसार कार्रवाई।

शिक्षा के अधिकार का उपयोग

- अधिकार से वंचित होने पर सबसे पहले स्थानीय निकाय स्तर पर शिकायत।
- उसके ऊपर राज्य स्तरीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास शिकायत।
- एनसीपीसीआर सारे तंत्र का निरीक्षण करेगा, वह–

  –देखेगा कि स्थानीय निकाय और राज्य आयोग स्तर पर ठीक से कार्रवाई हो।

  –जहाँ बाल अधिकारों का हनन बड़े पैमाने पर हो रहा है वहाँ प्रभावी हस्तक्षेप करेगा।

  –वह हर राज्य के लिए विशेष आयुक्त नियुक्त करेगा।
- यह विधेयक हर पीड़ित व्यक्ति तथा हर नागरिक को अधिकार देता है कि ज़रूरत पड़ने पर वे अदालत का सहारा लें।

❑❑❑

2

शिक्षा के अधिकार 2009 के शैक्षिक आयामों की व्यावहारिक प्रासंगिकता

शाइनी ढुग्गल*

भारत सरकार ने पहली अप्रैल 2010 से शिक्षा के अधिकार को देश भर में लागू कर दिया। इस अधिकार में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न पहलुओं – विद्यालयों की उपलब्धता, शिक्षकों की योग्यताएँ, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धति, शिक्षक–छात्र अनुपात इत्यादि के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अधिकार का लागू होना नि:संदेह एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत देश इस मौलिक अधिकार के लिए तैयार है? इस लेख द्वारा शिक्षा के अधिकार के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करते हुए, इस प्रश्न के उत्तर को तलाशने का प्रयास किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा की संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक विकास के उद्देश्यों की चरमसीमा के रूप में बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 को पहली अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। यह अधिकार नि:संदेह, आवश्यक और सामयिक है परंतु फिर भी इसके आकस्मिक रूप से लागू होने में जल्दबाज़ी का अभास होता है। यद्यपि इस अधिकार के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी परंतु इस अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित कर इसे लागू करने का, संभवत: यह उपयुक्त समय नहीं था। आंकड़ों की विषमता इस अधिकार को अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रमाणित करती है। यह अधिकार अत्यंत सदाशय होने कारण एक स्वागत योग्य कदम है फिर व्यावहारिकता के धरातल पर यह एक फ़ीकी रेखा मात्र है। इस लेख में शिक्षा के अधिकार के मुख्य पहलुओं की समालोचना करते हुए इसकी प्रासंगिकता के मूल्यांकन का प्रयास किया गया है।

देश में 6–14 आयु वर्ग में लगभग 45 करोड़ बच्चे हैं। इन सभी बच्चों को गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक संसाधनों का सटीक अनुमान लगाना आवश्यक है। इन बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं से युक्त विद्यालयों तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता इस अधिकार को लागू करने में एक बड़ी बाधा है। वैसे तो, सरकारी आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की पहुँच 98 प्रतिशत है परंतु फिर भी बच्चों की संख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा विद्यालयों की पहुँच से दूर हैं। एक विश्लेषण के अनुसार देश में लगभग 52 प्रतिशत बच्चे शिक्षा/विद्यालयों की पहुँच से बाहर हैं तथा 53

* *परामर्शदाता,* प्रांरभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली–110016

प्रतिशत बच्चे आठवीं तक की (प्रारंभिक) शिक्षापूर्ण किए बिना पढ़ाई छोड़ देते हैं जिनमें 66 प्रतिशत लड़कियाँ, 46 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्र तथा 38 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र हैं। इसके अतिरिक्त, 5–10 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अतः इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा देना एक अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण कार्य प्रतीत होता है।

गुणतात्मक शिक्षा के विस्तार के संबंध में विद्यालयों में सभी बच्चों की आसान पहुँच

शिक्षा के अधिकार के विभिन्न शैक्षिक आयाम

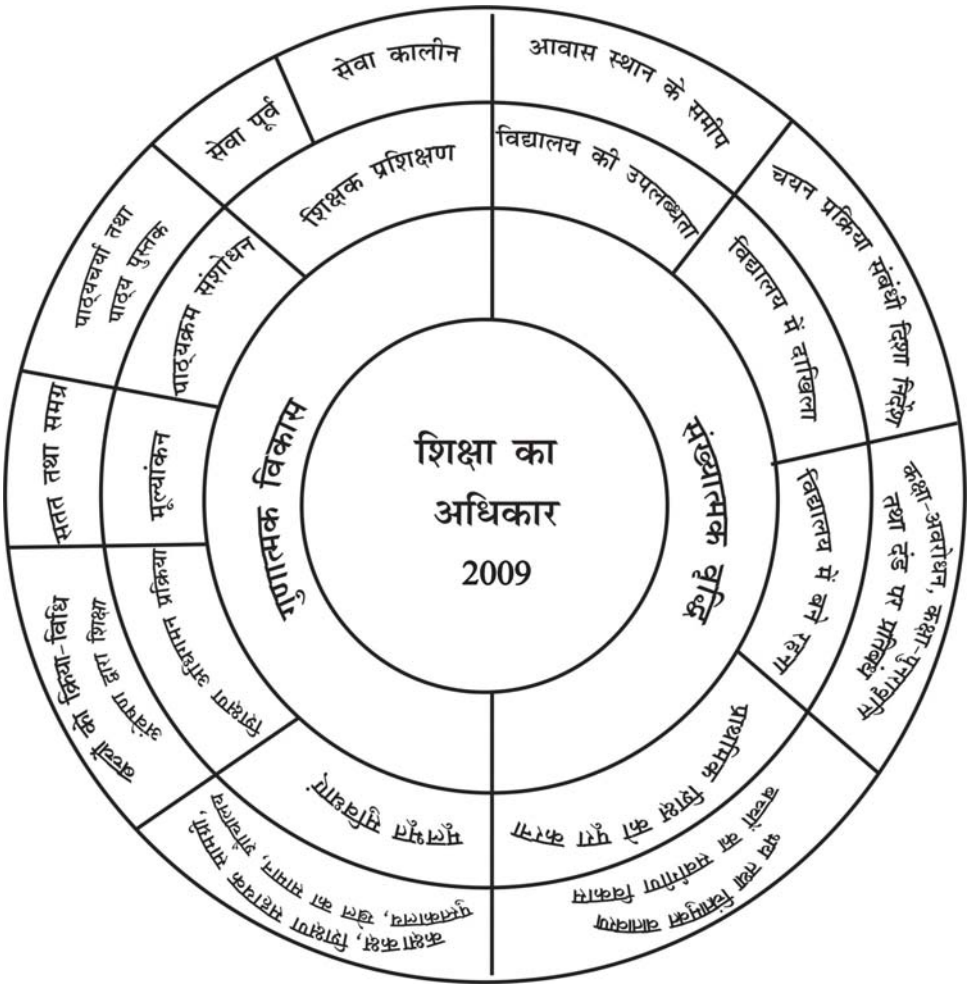

का प्रश्न सर्वप्रथम सामने आता है। शिक्षा के अधिकार में आवास-स्थान के समीपवर्ती (Neighbourhood) विद्यालय का प्रावधान है। परंतु **इस अधिकार में आवास स्थान के समीपवर्ती विद्यालय में दाखिले में गैर-सरकारी विद्यालयों (अनुदान प्राप्त करने तथा अनुदान न प्राप्त करने वाले विद्यालयों) के विषय में कोई साफ़ दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं।** हालाँकि, इस अधिकार में, अन्य स्थान पर, इन विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमज़ोर तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों के दाखिले की बात की गई है परंतु इसमें व्यय की गई धनराशि की सरकार द्वारा अदायगी के विषय में फिलहाल कोई नीति तय नहीं की गई है।

आवास स्थान के समीपवर्ती विद्यालयों में बच्चों के चयन की प्रक्रिया के विषय में भी यह अधिकार लगभग मूक है। यह परिस्थिति भविष्य में और भी समस्या खड़ी कर सकती है क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत दाखिले के लिए विद्यालयों द्वारा केपिटेशन फ़ीस लेने की बिल्कुल मनाही है।

आयु-उपयुक्त दाखिले के संबंध में भी इस अधिकार में काफ़ी अस्पष्टता है। आयु-उपयुक्त कक्षा में दाखिले के अंतर्गत, शिक्षा-व्यवस्था से बाहर बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला न देकर, उनकी आयु के उपयुक्त कक्षा में दाखिले का प्रावधान है। इस नियम के अनुसार दूसरी से पाँचवीं कक्षा तक भर्ती किए गए बच्चों को फिर से (दुबारा) प्रशिक्षण द्वारा अन्य बच्चों के समकक्ष लाया जा सकता है परंतु छठी, सातवीं तथा आठवीं कक्षाओं में सीधे दाखिला मनोवैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। उदाहरण के लिए 12 साल के बच्चे को सातवीं कक्षा में सीधे प्रवेश देकर विशेष प्रशिक्षण के नाम पर, उसमें पहली से छठी कक्षा का सारा ज्ञान उड़ेलना त्रुटिपूर्ण ही नहीं अप्राकृतिक है। इसके अतिरिक्त, दाखिले के लिए जन्म प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त करना इस विषय को और उलझा सकता है। पूरे वर्ष दाखिला प्रक्रिया को चलाना भी शिक्षण की दृष्टि के साथ-साथ बच्चों के अधिगमन के लिए भी कठिन होगा क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत किसी बच्चे को कक्षा-पुनरावृति भी नहीं करवाई जा सकती।

इस अधिकार के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति तय की गई योग्यताओं के आधार पर ही होगी अन्यथा नहीं अर्थात् केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही शिक्षकों के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अगर अप्रशिक्षित शिक्षक किसी विद्यालय में स्थायी या अस्थायी रूप से पढ़ा रहें हैं तो उन्हें पाँच वर्षों के भीतर आवश्यक शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जिसके अभाव में उन्हें सेवानिवृत कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिकार के अनुसार पहली से पाँचवीं कक्षा तक शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 तथा छठी से आठवीं कक्षा तक 1:35 होना चाहिए। एक विश्लेषण के अनुसार देश भर में 44 प्रतिशत पैरा शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जो कि कुल शिक्षकों का 10 प्रतिशत हैं। साथ ही, वर्तमान में शिक्षक-छात्र अनुपात

1: 50 है। इस स्थिति में अगर देश में प्रशिक्षित शिक्षकों संबंधी नियम तथा नए शिक्षक-छात्र अनुपात को अपनाया गया तो इससे शिक्षकों की भारी कमी हो सकती है। एक अनुमान के आधार पर आगामी कुछ वर्षों में लगभग 12 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता होगी जिसके लिए फिलहाल सरकार के पास पर्याप्त मानव तथा अन्य संसाधनों का अभाव है।

शिक्षा के अधिकार में पाठ्यक्रम, शिक्षण तथा मूल्यांकन के विषय में भी चर्चा की गई है। यह मुख्यत: एन.सी.ई.आर.टी. के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (NCF)-2005 पर आधारित है जिसके अनुसार शिक्षण में कन्स्ट्रक्टिव विधि (Constructive approach) अपनाते हुए क्रिया-केंद्रित, खोज तथा अन्वेषण पर आधारित शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। इन विधियों से मूल्यांकन प्रक्रिया को भी अंतर्निहित करते हुए इसे चिंता तथा भय मुक्त बनाने पर ज़ोर दिया गया है।

वस्तुत: वैसे ही देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है और जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उन्हें भी इन आयामों में सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना आवश्यक हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा - 2005 के लागू होने के पाँच वर्ष पश्चात् भी अधिकतर शिक्षक इसमें वर्णित मूल्यों के वास्तविक आशय को आत्मसात नहीं कर सके हैं। आज भी बहुत से राज्यों में पाठ्यक्रम संशोधन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई और जिन राज्यों ने पाठ्यक्रम का नवीनीकरण किया या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा - 2005 को अपनाया है उन्हें भी इसके प्रमुख बिंदुओं का ज्ञान नहीं है। वे आज भी परंपरागत शिक्षण-मूल्यांकन पद्धति को अपनाते हैं और बच्चों के मनोवैज्ञानिक बोझ को कम करने में लगभग असफ़ल हैं। अन्य शब्दों में, एक ओर प्रशिक्षित-शिक्षकों का अभाव है, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षित-शिक्षकों के ज्ञान का अद्यतनीकरण (Update) करना अत्यंत अनिवार्य है। प्रशिक्षित शिक्षकों में आवश्यक योग्यता की अपर्याप्ता प्रशिक्षण के दोनों चरणों में सेवापूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अति अनिवार्यता की स्थिति उत्पन्न करती है।

वर्तमान में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक तैयार करने के समुचित साधन नहीं हैं। अर्थात् हमारी शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली भी तत्कालीन सरोकारों के कार्यांवयन के लिए अपर्याप्त है। इस विषय में दो प्रमुख तर्कों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। प्रथम, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का सांख्यिक रूप से अपर्याप्त होना। द्वितीय, इन संस्थानों में गुणात्मक प्रशिक्षण का अभाव।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE), नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रूपरेखा (NCTEF)-2009 के अनुसार देशभर के 599 ज़िलों में से फिलहाल 571 ज़िलों में मंडलीय शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की स्थापना की गई जिसमें से 529 मंडलीय शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थान कार्यशील हैं और अन्य 42 को कार्यशील बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु इन मंडलीय शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थानों में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित शिक्षक-प्रशिक्षकों की निरंतर

अनुपलब्धि एक मुख्य समस्या के रूप में सामने आती है।

यद्यपि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने शिक्षक प्रशिक्षण के दोनों चरणों में सुधार के मद्देनज़र राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रूपरेखा 2009 को लागू किया है परंतु फिर भी इसके आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार एक लंबी तथा समयावलंबी प्रक्रिया है और उसे सही रूप से अपनाने के लिए अन्य संसाधनों के साथ मानवीय संसाधनों, अर्थात् शिक्षक- प्रशिक्षक को सुधारात्मक प्रक्रिया से गुज़रना आवश्यक है। अत: शिक्षक-प्रशिक्षक को भी शिक्षण के क्षेत्र में अपनाए जा रहे नवाचारों से अवगत कराना भी महत्वपूर्ण है। आज भी शिक्षक-प्रशिक्षक, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में परंपरागत विषयवस्तु, परंपरागत विधि से पढ़ा रहे हैं। फलत: शिक्षक प्रशिक्षण के दोनों चरणों के पाठ्यक्रम में अभूतपूर्व सुधार की आवश्यकता है। अगर हमें बच्चों को कन्स्ट्रक्टिव विधि से पढ़ाना है तो हमें प्रशिक्षण के दोनों चरणों में इस विधि के प्रयोग को सहजता से अपनाना होगा ताकि भावी तथा कार्यरत शिक्षकों को इसके प्रयोग की व्यावहारिकता के विषय में कोई संशय न रहे। इस दिशा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने प्रयासरत रहते हुए शिक्षक प्रशिक्षण को व्यावसायिक करने की दृष्टि से कई सुधार लागू किए हैं। आशा है कि इन सुधारों के परिणाम भविष्य में पूरी शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे।

इसके अतिरिक्त, सतत तथा समग्र मूल्यांकन प्रणाली के विषय में भी शिक्षकों की समझ को विस्तृत करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को इस बात का अहसास करवाने की आवश्यकता है कि इस प्रकार मूल्यांकन द्वारा न केवल उनके कार्यभार में कमी आएगी बल्कि यह प्रक्रिया उनके तथा उनके छात्रों के लिए आत्म-आकलन की एक निरंतर दिशा-निर्धारित करने वाली व्यवस्था होगी। इस प्रक्रिया में अधिगम के उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन प्रक्रिया का एक सम्मिश्रण होगा जिसमें गतिशीलता तथा सहजता दोनों का संश्लेषण होगा।

शिक्षा के अधिकार में बच्चों का सर्वांगीण विकास तथा उनके लिए आवश्यक परिस्थितियों की बात की गई जिसमें बच्चों को ऐसा वातावरण दिया जाए जहाँ उनकी दोनों शारीरिक और मानसिक क्षमताएँ पूर्णरूपेण विकसित हो सकें, अर्थात् बच्चों को ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे उनका ज्ञान, सामर्थ्य तथा प्रतिभाओं का अत्यधिक विकास हो सके। साथ ही बच्चों को संविधान में वर्णित मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाए।

इनके लिए आवश्यक परिस्थितियों का भी उल्लेख शिक्षा के अधिकार में किया गया है। जिसके अनुसार-

- शिक्षा मातृभाषा में दी जाए;
- बच्चों को भय तथा चिंतामुक्त बनाते हुए स्वतंत्रता के साथ अपने विचार रखने का अवसर दिया जाए;
- बच्चों को क्रिया-विधि, खोज तथा अन्वेषण द्वारा शिक्षा दी जाए;
- बोर्ड परीक्षा प्राथमिक स्तर पर नहीं ली जाए इत्यादि।

उपरोक्त इन सभी दिशा-निर्देशों का संबंध सीधे-सीधे शिक्षक के प्रशिक्षण तथा व्यवहार से है। अगर शिक्षक प्रशिक्षण में इन बातों का समावेश होगा तभी इन मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। वर्तमान में इसका अभाव है।

उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शैक्षिक विषयों के पालन की निगहबानी के संबंध में प्रदत्त अधिकार में काफ़ी अस्पष्टता अथवा अपूर्णता है।

- छः वर्ष की आयु से पहले तथा चौदह वर्ष की आयु के पश्चात् की शिक्षा,
- प्रतिबंधित कक्षा अवरोधन,
- प्रतिबंधित कक्षा-पुनरावृत्ति,
- दंड पर प्रतिबंध, आदि।

शिक्षा के अधिकार का लागू होना एक महत्वाकाँक्षी तथा चुनौतीपूर्ण कदम है क्योंकि एक ओर इसकी सामयिकता का प्रश्न है, तो दूसरी ओर इसकी अत्यंत आवश्यकता का सवाल है। **देश में अपर्याप्त संसाधनों की स्थिति तो निरंतर चली आ रही है।** परंतु इसमें उत्साह, परिश्रम तथा योजना के आयाम जोड़कर इस अधिकार के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना असंभव नहीं है। अतः सभी पणधारियों (Stakeholders), संबंद्ध व्यक्तियों, संस्थानों तथा सरकारी विभागों में तालमेल और साझेदारी से 'सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा' का चिरकालीन उद्देश्य अप्रार्याय नहीं है।

संदर्भ

- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा–2005, नयी दिल्ली– एन.सी.ई.आर.टी. (2005)
- नेशनल करिकूलम फ्रेमवर्क फार टीचर एजुकेशनः टोवर्डस् प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एण्ड ह्यूमन टीचर– 2009, न्यू दिल्ली– नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन (2009).
- नेशनल नॉलिज कमिशन रिपोर्ट, न्यू दिल्ली– गर्वमेंट ऑफ इंडिया (2007)
- राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कम्प्लसरी एजुकेशन एक्ट, 2009, न्यू दिल्ली– दा गॅज़ेट ऑफ इंडिया (2009)
- डब्लूडब्लूडब्लू.सीआरवाई.ओआरजी
- डब्लूडब्लूडब्लू.एजुकेशनऑनलाइन. ओआरजी

❑❑❑

3

पहली कक्षा का शिक्षक

लता पाण्डे*

माँ की गोदी से निकलकर बच्चा जब पहली बार स्कूली जीवन में कदम रखता है, तो उसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ आ खड़ी होती हैं। नए-नए लोगों से सामंजस्य स्थापित करना, नए परिवेश में स्वयं को ढालना आदि। वहीं पहली कक्षा के शिक्षक के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। स्कूली दुनिया में पहली बार कदम रखने वाले बच्चे को स्कूल में बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन शिक्षक कुछ बातों के प्रति सजग रहे तो इन सभी चुनौतियों का सामना कर सकता है। कैसा हो पहली कक्षा का शिक्षक? जानने के लिए पढ़िए यह लेख।

पहली कक्षा ही वह कक्षा है जिसमें अधिकतर बच्चे स्कूली दुनिया में पहला कदम रखते हैं। और पहली कक्षा ही वह कक्षा है जो अधिकतर बच्चों का किताबों की दुनिया से परिचय कराती है। यही वह कक्षा है जो बच्चों के मन में पढ़ाई-लिखाई, किताबों, स्कूल और शिक्षकों के प्रति एक नज़रिया विकसित करती है। यह नज़रिया अगर सकारात्मक होता है तो पढ़ने की दहलीज़ पर कदम रखने वाला बच्चा स्कूली दुनिया में प्रविष्ट होकर सफ़लता की सीढ़ियाँ लांघता चला जाता है। इसके विपरीत स्कूल के प्रति बच्चे का रवैया यदि पहली कक्षा में नकारात्मक बन जाता है तो बच्चे को शाला त्यागते देर नहीं लगती और कई बार तो पहली कक्षा ही आखिरी कक्षा बनकर रह जाती है।

घर की बोली को कक्षा में स्थान

बच्चे को स्कूल में बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। पहली कक्षा के शिक्षक की ज़िम्मेदारी अन्य कक्षाओं के शिक्षकों के मुकाबले काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। माँ की ममतामयी गोद से निकलकर विद्यालय में कदम रखने वाले इन नन्हे-मुन्नों को परिवार के सदस्यों का सा स्नेह देना, उसके साथ घुल-मिल जाना पहली चुनौती है। अकसर बच्चे जब अपने घर की बोली में कक्षा में कोई बात कहते हैं तो शिक्षक द्वारा उसे तुरंत टोक दिया जाता है। भाषा की कक्षा में तो शिक्षक इस बात पर विशेष रूप से ज़ोर देता है कि बच्चे मानक भाषा का व्यवहार करें। मानक भाषा तो बच्चे धीरे-धीरे सीख ही लेंगे पर पहली कक्षा में बच्चे पर मानक भाषा में ही बात करने के दवाब का दुष्परिणाम यह होता है कि बड़े ही उत्साह से अपनी बात कहने को तत्पर बच्चे चुप हो जाते हैं। मानक भाषा में बात करने में असमर्थ बच्चे का आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। लड़खड़ाते आत्मविश्वास वाले बच्चे फिर कभी मुखर होने का साहस नहीं जुटा पाते। हमारी

* *एसोसियेट प्रोफ़ेसर,* प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली-110016

बहुभाषिक संस्कृति हमारी पहचान है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी बहुभाषिकता का संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की सिफारिश करती है। बच्चे की घर की बोली को सम्मान देकर ही बच्चे के आत्मसम्मान को बनाए रखा जा सकता है। पहली कक्षा का शिक्षक बच्चे को अपने शब्दों, अपनी बोली में बोलने का अवसर देकर अत्यंत सहजता से उसके मन को भी स्पर्श कर सकता है।

पूर्वग्रहों से मुक्त शिक्षक

कई बार पूर्वग्रहों से युक्त होने के कारण शिक्षक अनजाने में बच्चे के साथ नांइसाफी कर जाते हैं। शिक्षक का पक्षपातपूर्ण रवैया बच्चे को स्कूल से विमुख कर देता है। इसलिए उसे जाति, धर्म, वर्ग आदि के किसी भी पूर्वग्रह से स्वयं को मुक्त रखते हुए कक्षा के प्रत्येक बच्चे के करीब पहुँचना है।

प्यार, भरोसा और आत्मीयता

शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की, चाहे वह किसी धर्म–जाति, वर्ग का हो, क्षमता पर भरोसा जताना है। हर बच्चे को विश्वास दिलाना है कि हाँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं पढ़–लिख सकती हूँ। बच्चे के सिर पर रखा शिक्षक का प्यार भरा हाथ उसे भरोसा दिलाएगा कि हाँ, मेरे शिक्षक मुझे प्यार करते हैं, मुझपर विश्वास करते है।

शारीरिक/मानसिक चुनौती वाले बच्चे यदि कक्षा में हैं तो उन्हें भी हर गतिविधि में अन्य बच्चों के साथ सम्मिलित कर ही समेकित शिक्षा को सही मायनों में अर्थ दिया जा सकता है। ऐसे बच्चों के लिए कक्षा में बाकी बच्चों का दोस्त बनने के मौके पैदा करें ना कि सहानुभूति का पात्र। ऐसे बच्चों की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने का हर संभव प्रयास करें।

कक्षा का वातावरण

कक्षा का वातावरण बच्चों के मनमुताबिक होगा तो बच्चों का मन लगेगा। शिक्षक के सामने एक बड़ी चुनौती है बच्चों के अनुकूल वातावरण निर्माण करने की। अकसर विद्यालय परिसर में तथा कक्षा के भीतर बड़े–बड़े सूक्ति वाक्य लिखे रहते हैं– विद्याा ददाति विनयम्, अहिंसा परमों धर्मः आदि। इन वाक्यों का बच्चों की वास्तविक ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। ऐसी लिखित सामग्री बच्चों को अपनी ओर नहीं खींचती। बच्चों की रुचि की मुद्रित सामग्री चारों ओर लगी रहेगी तो बच्चे उसे देखेंगे, अनुमान लगाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की दुनिया में कदम रखेंगे। सुंदर चित्र, कोई अच्छा–सा कार्टून, अच्छी–सी कविता, मज़ेदार–सा वाक्य कुछ भी हो सकता है। कोई भी चार्ट या मुद्रित सामग्री लगाते समय ध्यान रखें कि बच्चे उसे आसानी से देख और पढ़ सकें। वह बच्चों की पहुँच के भीतर हो। मुद्रित सामग्री ही नहीं कक्षा में रखी किताबें, ब्लैकबोर्ड, डस्टर, चॉक सब कुछ ऐसे स्थान में रखे हों जहाँ बच्चों का हाथ आसानी से पहुँच जाए।

कहानी का खज़ाना

बच्चों को कहानी सुनने, कविता गाने में बहुत आनंद आता है। पहली कक्षा के शिक्षक के पास बच्चों के मनपसंद विषयों की कहानियों, कविताओं का अच्छा–खासा ज़खीरा होना चाहिए। कितना अच्छा हो यदि प्रतिदिन कक्षा की शुरुआत रोचक किस्से–कहानी से हो। कहानी का आनंद

बच्चों को दिनभर के लिए उमंग तथा उत्साह से लबालब कर देगा। कहानी का विषय बच्चों की पसंद का और उनके परिवेश से जुड़ा हो। भाषा बच्चों की अपनी हो और कहानी सुनाने का तरीका रोचक हो। बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर कहानी सुनाएँ। प्रतिदिन एक कहानी न केवल बच्चे को विद्यालय की ओर आकर्षित करेगी बल्कि शिक्षक से उसका स्नेहिल नाता भी बड़ी सरलता से बन जाएगा। कहानी के बाद बच्चों से संवाद करें। विभिन्न भाषायी कौशल कहानी के माध्यम से बड़ी सहजता से बच्चों में विकसित किए जा सकते हैं। साथ ही बच्चों से भी कहानी सुनाने के लिए कहा जा सकता है।

कविता का आनंद

लय, गति, तुक के कारण कविता बच्चे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और गाते हैं। बच्चों की रुचि के विषयों पर आधरित कविता सुनाएँ और बच्चों को साथ में दोहराने के लिए कहें। कविता की दो-चार पंक्तियाँ सुनाने के बाद बच्चों से उसे आगे बढ़ाने की गतिविधि करवाई जा सकती है जैसे -

पैसा पास होता
तो चार चने लाते
चार चने में से एक
कौवे को खिलाते
तो बड़ा मज़ा आता
बड़ा मज़ा आता
जब काँव-काँव चिल्लाता
पैसा पास होता
तो चार चने लाते
चार चने में से एक
मुर्गे को खिलाते
मुर्गे को खिलाते
तो बड़ा मज़ा आता
बड़ा मज़ा आता
जब..

बच्चा अपने आप जोड़ देगा कुकड़ूँ कूँ चिल्लाता।

समय-सारिणी में लचीलापन

कविता-कहानी सुनाने के दौरान इनका भरपूर आनंद बच्चों को लेने दें। अगर बच्चे कहानी पर चर्चा जारी रखना चाहते हैं तो ऐसा करने दें। इसका मतलब है कि उन्हें कहानी में रस मिला। यह सोचकर तुरंत गणित पढ़ाना न शुरू कर दें कि भाषा की घंटी खत्म हुई, अब गणित की घंटी में गणित ही पढ़ाना है। समय सारिणी में लचीलापन बरतना ज़रूरी है।

ज़रूरी है धीरज

नन्हे-मुन्ने जब पहली बार स्कूल जाते हैं तो कभी-कभी उनका मन नहीं लगता, रोना शुरू कर देते हैं, कक्षा में पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता, अपनी बात कहने में कुछ बच्चे काफ़ी वक्त लगाते हैं, इन सबसे आसानी से वही शिक्षक पार पा सकता है जिसमें धीरज का गुण हो। बच्चों की बात को पूरी तन्मयता और धैर्य से सुनें। गतिविधि कराते समय आपने गोले में खड़े होने के लिए कहा और बच्चे आपके अनुसार बताए गोले में न खड़े होकर आड़े-तिरछे हों तो डाँटिए नहीं। नन्हे बच्चे धीरे-धीरे स्वत: सीख जाएँगे। बच्चे की बात सुनें, अपनी बात मनवाने का उतावलापन ठीक नहीं।

बच्चे की प्रतिभा की परख

हर बच्चे में कोई न कोई हुनर ज़रूर होता है। कई बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ कई बार माता-पिता के पास इतना समय नहीं होता है कि वे बच्चों की प्रतिभा को पहचानें, तो कई बार अभिभावक के पास पारखी नज़रिए का अभाव होता है। कक्षा में प्रत्येक बच्चे के हुनर की पहचान करने तथा विकसित करने की चुनौती का सामना भी शिक्षक को करना है।

जेंडर का मुद्दा

कक्षा में प्रत्येक बच्चे को चाहे वह लड़का हो या लड़की किसी-न-किसी गतिविधि में नेतृत्व का मौका ज़रूर दें। कार्य में अगुवाई करने से बच्चे में बचपन से ही निर्णय लेने तथा नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा।

कक्षा में प्रत्येक गतिविधि में लड़के-लड़की दोनों को समान अवसर दें। जेंडर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा की व्यवस्था, कक्षा में दीवारों पर लगी सामग्री तथा शिक्षण के दौरान भी इस बात के प्रति सजग रहना होगा कि लड़के-लड़की दोनों के साथ समानता का व्यवहार हो रहा है, उन्हें समान गरिमा और अवसर दिए जा रहे हैं।

बच्चे की भागीदारी

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता की संस्तुति करती है। वास्तव में सीखने के दौरान बच्चों की भागीदारी निरंतर बनी रहे तो सीखना बच्चों को नीरस और उबाऊ नहीं लगता है बल्कि सीखने की प्रक्रिया उनके लिए आनंदमय बन जाती है और कुछ करते-करते वे कब सीख लेते हैं, उन्हें इसका भान भी नहीं होता है।

अनुशासन का बदलता पैमाना

अनुशासन के नाम पर बच्चों को हैंडस् डाउन, फिंगर ऑन योर लिप्स, हाथ बाँधकर चुपचाप बैठा देने से कक्षा में निष्क्रियता और बोझिलता पसर जाएगी। सक्रियता बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उन्हें स्वयं कुछ करने, बाहर जाकर पेड़-पौधों आदि का अवलोकन करने, आपस में बातचीत करने के अवसर देने से ही तो वे स्वयं ज्ञान की रचना कर पाएँगे। बच्चे सक्रिय रहेंगे तो कुछ न कुछ करेंगे, सीखेंगे। सीखने की दशा में अनुशासनहीनता का तो सवाल ही नहीं उठता है। अनुशासन को मापने का पैमाना बदलना होगा।

प्रगति की जाँच

बच्चों की प्रगति की जाँच सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। पहली कक्षा में बच्चों की प्रगति की तुलना अन्य बच्चों से करने की भूल कदापि नहीं करें। इससे बच्चों में हीन भावना जन्म लेगी और वह हतोत्साहित हो जाएँगे बच्चों की प्रगति की जाँच उनकी पहले की प्रगति से तुलना करते हुए करें। जानने का प्रयास करें कि उन्होंने पहले से कुछ ज़्यादा अच्छा किया है या वह पहले की तुलना में पिछड़ गए हैं। कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है? अच्छा करने पर बच्चों की सराहना ज़रूर करें। अच्छा न करने पर उन्हें डाँटे नहीं, बल्कि सहारा दें, आगे अच्छा करने को प्रोत्साहित करें। आपसे मिला सहारा ही आगे अच्छे प्रदर्शन के लिए उसका संबल बनेगा।

अभिभावकों से संवाद

पहली कक्षा के शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है

कि बच्चों के अभिभावकों से भी उसका संवाद लगातार बना रहे। गृह शिक्षक के रूप में अभिभावक की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। बच्चों के संबंध में शिक्षक और गृह शिक्षक यानी अभिभावक दोनों सजग रहें और दोनों का ही पर्याप्त स्नेह और उचित मार्गदर्शन बच्चे को मिले तो पहली कक्षा बच्चे के लिए विद्यालयी जीवन का एक सुखद अहसास बन सकती है।

❑❑❑

4

राह बनाते शिक्षक

रश्मि पालीवाल*

शिक्षा संबंधी नीतियों, योजनाओं तथा सामग्री की सार्थकता काफ़ी हद तक शिक्षक के व्यवहार पर निर्भर है। शिक्षक का आत्मीय व्यवहार, बच्चे के प्रति उसकी समझ, बच्चे की विद्यालय के प्रति रुचि जगाने में अहम् भूमिका निभाता है। एकलव्य, होशंगाबाद और ब्लॉक संसाधन केंद्र, बाबई, ज़िला होशंगाबाद द्वारा अप्रैल 2009 में एक शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में दिए गए व्याख्यान/अनुभव एकलव्य द्वारा प्रकाशित 'राह बनाते शिक्षक' पुस्तिका में उपलब्ध हैं। प्रस्तुत है उसी पुस्तिका से कुछ अंश।

आज शिक्षा नीति की चर्चाओं में अगर सबसे ज़्यादा ज़ोर किसी बात पर दिया जा रहा है तो वह है बच्चों को भय रहित माहौल देना और परीक्षा के तनाव से मुक्त करना। हाल ही में संसद में पारित किए गए बालकों के लिए नि:शुक्ल एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक में भी यह बात बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार की गई है। कानून बनाना एक बात ठहरी और उसे असलियत का जामा पहनाना एक अलग बात। भय और परीक्षा रहित शिक्षा की संभावना तभी बन सकती है जब शिक्षक समुदाय में इसके लिए प्रतिबद्धता हो। आम मान्यता है कि शिक्षक बच्चों को डरा कर और मार कर ही शिक्षा देते हैं। यही एक शिक्षक की छवि है। क्या ऐसे शिक्षक नहीं हैं जो कभी बच्चों की तरफ़ से सोचकर देखते हों? जो यह समझने की कोशिश करते हों कि बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं उसके पीछे आखिर बात क्या हो सकती है?

आइए, हम कुछ ऐसे शिक्षकों से मिलें जो कुछ हट के सोचते हैं और करते भी हैं।

मिटाइए फेल होने का डर, तो बच्चे स्कूल जाएँगे

मैंने अपने स्कूल के साथी शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास

* एकलव्य के होशंगाबाद केंद्र में कार्यरत

**लेख 'शैक्षणिक पत्रिका' अंक-9 (नवंबर, 2009) से साभार

किया। सबसे पहले अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जिससे कुछ दिन बाद वही स्थिति पुन: निर्मित हो गई। तब फिर से इस विषय में सोचा। इस बार शाला को आकर्षक टी.एल. एम. सामग्री से सजाया गया, बच्चों को नि:शुल्क कॉपी-पेन प्रदान किए गए, बच्चों की उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पुरस्कार घोषित किए गए, प्रत्येक बच्चे को पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ने को दी गईं, परीक्षा के भय को दूर किया गया, बालमेलों का आयोजन किया गया और बच्चों को स्वयं करके सीखने का मौका दिया गया।

उपरोक्त प्रयासों के बाद मैंने पाया कि बच्चों की उपस्थिति पहले की अपेक्षा बढ़ी तथा बच्चे नियमित स्कूल आने लगे। पर दुख इस बात का रहा कि परीक्षा के समय अधिकांश बच्चे शाला से नदारद रहे। हमने बच्चों से कहा था कि चाहे तुम्हें कुछ आता हो या नहीं, तुम परीक्षा में ज़रूर आना। तुम्हें कोई भी सवाल नहीं आता हो तो कोई बात नहीं- उत्तर पुस्तिका में अपना नाम लिख देना, हम तुम्हें पास कर देंगे। इस तरह की बात करने के बावजूद बच्चे परीक्षा देने नहीं आए। हम बहुत निराश हुए। हमने विचार किया कि बच्चों के न आने का क्या कारण रहा होगा? शायद उन्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं हुआ था। उनके मन में परीक्षा का डर सालों से बैठा था और हम उसे खत्म नहीं कर पाए। इस विषय में रणनीति नवीन शिक्षा सत्र में बनाई जा रही है कि बच्चे परीक्षा के समय भी उपस्थित रहें।

रोहित शुक्ला,
शासकीय प्राथमिक शाला, विकास खंड बाबई, होशंगाबाद

शिक्षा में क्रांति आनी चाहिए

क्रांति शब्द यहाँ थोड़ा-सा अटपटा लग सकता है लेकिन क्रांति से मेरा तात्पर्य है पूर्ण परिवर्तन अर्थात् जो है वो नहीं होना चाहिए और जो नहीं है वह घटित होना चाहिए। राजनैतिक क्रांति के परिणाम स्वरूप राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र का जन्म हुआ लेकिन शिक्षा में अभी तक कोई क्रांति नहीं हुई जो यह कह सके कि एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए परीक्षा पेपर के आधार पर हज़ारों बालकों के जीवन का निर्धारण न किया जाए। बल्कि प्रत्येक बच्चे को अपनी स्वतंत्रता अनुसार जीवन की शिक्षा दी जाए। जहाँ शिक्षक एक आदेश देने वाला नहीं वरन् एक सहयोगी हो, उत्प्रेरक हो और बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार प्रदर्शन का मंच प्रदान कर सके।

ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जहाँ विद्यार्थी के लिए फ़ेल और पास की सीमाएँ ही न हों। जहाँ सिर्फ़ कुछ हो, तो विद्यालय और

विद्यार्थी, जहाँ विद्यार्थी अपने जीवन का एक-चौथाई समय सार्थकतापूर्ण रूप से व्यतीत कर सके।

हमारे स्कूल की छठवीं कक्षा में 20 बच्चों ने दाखिला लिया। शुरू में सबको एक ही विधि से पढ़ाया गया-उस पद्धति से जो हमें अच्छी लगी लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया कि बच्चे को क्या आता है। प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार सीखने का स्तर उपलब्ध कराया जाए, ऐसा नहीं सोचा गया। शिक्षा बच्चे की आंतरिक क्षमताओं को बाहर प्रकट करने का माध्यम है। स्वामी विवेकानंद एवं गुरूदेव रवींद्रनाथ टैगोर के विचार भी इसी को लेकर थे कि बच्चे को उसकी प्रकृति और स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाए।

मेरे विद्यालय की छठवीं कक्षा जिसे मैं पढ़ाता था, में 2-3 बच्चियों को छोड़कर किसी बच्चे का अँग्रेज़ी से बिल्कुल भी परिचय नहीं था। मैंने जनवरी-फरवरी आते-आते केवल दो-तीन अध्याय पढ़ाए। मुझसे पूछा गया, ''ये आप किस गति से चल रहे हैं?'' मैंने कहा, ''हम पूरा कोर्स पढ़ा दें और एक या दो बच्चे सीख पाएँ, ये हमारे लिए उपयुक्त स्तर नहीं है। उन 20 बच्चों में से यदि दो बच्चे पहले से पाठ पढ़ पाते हैं तो उन्हें हमने नहीं सिखाया। वे तो अपने हिसाब से सीख गए। कोर्स पूरा करता रहूँगा तो बाकी 18 को भी नहीं सिखा पाऊँगा।'' फरवरी में जब मैंने बच्चियों से किताब पढ़वाना शुरू किया तो वे अँग्रेज़ी के शब्द जोड़-जोड़ कर पढ़ना सीख गईं। उनका पास होना या फेल होना मेरे हाथ में था, मैंने उन सबको पास कर दिया। मैं उन बच्चियों की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। वे आपस में बात कर रही थीं। कि हम सातवीं में आ गए हैं, अब हम थोड़ी और मेहनत करेंगे।

बच्चे शिक्षक से पढ़ना नहीं चाहते, उनका प्रोत्साहन चाहते हैं। शिक्षक को हर स्तर पर बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए लेकिन शिक्षक बच्चों को वो पढ़ाता है जो उसे आता है, वह सिखाता है जो खुद को आता है। शिक्षक यह जानने की कोशिश नहीं करता कि तुझे (बच्चे को) क्या सीखना है, और जो तुझे सीखना है उसके लिए मैं क्या प्रयास करूँ? बच्चों को फेल या पास करने वाले हम कौन?

मैं अपने छात्रों पर भरोसा करता हूँ और उन्हें स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी देता हूँ। उदाहरण के लिए मेरे स्कूल में बच्चों के लिए खेल सामग्री आई। व्यवस्था के अनुसार मुझे सामान कमरे में रखकर ताला लगा देना था परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बच्चों को कहा जब खेलना हो तो सामान ले जाना और वापिस यहीं रख देना। कुछ दिनों बाद सामान की गिनती की गई तो कुछ सामान कम निकला। मैंने बच्चों से कहा, ''तुम्हारे विश्वास पर कमरे में ताला नहीं डाला और अब ये सामान कम निकला''। कुछ दिन बाद देखा कि जो सामान चला गया था वह वापिस आ गया अर्थात् बच्चों को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जा सकता है।

''अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए,
घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए,
घर से मस्ज़िद है बहुत दूर चलो यूँ कर लें,
किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए''

-निदा फाज़ली

यदि शिक्षा में क्रांति हुई तो शिक्षक का पद सभी पदों से ऊँचा होगा।

ब्रजेश कुमार त्रिवेदी,
शा.क.मा. शाला, सांगाखेड़ा खुर्द, विकास खंड बाबई, होशंगाबाद

घर की मजबूरियों को लाँघ सकता है स्कूल

ईश्वर ने सब बच्चों को बराबर बनाया है। बच्चा 6 साल की उम्र में स्कूल आता है। अब यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके अभिभावक भी बनें और शिक्षक भी। उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं सिखाया जा सकता, उन्हें स्नेह से पास बिठाकर सिखाना चाहिए। बच्चों को परीक्षाओं में पास कर देना चाहिए अन्यथा यदि वे फेल होकर पिछली कक्षा में अपने से छोटी उम्र के बच्चों के साथ रहे तो उनमें हीन भावना पनप सकती है और उनकी ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाएगी।

मैंने अपने स्कूल में गरीब परिवार की लड़कियों को पढ़ना सिखाने में कामयाबी हासिल की है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मेरी शाला में कक्षा 6 में वर्ष 2008-2009 में 163 बालिकाएँ दर्ज थी। इनमें से 60 बालिकाओं को पढ़ना नहीं आता था। हम इन्हें बाकी सबके साथ कक्षा में बिठाते थे तो ये पीछे ही बैठी रहती थीं। पाठ्यपुस्तकें अपने हिसाब से आगे बढ़ती रहतीं और ये बालिकाएँ पीछे रह जातीं। इस वजह से उनमें स्कूल के प्रति अरुचि पनपती गई।

गरीब परिवार की इन बालिकाओं का नियमित स्कूल आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। छोटे-से आर्थिक लाभ के लिए वे स्कूल से विमुख होने को मजबूर होती थीं। एक बच्ची आधी छुट्टी के बाद हमेशा चली जाती थी क्योंकि उसकी भाभी दो रुपए का प्रलोभन देकर उसे सब्ज़ी तोड़ने ले जाती थी। ऐसा नहीं कि उस बच्ची का दिमाग कमज़ोर था, वह बहुत समझदार थी।

कीर जाति की एक बच्ची अपने छोटे भाई को सँभालने के लिए अक्सर कई दिनों तक घर पर रुकी रहती थी। उसके परिवार की यह मान्यता थी कि बच्चा माँ के पास नहीं रहेगा, उसे बड़ी बेटी सँभालेगी। परिवार में अन्य बड़े लोग तो थे पर वे बच्चे को सँभालने का दायित्व बड़ी लड़की पर ही डालते थे।

कई बच्चियाँ परात भर आटे की रोटियाँ बनाकर स्कूल आती थीं या स्कूल से जाकर बनाती थीं। उनकी कहानियाँ सुनकर या जानकर हम दंग रह जाते थे। हमने तय किया कि कक्षा-6 की 60 बच्चियाँ जो पढ़ नहीं पा रही हैं, उन्हें अलग बिठाकर पढ़ना सिखाएँगे। उसी समय हमारे स्कूल में तीन अतिथि शिक्षिकाएँ पदस्थ हुई। प्रत्येक के ज़िम्मे 20-20 बच्चियों को कर दिया। हमने बालिका शिक्षा, मीना मंच आदि योजनाओं में मिली कहानी की किताबें उनके सामने खोल कर रख दीं। कहानी की इन पुस्तकों को कमरे में टाँगने की भी व्यवस्था कर दी। कहानी की किताबों की सहायता से अतिथि शिक्षिकाओं ने बालिकाओं को पढ़ना सिखाने की कोशिश की। ये लड़कियाँ कक्षा में किताबों को देखतीं, पढ़ने की कोशिश करतीं और घर भी ले जातीं। कुछ किताबें

वापिस आईं और कुछ किताबें वापिस नहीं भी आईं।

छह-सात महीने लगे पर 60 में से 44 बच्चियाँ पढ़ना सीख गईं। 16 बच्चियाँ अभी भी नहीं सीख पाईं। उनमें से एक बच्ची के पिता बुरी तरह से नशा करते हैं। एक और बच्ची बहुत आक्रामक है, लोगों को नोचती-खसोटती है। वह अपनी दादी के लिए लाया गया तंबाकू खाती है। उसकी आदत छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर हम असफल रहे।

हमें इस साल भी अपने प्रयास जारी रखने हैं। कक्षा-6 में नए दाखिले होते ही हम कक्षा-7 की सक्षम बालिकाओं की मदद से बेस-लाईन टेस्ट करेंगे और जिन बच्चों को अलग से सहायता की ज़रूरत है उनकी व्यवस्था करेंगे। हमने एक नोटिस छपवाया है जिसे हम अनियमित छात्रों के घर भिजवाते हैं। इससे घर के लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे पर कोई ध्यान रखने की कोशिश करता है। अगर हम तीन साल तक यह प्रयास जारी रख सके तो शासकीय माध्यमिक शाला का स्तर किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल जैसा हो जाएगा।

वर्षा सोनी,
कन्या मा. शाला. बाबई, होशंगाबाद

❑❑❑

5

मैं भी शिक्षक, तुम भी शिक्षक

भारती*

बच्चे अनेक खेल खेलते हैं। इन्हीं में से बच्चों की पसंद का एक खेल है- 'टीचर-टीचर' का खेल। इस खेल से न केवल उनका मनोरंजन होता है बल्कि बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा में इस खेल का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? जानने के लिए पढ़िए यह लेख।

रवि प्राथमिक शाला में शिक्षक के पद पर नया-नया नियुक्त हुआ है, उसके मन में बच्चों को पढ़ाने की ढेर सारी योजनाएँ हैं। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के दौरान उसने बहुत-सी नई शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा है, इन विधियों को अपने दैनिक शिक्षक जीवन में उतारने के लिए उसने कई योजनाएँ बनाई हैं।

इस नई शाला में चौथी कक्षा के बच्चों से उसका अच्छा परिचय हो गया है। एक महीने तक हर बच्चे के लेखन, पठन, गृहकार्य, कक्षाकार्य पर पैनी नज़र रखते हुए वह समझ गया है कि इस कक्षा में भी वैसी ही स्थिति है जैसी कि लगभग हर अन्य कक्षाओं में होती है। यानि बच्चों को उनकी सीखने की गति एवं रफ्तार के अनुसार समूहबद्ध किया जा सकता है। चौथी कक्षा में *रमेश* और *मानवी* भी हैं, *रमेश* जो देख नहीं सकता और *मानवी* जो सुन नहीं सकती।

आज कक्षा की शुरुआत करते हुए उसने बच्चों से पूछा कि क्या वे शिक्षक-शिक्षक वाला खेल खेलना चाहेंगे? बच्चे पहले तो कुछ झिझके फिर एक बोला - क्या मैं शिक्षक बन कर अन्य बच्चों को सज़ा भी दे सकता हूँ? *रवि* कुछ उत्तर देता इससे पहले तीसरी पंक्ति के अंतिम बैंच पर बैठी *आशिमा* बोल उठी - क्या मैं बच्चों की कापियाँ भी जाँचूगी? *रोहित* को चिंता हुई - शिक्षक बन कर मुझे किसे पढ़ाना होगा? क्या बच्चे मेरी बात सुनेंगे? *रश्मि* ने पूछा - क्या मैं ब्लैकबोर्ड पर लिख पाऊँगी? *पवन* ने कहा - क्या चपरासी मेरे लिए भी पानी अथवा कोई संदेश लाएगा। *किरण* ने कहा - बड़ा माज़ा आएगा फिर तो कोई गृहकार्य या कक्षा कार्य नहीं करना पड़ेगा?

इस सारे शोरगुल में *रवि* को किसी के प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं मिल रहा था। उसने ज़ोर से अपना गला खँखारते हुए

**प्रवक्ता*, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-110016

कहा – सुनो-सुनो, अभी खेल शुरू नहीं हुआ है। पहले इस खेल के नियम तो जान लो। यह तो जानो कि खेलना कैसे है? अंक कैसे मिलेंगे? पढ़ाना किसे है, और पढ़ेगा कौन?

सभी शांत होकर उसकी बात सुनने लगे। रवि ने कहा – सभी बच्चे शिक्षक भी बनेंगे और विद्यार्थी भी। आप किसी को पढ़ाएँगे नहीं किंतु कापियाँ जाँचेगे और नंबर भी देंगे। 'हाँ' साथी छात्र को सज़ा देना, डाँटना, मना है। चलो, अब सभी जल्दी से तीन-तीन के समूह में बँट जाओ। मैं कुछ खाली पन्ने अपनी मेज़ पर रख रहा हूँ। जिस किसी को भी चाहिए वह ले सकता है, अन्यथा आप अपनी कच्ची कॉपी में भी काम कर सकते हैं। प्रत्येक समूह को अठ्ारह पन्नों की आवश्यकता होगी।

सभी बच्चों के तीन-तीन के समूह में बँटने के बाद दो बच्चे बच गए, *रवि* खुद इस समूह का तीसरा साथी बन गया। अब उसने सभी बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक अथवा कक्षा में रखी कहानी की किताबों में से कोई एक किताब चुनने को कहा। खुद *रवि* ने नंदन (बाल पत्रिका) को चुना। *मानवी* ने चंपक की चित्रकथा चुनी तो रमेश ने अन्य विकल्पों के अभाव में अपनी पाठ्यपुस्तक का ही एक अनुच्छेद चुना।

रवि ने श्यामपट्ट पर 'आम', 'जामुन', 'अंगूर' लिख दिया और समूहों के सदस्यों में इसमें से एक नाम अपने लिए छाँटने को कहा। *रीमा* और *रोहित* की 'अंगूर' पर लड़ाई होने लगी तो *रश्मि* ने *रीमा* को यह कहकर 'जामुन' बना दिया कि जामुन से तो कितना अच्छा रंग भी किया जा सकता है। *रवि* के लिए उसके समूह के साथियो ने 'अंगूर' का नाम चुन दिया।

सभी छात्रों को अपनी चुनी हुई पुस्तकों में से एक अनुच्छेद बड़े ध्यान से पढ़ने का निर्देश मिला। सभी अपने चहेते शिक्षक की बात मानकर बड़े ध्यान से पढ़ने लगे। *कंचन* ने अपना अनुच्छेद जल्दी समाप्त कर, अगले निर्देश के लिए हाथ खड़ा किया। रवि ने उसे उसी अनुच्छेद को बहुत अच्छी तरह दुबारा पढ़ने का सुझाव देते हुए कहा कि यदि पहले ही बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है तो जब तक समूह के अन्य साथी अपना-अपना अनुच्छेद पढ़ें तुम चाहो तो आगे पढ़ सकती हो या फिर चुपचाप समूह साथियों के पढ़ने का इंतजार कर सकती हो। उसने चुपचाप इंतजार करना बेहतर समझा। यही निर्देश रवि ने बाकी समूहों के लिए भी दोहराया। जब सभी बच्चे तसल्ली से अपना अनुच्छेद पढ़ चुके तो रवि ने सभी समूहों के 'आम' नाम के विद्यार्थियों से हाथ खड़ा करने के लिए कहा एवं अगला निर्देश दिया।

अब 'आम' शिक्षक की भूमिका निभाएगा और अपने अनुच्छेद में से पाँच शब्दों का श्रुतलेख 'जामुन' और 'अंगूर' को देगा। 'जामुन' और 'अंगूर' श्रुतलेख खाली पन्ने पर लेंगे तथा पन्ने पर सबसे ऊपर लिखेंगे-

किसका अनुच्छेद – 'आम का'

शिक्षक का नाम – 'आम'

विद्यार्थी का नाम –

1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....
5. .....

इसके बाद 'आम' 'जामुन' का अनुच्छेद लेकर उसमें से भी पाँच शब्द बोलेगा और समूह के दोनों विद्यार्थी दूसरे खाली कागज पर लिखेंगे और तब 'किसके अनुच्छेद' में – 'जामुन' का नाम आएगा। यही कार्य 'आम' 'अंगूर' के साथ भी दोहरायेगा। इस प्रकार से आम कुल पंद्रह शब्द बोलेगा और समूह के साथी विद्यार्थियों के पास तीन-तीन पन्ने होंगें। विद्यार्थी अपने श्रुतलेख वाले पन्ने सँभाल कर रखेंगें। इसके बाद 'आम' की शिक्षक के रूप में भूमिका समाप्त होती है। रवि ने भी अपने समूह के 'आम' द्वारा बोले शब्दों को लिखा।

इसके बाद, प्रत्येक समूह में से अब रवि ने 'जामुन' को हाथ खड़ा करने के लिए कहा। अब शिक्षक की भूमिका में 'जामुन' था। 'जामुन' ने भी अपने अनुच्छेद में से, फिर 'आम' और 'अंगूर' के अनुच्छेद में से पाँच-पाँच शब्दों की इमला बोली। समूह के साथी विद्यार्थियों ने पहले ही रखे अलग कागज पर श्रुतलेख लिखा। एक समूह में थोड़ा शोर मचने लगा, पूछताछ करने पर पता चला कि 'जामुन' ने कुछ शब्द वही बोल दिए थे जो 'आम' ने भी बोले थे। *रवि* ने बीच-बचाव करते हुए सर्वसम्मति से नियम बनाया कि शब्दों का चुनाव, शिक्षक की भूमिका वाला बच्चा करेगा, अगर वह चाहे तो शब्दों को दोहरा भी सकता है। शब्दों को दोहराने से पहले लिखे उसी शब्द की जाँच भी हो पाएगी कि वह सही लिखा है या गलत और फिर से इस अभ्यास से अधिगम मज़बूत भी होगा।

'जामुन' की भूमिका के बाद अब 'अंगूर' की शिक्षक बनने की बारी आई, उसने भी पहले अपने अनुच्छेदों में से और फिर 'जामुन' एवं 'आम' के अनुच्छेदों में से पाँच-पाँच शब्दों का श्रुतलेख बोला। 'जामुन' की भूमिका की समाप्ति के बाद सभी विद्याथियों के पास तीस शब्दों और छः पन्नों पर लिखा श्रुतलेख होगा। तीन पन्ने एक शिक्षक के तथा तीन पन्ने दूसरे शिक्षक के। सभी शिक्षक अपने द्वारा बोली गई इमला के पृष्ठ समूह साथियों से ले लेंगें। इस प्रकार से प्रत्येक शिक्षक के पास छः पन्ने होंगे।

'मज़ेदार काम तो अब शुरू होगा,' *रवि* ने कहा – अब सभी शिक्षक अपनी-अपनी कापियाँ जाँचेंगे और अंक देंगें, किंतु ध्यान रहे, यदि शब्द पूर्ण रूप से सही है तभी अंक मिलेगा, आधे नंबर का कोई चक्कर नहीं है। प्रत्येक शब्द का एक नंबर होगा। बोलिए क्या आप सहमत हैं? सभी छात्र सहमत थे। यह काम उतना आसान नहीं था जितना छात्रों को लग रहा था। जाँचते-जाँचते *पंकज* एक जगह अटक गया तो उसने पूछा, "क्या मैं अनुच्छेद में देख सकता हूँ।" *रवि* ने सहमति में सिर हिलाया। अब पूरी कक्षा ध्यानपूर्वक कापियाँ जाँचने में जुटी थी। अपना जाँचकार्य खत्म करके, समूहों का अवलोकन करने के लिए रवि कक्षा में चहलकदमी करते-करते *मानवी, दीपक* और रमेश के समूह के पास खड़ा हो गया। *दीपक* बड़ी समझदारी से शिक्षक की भूमिका निभा रहा था। श्रुतलेख देते हुए उसने दो बातों का ध्यान रखा, पहली बात यह है कि शब्द बोलते

हुए उसने *मानवी* को छूकर इशारा किया कि वह शब्द बोल रहा है। दूसरी यह कि उसने शब्द को बेहद धीरे-धीरे उसकी घटक ध्वनियों एवं मात्राओं के साथ स्पष्ट उच्चारण सहित बोला, जिससे *मानवी* को उसके होंठ पढ़कर शब्द समझने में परेशानी नहीं हुई। *रमेश* की कॉपी जाँचने की बारी आई तो *दीपक* ने रमेश से पूछ-पूछ कर उसकी कापी जाँची। *मानवी* रमेश की कॉपी सुन नहीं सकने के कारण अच्छी तरह से नहीं जाँच पा रही थी तो उसने दीपक की मदद ली। *रमेश* ने बजाए खुद कॉपी जाँचने के रवि को बुला लिया। इस प्रकार से इस समूह में भी सभी की भागीदारी हुई।

बाकी समूहों में कुछ शिक्षक अपना जाँच कार्य न करके यह देखने में व्यस्त थे कि कहीं उनके साथी उनके अंक गलत तरीके से तो नहीं काट रहे। इसी बात से एक अन्य समूह में लड़ाई की नौबत आ गई तो *रवि* ने कहा कि आप अपना जाँच कार्य समाप्त कर लें और फिर देखते हैं कि इस समस्या को कैसे हल करें।

कापियाँ जाँचने के बाद *रवि* ने कहा - अब हस्ताक्षर भी करें। जाँचना तो फिर भी सरल था पर हस्ताक्षर!!

लगभग सभी छात्रों के लिए हस्ताक्षर करने का यह पहला मौका था, इसलिए सभी बेहद उत्साहित थे। *रोहित* ने समस्या को मुखरित करते हुए कहा, 'मैंने तो अभी तक अपने हस्ताक्षर बनाए ही नहीं हैं तो मैं क्या करूँ 'तो आप अपना नाम लिख दो,' *रवि* बोला।

सभी शिक्षक अपनी-अपनी कापियाँ जाँचने के बाद अपने छात्रों में बाँट दें, यदि छात्र को लगा है कि शिक्षक ने जाँचने में गलती की है तो शिक्षक से पुनर्विचार का केवल अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम निर्णय शिक्षक का होगा। सभी छात्र अब अपना-अपना सुधारकार्य करेंगे, उसी पन्ने पर जहाँ गलती है, यानी कि प्रत्येक गलत शब्द को अनुच्छेद की मदद से पाँच-पाँच बार सही तरह से लिखना है। सुधार कार्य करके आप शिक्षक से जाँच करवाना ना भूलें। शिक्षक बने सभी बच्चे बड़े ही उत्साह से कार्य कर रहे थे तभी भोजनावकाश की घंटी बज गई।

❑❑❑

6

कहानी सुनाने के तरीक

अक्षय कुमार दीक्षित*

प्रत्येक बच्चे को कहानी सुनना सबसे अच्छा लगता है। कहानी बच्चे को आनंदित करने के साथ उन्हें अनेक प्रकार की जानकारियाँ भी देती है। लेकिन कहानी का सरस लगना अनेक बच्चों पर निर्भर करता है जैसे - कहानी का चयन, कहानी सुनाने का तरीका आदि। बच्चों को कौन-सी कहानियाँ अच्छी लगती हैं? कैसी हो कहानी? कहानी सुनायी कैसे जाए? इन्हीं प्रश्नों की जानकारी प्रस्तुत लेख में दी गई है।

कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने कभी कोई कहानी सुनी या सुनाई न हो? कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे कहानी सुनना या सुनाना अच्छा न लगता हो? कहानी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक बच्चे और बड़े को कहानी अच्छी लगती है। इसीलिए कहानी, शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण अंग है।

कहानी का चुनाव

कहानी सुनाने का सबसे पहला चरण है- कहानी का चुनाव। कौन-सी कहानी सुनाई जाए, इस प्रश्न का उत्तर कुछ अन्य प्रश्नों पर निर्भर करता है। जैसे- **कहानी किसे सुनानी है? और कहानी क्यों सुनानी है?**

छोटे बच्चों के लिए कहानी चुनते समय हमें बच्चों के मनोविज्ञान और रुचि को ध्यान में रखना होगा। छोटे बच्चों को उनके जीवन और कल्पनाओं से जुड़ी हुई कहानियाँ अच्छी लगती हैं। पशु-पक्षी, परी, जादू, दोस्त, खेल-खिलौने, खान-पान, मेला-त्योहार, गाड़ियाँ, परिवार आदि उनके मनपसंद विषय हैं। उन्हें मज़ेदार घटनाओं वाली हास्य कहानियाँ, जादू और परियों वाली रोमांचक कहानियाँ तथा बुद्धि चातुर्य द्वारा समस्या दूर करने वाली कहानियाँ अच्छी लगती हैं।

बच्चों को ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, जिनमें भटकाव और बेमतलब के वर्णन न हों। छोटे-छोटे वाक्य और आम बोलचाल की जानी-पहचानी भाषा यदि कहानियों में इस्तेमाल की गई है, तो वे कहानियाँ अधिक पसंद की जाती हैं। यदि कहानी में अटपटे-चटपटे शब्द या नाम इस्तेमाल किए गए हैं और कुछ संवाद या पंक्तियाँ बार-बार दोहराई गई हैं, तो वह कहानी भी बच्चों के चेहरे पर मुस्कराहट ला देती है। ये तो हुई कहानी की विशेषताएँ। यदि

* *शिक्षक*, नगर निगम सहशिक्षा प्राथमिक विद्यालय, राजपुर, नयी दिल्ली,

आपको ये सभी विशेषताएँ किसी कहानी में न मिलें, तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है। आप किसी भी कहानी को बदलकर उसमें ये बातें शामिल कर सकते हैं।

कहानी अपने मन से बनाकर/गढ़कर सुनाई जा सकती है। किसी पढ़ी हुई कहानी को थोड़ा-फेरबदल करके सुनाया जा सकता है अथवा किसी पुस्तक या पाठ्यपुस्तक से पढ़कर सुनाया जा सकता है। समाचार-पत्रों, कहानी की किताबों, लोककथाओं या पारंपरिक कहानियों में से भी कहानी का चुनाव किया जा सकता है। बच्चों द्वारा लिखी गई रचनाओं का संकलन करवाकर उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

कहानी का चुनाव करते समय बच्चों की आयु और रुचि का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पाँच साल की आयु के बच्चे की रुचि दस (10) वर्ष की आयु के बच्चे से भिन्न हो सकती है। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी अलग-अलग हो सकती है। उनका अनुभव संसार तो निश्चय ही अलग होगा। अत: इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही कहानी का चुनाव करें।

अधिकतर पारंपरिक कहानियों में ये सभी बातें स्वयं ही समाहित होती हैं और वे सभी बच्चों को अच्छी लगती हैं। अत: आप बिना संकोच के उनका चुनाव कर सकते हैं।

कहानी सुनाने का उद्देश्य भी कहानी चुनने में आपकी मदद करेगा। पाठ्यपुस्तक की कहानी सुनाना तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, परंतु पाठ्यपुस्तक की कहानियाँ ही काफ़ी नहीं हैं। आप उन कहानियों से मिलती-जुलती कहानियाँ अतिरिक्त या पूरक गतिविधि के रूप में सुना या सुनवा सकते हैं। किसी लेखक की कहानी यदि बच्चों ने पुस्तक में पढ़ी है, तो आप उसी लेखक की अन्य कहानियाँ भी बच्चों को उपलब्ध करवा सकते हैं।

बच्चे तो कहानी को मुख्यत: आनंद के लिए ही सुनते या पढ़ते हैं, परंतु आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से कहानी बच्चों के भाषा संबंधी कौशलों का भी विकास करती हैं। अत: जितनी अधिक कहानियाँ बच्चें सुनेंगे, सुनाएँगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे, उतना अधिक बच्चों की भाषा पर पकड़ मज़बूत होगी।

हो सकता है, कभी आपकी इच्छा हो कि कहानी सुनाकर बच्चों को कुछ जानकारी दी जाए या कुछ संदेश दिए जाएँ। यह आपकी इच्छा या ज़रूरत हो सकती है, परंतु आपके श्रोताओं यानी बच्चों की नहीं। दूसरी ओर, चाहे आप प्रयास करें या न करें, आप जो भी कहानी बच्चों को सुनाएँगे या पढ़ने को देंगे, बच्चे न केवल अपने मतलब की जानकारी और सीख उसमें से अपने आप निचोड़ लेंगे, बल्कि आपके अनुमान से कहीं अधिक समझ वे ग्रहण कर लेंगे, बशर्ते कहानी उन्हें अच्छी लगे। अत: आप जानकारी या सीख की चिंता किए बिना केवल वह कहानी चुनने पर ध्यान दीजिए जो बच्चों को अच्छी लगे। यदि कहानी अच्छी है, तो आपके सभी 'उद्देश्य' स्वयं ही पूरे होते चले जाएँगे।

कहानी कैसे सुनाएँ

कहानी चुनने के बाद आप उसे बच्चों को सुनाना चाहेंगे। सुनाने के अनेक तरीके हो सकते हैं, जो आपके और आपके बच्चे के आपसी

समीकरणों, परिवेश, कक्षा के माहौल और सुविधाओं आदि बहुत-सी बातों पर निर्भर करते हैं। आप कहानी पढ़कर भी सुना सकते हैं और बिना पढ़े भी। दोनों तरीकों का अपना अलग शैक्षिक महत्त्व है। यह भी हो सकता है कि आप दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करना चाहें। आइए, देखते हैं कि श्रीमान दीक्षित अपनी कक्षा में कहानी कैसे सुनाते हैं।

श्रीमान दीक्षित तीसरी कक्षा के अध्यापक हैं। पाठ्यपुस्तक *'रिमझिम'* की कहानियों के अतिरिक्त वे कहानियों की बहुत-सी किताबें बच्चों को पढ़ने और सुनने के लिए उपलब्ध करवाते हैं, परंतु दोनों प्रकार की पुस्तकों के इस्तेमाल में वे कोई विशेष अंतर महसूस नहीं करते। कई बार कहानी सुनाने से पहले वे बातचीत से बच्चों के अनुभव सुनते हैं और अपने अनुभव सुनाते हैं। उसके बाद बच्चों को खुशखबरी देते हैं, ''आज मैं तुम्हें इसी बारे में एक कहानी सुनाता हूँ।'' इतना सुनते ही बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर कभी-कभी वे सीधे ही घोषणा कर देते हैं, ''आज मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, जिसमें एक....''

इस बार भी बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। इसके बाद वे कहानी को अपने शब्दों में सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहानी सुनाना उनको भी अच्छा लगता है। अत: उन्हें यकीन होता है कि बच्चों को भी मज़ा आ रहा होगा। इसकी पुष्टि बच्चों की आँखों की चमक, उनके शरीर की मुद्राओं और चेहरे के भावों से भी स्पष्ट हो जाती है। वे कहानी सुनाते समय कहानी के पात्रों के अनुसार थोड़ा बहुत आवाज़ में बदलाव भी लाते हैं और जब कोई मज़ेदार बात हो, तो हँसते भी हैं। बच्चे भी हँस पढ़ते हैं। जब कोई पात्र डरते हुए कुछ कहता है, तो वे भी डरते-डरते बोलते हैं। जब कोई पात्र गुस्से से कुछ कहता है, तो भी गुस्सा ज़ाहिर करते हैं। कभी-कभी वे कोई काम कहकर नहीं, बल्कि करके प्रकट कर देते हैं। कभी वाक्य अधूरा छोड़ देते हैं और बच्चे तुरंत उसे पूरा कर देते हैं, परंतु वे कहानी सुनाते-सुनाते अपनी बात दोहराने के लिए नहीं कहते, न ही बार-बार कहानी के बारे में सवाल पूछकर बच्चों की याद्दाश्त मापने का प्रयास करते हैं।

कई बार वे ज़मीन पर बैठकर कहानी सुनाते हैं। सारे बच्चे उनके इर्द-गिर्द आरामदायक मुद्राओं में बैठ जाते हैं, परंतु यह हमेशा संभव नहीं हो पाता। उस समय वे कक्षा में ही खड़े होकर या बैठकर कहानी सुनाते हैं। बच्चे अपनी-अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, परंतु ये सब बातें अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण केवल कहानी है!

वे प्रयास करते हैं कि कहानी एक बार में ही समाप्त हो जाए। बच्चे टुकड़े-टुकड़े में कहानी अधिक पसंद नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि जो कुछ भी होना है कहानी में, वह तुरंत हो जाए। वे कहानी का परिणाम तुरंत जानना चाहते हैं। अत: उसको अगले पीरियड या अगले दिन तक टालना उचित नहीं है। कहानी सुनाकर वे उसके बारे में बातचीत करना प्रारंभ करते हैं।

आमतौर पर कहानी समाप्त होते ही बच्चे तालियाँ बजाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर देते हैं। इसके बाद वे अपने विचार और अनुभव

बताना चाहते हैं। कहानी सुनकर जो उन्हें अच्छा लगा अथवा जो बातें या घटनाएँ उन्हें याद आई, वे उन्हें भी बताना चाहते हैं। वे इसलिए भी बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनके शिक्षक उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनकी बातों को सम्मान देंगे।

जो बच्चे कुछ चुप रहते हैं, श्रीमान दीक्षित उनसे बात करने की स्वयं पहल करते हैं। कुछ बच्चे चुप रहकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उन बच्चों को भी अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है। कभी-कभी बातचीत की दिशा निर्धारित करने के लिए वे भी कोई बात कह देते हैं।

बातचीत करने के बाद अगला चरण बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाने का अवसर देना होता है। वे बच्चों को कहानी सुनाने का अवसर देते हैं। उनका प्रयास होता है कि सभी बच्चों को कभी न कभी कहानी सुनाने का अवसर मिल ही जाए। जिस भी बच्चे की बारी आती है, वह पूरी कहानी या एक निर्धारित हिस्सा पढ़कर सुनाता है। बाकी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते और चुपचाप पढ़ते हैं। उनको पीछे-पीछे दोहराने का निर्देश नहीं दिया जाता। यदि ज़रूरी हो, तो श्रीमान दीक्षित किसी नये शब्द का अर्थ बता देते हैं या कोई बात जोड़नी हो, तो कुछ जोड़ देते हैं।

इस प्रकार कहानी को पढ़कर दोहराने के बाद वे उस कहानी से संबंधित गतिविधियाँ करवाते हैं। वे गतिविधियाँ कई प्रकार की होती हैं - कुछ तो पाठ्यपुस्तक *'रिमझिम'* में ही दी हुई, कुछ पुस्तक से हटकर (कभी-कभी वे उन कहानियों जैसी ही अन्य कहानियाँ भी पढ़ने को देते हैं या सुनाते हैं। कभी-कभी कहानी को आगे पढ़वाते हैं या कभी कहानी का अभिनय करवाते हैं। उनका प्रयास रहता है कि हर बार बच्चों को कुछ नया काम करने को मिले, नई चुनौती मिले।

कॉपी में प्रश्नोत्तर जैसे औपचारिक कार्य सबसे अंत में करवाए जाते हैं, क्योंकि उससे पहले विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा बच्चे कहानी के प्रत्येक पक्ष को भली-भाँति जान-समझ चुके होते हैं।

कहानी पढ़ना

श्रीमान दीक्षित के उदारहण से आपको थोड़ा-बहुत संकेत तो मिल ही गया होगा कि बच्चे कहानी किस तरह पढ़ें। फिर भी यहाँ पर उन बातों को थोड़ा अधिक विस्तार से बताया गया है।

प्रारंभ में अच्छा यह रहेगा कि बच्चों द्वारा कहानी पढ़कर सुनाने की गतिविधि से पहले वे कहानी से परिचित हो जाएँ। अतः पहले उन्हें कहानी सुना दें। उसके बाद पढ़वाने का कार्य करवाएँ। यह इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने की चुनौती के कारण कहानी का आनंद कहीं पीछे न छूट जाए। बच्चों द्वारा कहानी पढ़वाने से पहले स्वयं कहानी पढ़कर सुनना भी अच्छा रहेगा।

जब कोई बच्ची या बच्चा कहानी पढ़ रहा हो, बाकी बच्चों से पीछे-पीछे दोहराने के लिए न कहें। यदि पीछे-पीछे दोहरा रहे हों, तो इसका लाभ होने की बजाय नुकसान ही अधिक होता है। हो सकता है कि जब बच्चे एक-एक शब्द या वाक्य दोहराते हैं, तब शिक्षक को लगे कि इस प्रक्रिया द्वारा शत-प्रतिशत

बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं, परंतु यह सिर्फ़ भ्रम ही है। संभव है कि जो बच्चे सुनी जा रही बात को बिल्कुल सही-सही तोते की तरह दोहरा रहे हैं, वे भी मानसिक रूप से कहीं और जा पहुँचे हों। हमारा मस्तिष्क उबाऊ कार्य के दौरान सहजतापूर्वक आनंद भरे विचारों और कल्पना जगत में विचरने की शक्ति रखता है।

अत: बेहतर यह है कि बच्चों को कहानी की दुनिया में ही विचरने दिया जाए। यह तभी संभव है, जब वे तसल्ली से केवल कहानी सुनें। वह भी वाक्य या शब्दों के टुकड़ों में नहीं, बल्कि समग्र रूप से।

यह संभव नहीं है कि एक ही कहानी कक्षा के सभी बच्चों को पढ़कर सुनाने का अवसर दे पाए। अत: प्रयास करें कि कभी न कभी प्रत्येक बच्चे को कहानी पढ़कर सुनाने का मौका मिले। एक कहानी में नहीं तो दूसरी में ही सही।

जब कोई बच्चा कहानी पढ़ रहा हो, तब आप किन बातों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बच्चा अच्छी तरह पढ़ रहा है या नहीं? अधिकतर बड़े लोग अच्छा पढ़ना उस स्थिति को मान लेंगे, जिस स्थिति में बच्चा बिना अटके तथा बिना कोई गलती किए पूरी कहानी या कम-से-कम पूरा अनुच्छेद पढ़ ले, परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह धारणा सिरे से गलत है। वह इसलिए कि पूरी तरह सही-सही पढ़ने के बाद भी संभव है कि बच्चे को पता ही न चला हो कि उसने क्या पढ़ा है। अत: 'अच्छा पढ़ना' के इस पैमाने को बदलना पड़ेगा। तो फिर किस तरह के पढ़ने को अच्छा कहेंगे?

पहली बात जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं, वह यह है कि बच्चा जो कुछ पढ़ रहा है, उसका आनंद ले रहा है या नहीं। क्या वह मज़ेदार वाक्य या घटना पढ़ते हुए मुस्कराता या हँसता है? क्या वह अपनी बारी पूरी करने की जल्दी में है? क्या वह तसल्ली से पढ़ रहा है या एक ही साँस में सब कुछ पढ़ लेना चाहता है? उसके हाव-भाव और साँसों का उतार-चढ़ाव ही बता देगा कि वह पढ़ी जा रही कहानी का आनंद ले रहा है या नहीं।

यदि बच्चे कहानी पढ़ते हुए उसका आनंद ले रहे हैं, तो वे पूर्णविराम पर रुकेंगे, 'अच्छा?' पढ़ते हुए उनके स्वर से ही प्रश्नवाचक चिह्न प्रकट हो जाएगा, वे स्वयं पढ़ने की इच्छा प्रकट करेंगे और दूसरों की बारी का सम्मान करेंगे।

यदि पढ़े जा रहे अंश में कोई नया शब्द आता है, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि बच्चा उस पर अटक जाए या थोड़े अतिरिक्त प्रयास से पढ़े। यह भी बिल्कुल स्वाभाविक है कि बच्चा किसी वाक्य को पढ़ते-पढ़ते अपने मन से थोड़ा-सा बदल दे या अपने अनुमान से पूरा कर दे। उदाहरण के लिए कोई बच्चा, ''फिर उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो?'' की बजाय यह पढ़ दे, ''फिर उसने कहा, तू कहाँ जा रहा है?''

इसका अर्थ यह है कि बच्चा कहानी में खो गया है। यदि आप टोकेंगे तो बच्चा अपनी 'गलती' सुधार तो लेगा, परंतु उसके आनंद में बाधा पड़ चुकी होगी।

यह तो हुई पाठ्यपुस्तक की कोई कहानी पढ़वाने की बात, परंतु कहानी पढ़ना केवल पाठ्यपुस्तक तक तो सीमित नहीं है। कहानियों

की पुस्तकें भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। उनका पढ़ना भी पाठ्यपुस्तक की कहानी पढ़ने जैसा ही है, केवल कुछ अधिक विस्तार के साथ।

कहानी बोल-बोलकर पढ़ने जितना ही महत्वपूर्ण है, कहानी चुपचाप पढ़ना। जब हम बिना बोले पढ़ते हैं, तो हमारी पढ़ने की गति बढ़ जाती है और हम केवल अपने लिए पढ़ रहे होते हैं। आप इस ओर भी ध्यान दें कि बच्चा स्वयं अपने लिए कहानी का चुनाव करता है या नहीं तथा दूसरे बच्चों को अपनी पसंद की किताब या कहानी दिखाकर बात करता है या नहीं।

कहानी गढ़ना

कहानी पढ़ने जितना ही महत्वपूर्ण कौशल है, कहानी गढ़ना। हम सभी स्वाभाविक रूप से कहानी गढ़ते हैं, परंतु बच्चे इस मामले में विशेष रूप से उत्साही होते हैं। कहानी बनाकर सुनाना और लिखना, दोनों कार्य बच्चे अकेले भी कर सकते हैं और समूह में भी। कहानी चित्रों द्वारा भी बनाई जा सकती है और शब्दों द्वारा भी। बच्चों को पहले कहानी बनाकर सुनाने के मौके दें, फिर लिखवाने और कहानियों की किताब बनवाने जैसी गतिविधियाँ भी करवाई जा सकती हैं।

अब कहानी सुनाने की प्रक्रिया को '*रिमझिम, भाग-2*' की कहानी 'बंदर और गिलहरी' से समझने की कोशिश करते हैं। इसे निम्नलिखित चरणों में बाँटकर समझा जा सकता है -

- चित्रों पर बातचीत
- चित्र दिखाते हुए कहानी सुनाना
- कहानी पढ़कर सुनाना (अध्यापक द्वारा)
- बच्चों द्वारा कहानी पढ़कर सुनाना
- कहानी से आधार लेते हुए बातचीत, बच्चों और शिक्षक द्वारा अपने अनुभव सुनना-सुनाना
- कहानी के आधार पर गतिविधियाँ करना, जैसे-चित्र बनाना, कहानी बढ़ाना आदि।
- बच्चों द्वारा पाठ्यपुस्तक की गतिविधियाँ करना
- अध्यापक द्वारा किसी संबंधित विषय पर कोई अन्य कविता या कहानी सुनाना/गाना।

❑❑❑

7

दृश्य एवं प्रदर्शन कला द्वारा शिक्षण

शर्बरी बैनर्जी *

हमारा भारतीय समाज विभिन्न संस्कृतियों से ओतप्रोत है इसमें प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही अपने परिवार, समाज तथा स्कूल के वातावरण में संस्कृति एवं कला के विभिन्न पहलुओं को देखता और समझता है। ये सभी उसे सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बचपन से ही बच्चे को आकृष्ट करने वाली विभिन्न कलाओं को यदि कक्षा में भी स्थान मिले तो सीखना बच्चे के लिए सरल और आनंदमय बन सकता है। कैसे? जानने के लिए पढ़िए यह लेख।

भारतीय समाज सांस्कृतिक कार्यकलापों से ओतप्रोत है। इस देश का हर व्यक्ति जन्म से अपने आसपास विविध संस्कृति के पहलुओं को देख जीवन की राह में अग्रसर होता है। भारत की संस्कृति दृश्य एवं प्रदर्शन कलाओं से भरपूर है। बच्चे के जन्म से मृत्यु तक हर पहलू में ऋतुओं के आगमन के उत्सव, देवी-देवताओं के पूजन, फसल बोने एवं कटने के उत्सव, साज-सज्जा कपड़ों का बुनना, खिलौनों की बनावट, बर्तनों की बनावट और भी कई क्रियाकलापों में 'कला का समावेश' है। संगीत, नृत्य, कविताएँ, शिल्प परंपराएँ, रंगमंच यह सब कुछ हमें अपनी संस्कृति से विरासत में मिली है। विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ हमारी तरह की रम्य संस्कृति पाई जाती है। प्रत्येक प्रदेश की लोकशैली है, लोककलाएँ हैं, लोकगीत हैं और लोककथाएँ हैं। परंतु अहम् प्रश्न यह है कि क्या हम इस विरासत का लाभ उठा रहे हैं? इतनी विविध एवं समृद्ध संस्कृति को क्या हम सही व्यवहार में ला रहे हैं?

भारत सरकार इस मुद्दे पर स्वाधीनता के उपरांत से ही इस दिशा में कई उपक्रम किए है। हमारी राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा -2005 कहती है कि "अगर अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को उसकी विविधता और समृद्धता सहित बचाए रखना है तो औपचारिक शिक्षा में कला शिक्षा को तत्काल समेकित करना होगा।..... बच्चे भाषा, प्रकृति के रूपों की खोज, स्वयं की और अन्य की समझ आदि को कला के माध्यम से आसानी से विकसित कर सकते हैं।"

इस सबके बावजूद हम विद्यालयों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, अध्यापक/अध्यापिकाओं के अध्यापन में इसका अभाव पाते हैं। जिस संस्कृति से

* *प्रवक्ता*, कला एवं सौन्दर्य शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली- 110016

हम सराबोर हैं उसका सद्व्यवहार शिक्षा में भली तरह नहीं करते। क्या कारण है हमारे इस आचरण का? क्यों नहीं अपनाते कला का माध्यम जिससे शिक्षा आनंदमय हो जाए, सजीव बन जाए? हमारे पास कलाओं का खज़ाना है जो एक परिपक्व माध्यम है सिर्फ़ सौंदर्य और आनंद के लिए ही नहीं, संसार के सभी क्षेत्रों के ज्ञान के लिए भी ज़रुरी है - जैसे समाज के रीति-रिवाज़, प्रकृति की गूढ़ बातें, मनुष्य का चिंतनभाव आदि। एक संपूर्ण, सुशील, समग्र व्यक्तित्व के लिए कलाओं का माध्यम आवश्यक है। मुझे अनुभव है कि कुछ शिक्षक/शिक्षिकाएँ कलाओं का भलीभाँति उपयोग करते हैं। आइए उसी अनुभव को जानें और समझे कि किस तरह कला-शिक्षा का माध्यम सजीव एवं रुचिकर होता है।

सूखा मिट्टी का मैदान जिसमें रह-रहकर धूल उड़ रही है। कहीं-कहीं उसमें छोटे-छोटे खण्डों पर घास भी उगी हुई है। विद्यालय की चारदिवारी के आस-पास पेड़ों की कतार है। पेड़ बहुत अधिक नहीं हैं लेकिन थोड़े बहुत हैं। कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ काफ़ी पुराने हैं। इन्हीं पेड़ों की कतार के एक पेड़ के नीचे पीयूषा जी, जो इस प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका हैं बच्चों के साथ एक झुंड में खड़ी हैं। चुलबुले, छोटे-छोटे बच्चे पीयूषा जी से बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कभी-कभी सुन भी रहे हैं। इनके चेहरों की मुस्कान और भोलापन पीयूषा जी के लिए जीवनदायिनी जड़ीबूटी है। उनकी शैतानियाँ, उल्टी-पुलटी मज़ेदार बातों से उनकी ज़िंदगी हरी-भरी महसूस होती है।

थोड़ी ही दूरी पर स्कूल का माली बुंदू जो हाथ में बड़ी नली लेकर पेड़-पौधों, क्यारियों, झाड़ियों और ऊँचे-ऊँचे पेड़ों पर पानी डाल रहा है। बसंत चारों ओर अपनी छटा दिखा रहा है। लाल, पीले, गुलाबी, जामुनी रंग चारों ओर बिखरे हुए हैं। छोटी-छोटी क्यारियों में मौसमी बहार दिख रही है। तभी, पास ही पेड़ पर बैठी कोयल कूक उठती है। कूक की गूँज चारों ओर मुखरित होती है। तीन-चार बार कूक गूँजते ही बच्चे भी उस ओर आकृष्ट होते हैं। इस मधुर आवाज़ को सुनकर बच्चे उल्लास से कोयल की कूक की नकल करने लगते हैं। कोयल और बच्चों के बीच कुछ समय तक युगलबंदी चलती है। ऐसे मदहोश माहौल में सभी तरह-तरह से खुशी की अभिव्यक्ति करते हैं। तब पीयूषा जी सभी बच्चों को चुप होने को कहती हैं। थोड़ा शोर करने के बाद सभी बच्चे धीरे-धीरे चुप हो जाते हैं। तभी एक गीत की कुछ पंक्तियाँ उन्हें याद आती हैं जो बचपन में उनके विद्यालय में संगीत की शिक्षिका ने सिखाई थीं। तब तो ज़बरदस्ती सिखाया गया था लेकिन आज वही गीत इन बच्चों को सिखाने को जी कर रहा है। "स्मृति सदा ही सुखद होती है।" बच्चों को पेड़ के नीचे बिठाकर पीयूषा जी ने गीत गुनगुनाना शुरु किया-

"कूके लगी कोयल।
कदंबन पे बैठी फेरी।।
पवन चलन लागे फेरि।
झूम-झूम सरसै लगे।।

कूकै लगी कोयल।
देखी कै संजोगी यही।
हरी भई भूमि सारी।
जन हिय हरसै लगे।।
पवन चलन लागी फेरि।
झूम-झूम सरसै लगे।
कूकै लगी कोयल।।

धीमे स्वर में गुनगुनाहट से शुरु हुआ गीत कब उनके होठों से थोड़े ऊँचे स्वर में निकलने लगा कि उन्हें स्वयं भी पता नहीं चला। गीत समाप्त होते होते बच्चे एकदम उत्साह से भर उठे और लय के साथ ताली बजाने लगे। पीयूषा जी ने भी खुश होकर एक-एक पंक्ति दोहराकर उनकों गीत सिखाना शुरु किया। कुछ बच्चे खड़े होकर झूमने लगे, गाने लगे, कुछ ताल के साथ धीरे-धीरे नाचने लगे। पास खड़ा माली भी यह दृश्य देखकर बहुत खुश हो रहा था और वह मन ही मन गुनगुना रहा था। कुछ ही देर में बच्चों को यह गीत याद हो गया। तत्पश्चात् पीयूषा जी ने, गीत का अर्थ समझाया और बसंत ऋतु में कोयल की मधुर आवाज़ के बारे में बताया कि कोयल केवल बसंत ऋतु में ही नहीं सावन में भी कूकती है। इन सब बातों को बताते हुए पीयूषा जी को आज बहुत खुशी हो रही थी। उन्हें बहुत अच्छी तरह गाना नहीं आता था लेकिन थोड़ा लयबद्ध होकर इन बच्चों को जैसे ही उन्होंने गाना सिखाया तो सारा माहौल हर्षोल्लास से भर गया।

झूमते, गाते बच्चों में से एक बच्चे ने बताया कि जब वह पहली कक्षा में पढ़ता था तो 'झूला' नाम से एक कविता सीखी थी। उसकी माँ ने 'झूला' कविता को सुर में ढाला था। उत्तरप्रदेश की उप शास्त्रीय संगीत में झूला भी एक शैली है। उसी शैली में 'झूला' कविता के शब्द जब डाले गए तो अत्यंत श्रुतिमधुर गीत बना था। पीयूषा जी के आग्रह से और साथियों द्वारा आग्रह करने पर उस बच्चे ने 'झूला' गीत सुनाया। पीयूषा जी को अहसास हुआ जिस तरह झूला आगे-पीछे झूमता है उस गाने की लय में भी वही विशिष्टता थी। तभी गीत की शैली 'झूला' नाम से प्रचार में आई। पीयूषा जी को और एक बात महसूस हुई कि "बच्चों के साथ बैठना, बातें करना और हँसी मज़ाक करना भी काफ़ी ज्ञानवर्धक हो सकता है।

आज पीयूषा जी को हर अंदाज़ में अलग ही आनंद आ रहा है। उनके प्रिय लेखकों में से जयशंकर प्रसाद एक हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ एकदम से याद आई तो वह वाणी में नियमित आरोह-अवरोहन से बोलने लगीं-

"नया हृदय है नया समय है, नया कुंज है।
नए कमल-दल बीच नया किंजलक पुंज है।
नया तुम्हारा राग मनोहर श्रुति सुखकारी।
नया कंठ कमनीय वाणी वीणा अनुकारी।।

पीयूषा जी की स्वत: प्रवर्तित इस अभिव्यक्ति से बच्चे खड़े होकर ताली बजाने लगे। और कहने लगे-यह भी हमें सिखा दीजिए। तभी घंटी बज उठी और कक्षा में वापस जाने का समय हो गया। नाचते झूमते बच्चे चलने लगे लेकिन पीयूषा जी भागकर सबसे आगे खड़ी हो गई और हँसकर बोली "लाइन".....

इस प्रकार हम देखते हैं किस तरह से एक अध्यापिका, अपनी सूझबूझ और कल्पनाशक्ति से इन बच्चों को शिक्षा देती है। शिक्षा का माध्यम कला के द्वारा कितना सहज, स्फूर्ति तथा उल्लासपूर्ण, ज्ञानवर्धक और रोचक हो जाता है। हम सबने अपने जीवन में कितने ही गीत सीखे हैं, रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत किए हैं। आइए, उन सब क्षणों को याद करें और उन सभी अनुभवों को अपनी कक्षा में अपने बच्चों को भी दें।

अक्सर सुनने में आता है बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते या थोड़ा बहुत पढ़-लिखकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कला के द्वारा हम पाठ्यक्रम को इस तरह सजाएँ कि बच्चों का स्कूल के प्रति झुकाव बढ़े। स्कूल में बच्चों को बनाए रखने के लिए सिर्फ़ ज्ञान की बड़ी बातें न बताएँ। उन्हें हँसी-खुशी, रुचिकर-सहज बातें इस तरह बताएँ कि वह उन बातों को समझ पाएँ और अधिक जानकारी के लिए आग्रही हो उठें।

कलाओं के विभिन्न पहलू जैसे - चित्राकंन, संगीत, नृत्य, नाटक के द्वारा हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बहुत-सी गूढ़ बातें बच्चों को खेल-खेल में समझाई जा सकती हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - 2005 के अनुसार दृश्य और प्रदर्शन दोनों ही कलाओं को पाठयचर्या में शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए जाने की ज़रूरत है। "..... कला के अंतर्गत, संगीत, नृत्य, दृश्य-कला और नाटक इन सभी को शामिल किया जाना चाहिए।..... बच्चों में भाषा, प्रकृति के रूपों की खोज और अन्य की समझ आदि को कला के माध्यम से आसानी से विकसित कर सकते हैं, कला की प्रकृति ही ऐसी होती है कि सभी बच्चे उसमें भागीदारी कर सकते हैं।....."

स्कूल के सभी स्तरों में और विविध विषयों में कला के विविध माध्यम और स्वरूप बच्चों को खेल-खेल मे विकसित होने में मदद करते हैं। उन्हें अभिव्यक्ति के कई रास्ते सिखाते हैं। और भी एक बात बहुत गहन है जिस पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - 2005 की समीक्षा प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों में कला-शिक्षा के विभिन्न आयामों पर कलाओं के राष्ट्रीय फ़ोकस समूह ने विचार किया -

"हमारी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को उसकी विविधताओं और समृद्धि के साथ बचाए रखने के लिए एवं उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने तथा उसके समुचित विकास की दृष्टि से कला का अपना अमूल्य योगदान है।"

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1968, 1986, 1992 में बनाई एवं सभी नीतियों में शिक्षा एवं कलाओं को महत्त्व दिया है। सरकार की सर्व शिक्षा अभियान नीति जिसका मूलमंत्र है "सब पढ़ें सब बढ़ें" में शिक्षा को सहज एवं रुचिकर बनाने पर ध्यान देना आवश्यक समझा गया। इस संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005 में कलाओं की भूमिका एवं स्थिति पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। जिन्हें लगभग एक सदी पहले 'पाठ्यक्रम-सहगामी' क्षेत्र की परिधि में डाल दिया गया था। बढ़ते बच्चों की रचनात्मकता का प्रमुख भाग है 'सौंदर्यबोध एवं अनुभव'। इसलिए

हमें कलाओं को बाकायदा पाठ्यचर्या के क्षेत्र में लाना होगा-उन्हें अधिगम के सभी क्षेत्रों में समाहित कर विभिन्न अवस्थाओं में प्रासंगिक कलाओं को उनकी पहचान देनी होगी। विचारधाराओं को लिपिबद्ध कर हम सफ़लता नहीं पा सकते। सरकार ने अनेक नीतियाँ एवं योजनाएँ भी बताई हैं जैसे शिक्षा का अधिकार (Right to Education Act) जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कला द्वारा शिक्षा एवं कला की शिक्षा से प्राप्त अनेक लाभों का विवरण दिया गया है लेकिन ऐसी योजनाओं को व्यवहारिक कौन बनाएगा - अध्यापक - अध्यापिकाएँ। इन योजनाओं को सरकार लिपिबद्ध कर सकती हैं। लेकिन अध्यापक-अध्यापिकाएँ इसमें सबसे सशक्त कड़ी हैं। जो कुछ कार्यान्वित होना है वह पीयूषा जी जैसे प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिका ही कर सकते हैं। थोड़ी-सी सूझबूझ, सृजनात्मक चिंतन और बच्चों से प्यार, सारे माहौल में तबदीली ला सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक/शिक्षिकाएँ अपने स्वयं के ज्ञान, आसपास रहने वाले कलाकारों की भागीदारी और पाठ्यक्रम में अर्न्तविषय के समागम से बच्चों को श्रेष्ठतम शिक्षा दे सकते हैं।

पी.जे. हिल्स के अनुसार - "शिक्षा का संचार एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों पक्ष अपने समाज की निपुणता, मानक और आदर्श की व्याख्या करते हैं।"

कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है - "भावरस को समझने के लिए हमारा हृदय सदा व्याकुल रहता है। हम कविता, संगीत, शिल्पकला, कहानी आदि से बहुत-सी विधियाँ अपना सकते हैं और भाव एवं रसों का संभोग करने के आयोजन में जुट सकते हैं।

❑❑❑

8

पृथ्वी ग्रह का शिक्षण – जानकारी और अनुभव की लड़ाई

मुकेश मालवीय*

बच्चों को भूगोल विषय पढ़ना कठिन लगता है। उनकी शब्दावली में कहें तो ''जो दिमाग से गोल हो जाए'' वह भूगोल है। लेकिन शिक्षक यदि अपने विषय को मनोरंजक बनाकर पढ़ाता है तो न केवल बच्चों की रुचि उस विषय के प्रति जागृत होती है बल्कि उनके मन की गहराइयों में छिपे – सूरज रोज़ वापस उसी जगह कैसे उगता है?, वह रात में कहाँ जाता है? पृथ्वी गोल है या चपटी? जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने की ललक भी पैदा होती है। एक शिक्षक विषय को कैसे रोचक बना सकता है, जानने के लिए पढ़िए यह लेख।

मैं माध्यमिक कक्षाओं का शिक्षक हूँ। इन कक्षाओं में शिक्षण द्वारा बच्चों को पृथ्वी के बारे में तमाम जानकारियाँ दी जाती है जो कि उनके अनुभव से मेल नहीं खाती हैं।

- पृथ्वी एक ग्रह है।
- पृथ्वी पर तीन भाग पानी और एक भाग ज़मीन है।
- पृथ्वी गोल है।
- पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है।
- पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
- पृथ्वी के धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं।

इस तरह की और भी कई जानकारियाँ हैं, जिन्हें हम समझने-समझाने की कोशिश में अगर अवलोकन और अनुभव का सहारा लें, तो विवाद होगा ही। तो क्या इस मामले में बड़ों की बात मान लेना ही सिर्फ़ एक रास्ता बचता है?

बच्चों की पृथ्वी

जब मैंने अपनी कक्षा में बच्चों से पूछा –

- पृथ्वी के बारे में बताओ?
- पृथ्वी का क्या मतलब है?

बच्चों के जबाव थे –

- पृथ्वी यानी जमीन।
- पृथ्वी का मतलब भूमि है।
- हम सब जिस पर रहते हैं, वह पृथ्वी है।
- पृथ्वी पर मनुष्य, पेड़-पौधे, जीव-जंतु रहते हैं।

इन जवाबों से दो दिशाओं में बातचीत आगे बढ़ी

- पृथ्वी ज़मीन के अलावा भी कुछ है या नहीं?
- पृथ्वी पर क्या-क्या है?

1. ज़मीन के अलावा भी कुछ है पृथ्वी?

मैंने बच्चों से पूछा की ज़मीन के अलावा क्या हम पृथ्वी में कुछ और शामिल कर सकते हैं? मेरा आग्रह था कि बच्चे पानी कहेंगे। परंतु किसी ने पानी के बारे में नहीं सोचा।

* *शिक्षक*, शासकीय माध्यमिक शाला पहावाड़ी, ब्लॉक शाहपुर जिला बैतूल मध्यप्रदेश-460440

- मैं–क्या पृथ्वी में पानी नहीं है? जैसे–नदी, तालाब समुद्र में।
- बच्चे–हाँ है, परंतु पानी के नीचे तो ज़मीन ही होगी।
- मैं–लेकिन ज़मीन के अंदर भी तो पानी निकलता है, जैसे–कुआँ या हैंडपंप खोदने पर।
- बच्चे–हाँ! पर पानी के नीचे ज़मीन नहीं होगी तो पानी रुकेगा किस पर।
- हर जगह पर ज़मीन के अंदर पानी नहीं निकलता।
- मैं–तो क्या पृथ्वी का मतलब पानी से नहीं है।
- बच्चे–पानी पृथ्वी पर है।
- मैं–अच्छा! और हवा! हवा को पृथ्वी में शामिल करेंगे?
- बच्चे–हवा तो पृथ्वी के ऊपर है।
- मैं–हवा क्या करती है पृथ्वी पर? हवा न हो तो क्या होगा?
- बच्चे–सब मर जाएँगे। मनुष्य, जीव–जंतु पेड़–पौधे सभी
- मैं–तो जीवन के लिए हवा ज़रूरी है। जीवन के लिए क्या पानी भी ज़रूरी है?
- बच्चे–हाँ! पानी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते।
- मैं–जीवन के लिए और क्या जरुरी है।
- बच्चे–खाने–पीने की चीज़ें, भोजन
- मैं–खाने–पीने की चीजें, भी तो हवा, पानी और ज़मीन से ही बनती हैं।

इस तरह की कुछ बातचीत के बाद हम फिर इस सवाल पर लौटे कि पृथ्वी का मतलब क्या हुआ?

बच्चों ने पृथ्वी में ज़मीन, पानी, हवा, जीव और पेड़–पौधों को शामिल किया।

इसी बातचीत से हमारी पृथ्वी में निर्जीव वस्तुएँ भी शामिल हो गईं। इस तार्किक संवाद से पृथ्वी के बारे में यह आम सहमति बनी कि पृथ्वी ऐसी जगह है, जहाँ ज़मीन, हवा, पानी, जीवित तथा निर्जीव चीज़ें है।

पृथ्वी का आकार

एक दिन कक्षा में पृथ्वी के आकार पर बातचीत हुई।

सोचो, पृथ्वी कितनी बड़ी होगी?

बच्चों ने कहा, "बहुत बड़ी है।" एक बच्चे ने कहा, "पूरी दुनिया इसमें आ जाती है।" एक ने कहा, "आकाश जितना बड़ा है, उतनी बड़ी है पृथ्वी।

बहुत बड़ी का कुछ अंदाज

इस बड़ी पृथ्वी का अंदाज़ लगाने के लिए हमने जगह की समझ के कुछ अनुभवों पर बातचीत की।

हमारा गाँव कितना बड़ा है?

यह अनुमान लगाया गया कि हमारा गाँव लगभग दो किलोमीटर लंबा तथा तीन किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें घर, खेत, नदी, कुँए, खाली जगह आदि हैं। यानी लगभग छः वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का गाँव है।

ऐसे कितने गाँव पृथ्वी पर आ सकते हैं?

बच्चों का अंदाज़ा बढ़ते–बढ़ते 1000 तक पहुँचा। इस हिसाब से हमने गणना की, तो पृथ्वी का क्षेत्रफल 6000 वर्ग किलोमीटर हुआ।

पृथ्वी का सही क्षेत्रफल लगभग 510000000 वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से हमने गणना करके पता लगाया कि पृथ्वी पर पहावाड़ी जैसे 6 वर्ग किलोमीटर के 85000000 गाँव आ सकते हैं, परंतु हमें मालूम है कि पृथ्वी पर सब जगह ज़मीन नहीं है इसके बहुत बड़े हिस्से में पानी है।

मैंने बच्चों को बताया, 'कुछ लोगों ने गणना करके यह पता लगाया है कि पृथ्वी के कुल ज़मीन वाले क्षेत्र से पानी वाला क्षेत्र तीन गुना अधिक है। इस दोनों क्षेत्रों की जगह का अनुमान भी हमने, हमारे गाँव के क्षेत्र से तुलना करके किया।

अब मैं एक ज़्यादा मुश्किल सवाल पर था कि पूरी पृथ्वी कैसी है? इस सवाल का जबाव सभी बच्चों के पास था कि पृथ्वी गोल है। यह सोचने पर आधारित जबाव था, जिसकी समझ और बोध के लिए हमने कुछ परिस्थितियों पर बातचीत की।

हम अपने चारों तरफ कहीं भी जाएँ पृथ्वी सपाट ही दिखती है, तो हम कैसे मानें कि पृथ्वी गोल है? 'पृथ्वी गोल है', इसका क्या आधार है?

बच्चों ने कहा, "हमने सुना है कि पृथ्वी गोल हैं" परंतु हमको लगता है कि पृथ्वी चपटी है।

कुछ देर की बातचीत से हमें एक आइडिया मिला। आइडिया एक प्रश्न था। हम कैसे पता करते हैं कि कोई वस्तु गोल है या चपटी?

- हमने एक किताब ली और पूछा कि यह गोल है या चपटी?
- बच्चों ने कहा–चपटी।
- क्यों ?
- इसकी सतह चपटी है।
- अब हमने प्लेट ली। बच्चों ने इसे गोल कहा।
- क्यों ?

इसका किनारा गोल है।

मैं–परंतु सतह तो इसकी चपटी है।

बच्चे–हाँ!

मैं–तो क्या हमारी पृथ्वी गोल है? पृथ्वी प्लेट की तरह गोल है ?

हमें पृथ्वी के किनारे देखकर पता चल सकता है कि पृथ्वी गोल है।

परंतु पृथ्वी के किनारे कैसे देखें? पृथ्वी तो बहुत बड़ी है!

कुछ देर में एक बच्ची ने कहा, "चिड़िया देख सकती है।" इस तर्क के आधार पर दूसरे ने कहा, "हवाईजहाज़" से देख सकते हैं? फिर एक प्रश्न उठा कि पृथ्वी के नीचे क्या है?

तभी मुझे याद आया कि इसी तरह के प्रश्नों वाला एक लेख मैंने शैक्षिक पत्रिका संदर्भ में पढ़ा था। घर आकर मैंने संदर्भ का वह अंक खोजा। दीपक वर्मा के इस लेख से हमें पृथ्वी को गोल बनाने में बहुत मदद मिली। इस लेख के अनुसार भी कई सालों तक लोग यही मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। उसके ऊपर उल्टे कटोरे की तरह आकाश रखा है।

इसमें छपे चित्रों को बच्चों को दिखाते हुए हमारी चर्चा आगे बढ़ी।

अगर पृथ्वी को हम इस तरह चपटा मान ले, तब क्या परेशानी होगी?

सूरज का हर रोज़ पूर्व से निकलना और रात में दिखाई न देना दो सवाल खड़े करता है।

1. सूरज रोज़ कैसे उसी जगह वापस उगने आ जाता है?
2. सूरज रात में कहाँ जाता है?

बच्चों से इनके तार्किक उत्तरों पर संवाद हुआ। इन सवालों के उत्तर में कई कहानियाँ उन पुराने दिनों में प्रचलित थी। इन कहानियों पर भी बातचीत हुई। इस संदर्भ में इस पर भी हमारी बात हुई कि पृथ्वी के नीचे क्या है?

चपटी धरती के ऊपर उल्टे कटोरे के समान रखे आकाश की परिकल्पना

चपटी पृथ्वी कितनी मोटी होगी? जब लोगों ने इस परिकल्पना पर सोचना- समझना प्रारंभ किया, तो फिर नए सवाल थे। क्या पृथ्वी के किनारे से आगे जाने पर हम नीचे गिर जाएँगे?

पृथ्वी के किनारे पर तो हर तरफ़ पानी था इस पानी को कौन रोके हुए है?

यह चपटी पृथ्वी किस पर टिकी है? इन सवालों के उत्तर खोजते हुए कुछ लोगों ने तब कटोरीनुमा पृथ्वी की परिकल्पना भी की।

परंतु चाँद के आकार के बदलाव की नियमितता और चंद्रग्रहण के रहस्यों पर तर्क ने पृथ्वी के गोल होने का कुछ रास्ता खोला। वहीं कुछ लोगों ने आसमान की बजाए पृथ्वी पर दूर जाते हुए जहाज़ पर गौर किया। दूर जाते हुए जहाज़ से अवलोकन पृथ्वी के गोल होने के तर्क की पुष्टि होती थी। इस तरह पृथ्वी के गोल होने के तर्क पर हमने इस संदर्भ सामग्री के साथ संवाद, तर्क, प्रश्न, प्रतिप्रश्न, के ज़रिए पृथ्वी के गोल होने की जानकारी को कुछ नज़दीक से समझने की कोशिश की।

पृथ्वी की गति- जब मुझे पृथ्वी की गति पर बच्चों से बातचीत करनी थी, तब मैंने सोचा कि मैं क्या जानता हूँ इस बारे में? यही कि पृथ्वी की दो तरह की गतियाँ हैं- सूर्य के चक्कर लगाना और खुद के अक्ष पर घूमना। इन गतियों में लगने वाले समय की जानकारी है मुझे बस। पाठ्यपुस्तकों में भी कुछ इसी तरह की जानकारियाँ हैं।

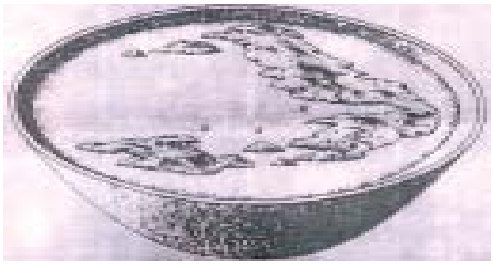

कटोरी जैसे उठे हुए किनारे वाली पृथ्वी की परिकल्पना

हमारे अनुभव में हम पृथ्वी की गति को कैसे महसूस करें, इसके लिए मुझे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत लगी। इसके लिए मैंने पुस्तकालय में पृथ्वी की गति से संबंधित किताबें खोजीं। अपने सहकर्मियों से भी बात की।

मुझे फिर शैक्षिक पत्रिका *सदंर्भ* से मदद मिली। धरती का घूमने ने वाकई चक्कर में डाल दिया था। अनिता रामपाल के इस लेख की मदद से हमारी कक्षा में रोचक बातें हुईं। सापेक्ष गति, पृथ्वी का अपने पूरे वायुमंडल के साथ घूमना और कुछ सरल प्रयोग करके हमने पृथ्वी की गति पर कुछ सहमति बनाई। ❑❑❑

9

भाषा और गणित

लता अग्रवाल*

गणित जैसे विषय को मनोरंजन के साथ जोड़ा जाना बहुत आवश्यक है। भाषा इस कार्य में एक मददगार भूमिका निभाती है। गणित को यदि भाषा के जादू के साथ जोड़ दिया जाए तो गणित का हौव्वा घटते-घटते शून्य हो जाएगा। कैसे? जानने के लिए पढ़िए यह लेख।

बचपन में खेल-खेल में सीखे गए पहाड़े एवं गिनती आज भी हमें याद हैं। माँ बड़े प्यार से हमें बातों ही बातों में गिनती सिखा देती थीं जैसे-

एक, दो, तीन, चार
भैया बने होशियार
पाँच, छः, सात, आठ
दादाजी के देखो ठाठ
नौ, दस, ग्यारह, बारह
मुनिया कहे मुझको क्यूँ मारा?

लो, सीख ली बारह तक गिनती! इसी तरह यह नौ का पहाड़ा लीजिए। यूँ तो पहाड़ों का भूत बच्चों को पहाड़ों से भी ऊँचा लगता है। मगर खेल-खेल में बच्चा कैसे पहाड़े सीख जाता है, वह भी गीत के माध्यम से देखिए-

नौ एकम नौ
नौ दूनी अठारह। एक और आठ हुए नौ
आते हैं, नौ के नौ।
नौ दूनी अठारह
नौ तिये सत्ताइस। दो और सात हुए नौ
आते हैं, नौ के नौ।
नौ तिये सत्ताइस
नौ चौक छत्तीस। तीन और छः हुए नौ
आते हैं, नौ के नौ।
नौ चौक छत्तीस
नौ पाँच पैंतालीस। चार और पाँच हुए नौ
आते हैं, नौ के नौ।
नौ पाँच पैंतालीस
नौ छिक चौव्वन। पाँच और चार हुए नौ
आते हैं, नौ के नौ।
नौ छिक चौव्वन
नौ सात्ते तिरेसठ। छः और तीन हुए नौ
आते हैं, नौ के नौ।
नौ सत्ते तिरेसठ

* लता अग्रवाल, फ्लैट न. 402, भवानी परिसर, इंद्रपुरी, भोपाल

नौ आठे बहत्तर। सात और दो हुए नौ
आते हैं, नौ के नौ।
नौ आठे बहत्तर।
नौ निमे इक्यासी
आठ और एक हुए नौ
आते हैं, नौ के नौ।
नौ निमे इक्यासी।
नौ धाम नब्बे
नौ और शून्य हुए नौ
आते हैं, नौ के नौ।

देखा! यूँ सीखा था हमने नौ का पहाड़ा। मगर आज यह पहाड़ा ही नहीं गणित विषय ही बच्चों को काफ़ी जटिल और रूखा लगता है, जबकि यह एक रोचक विषय है, बशर्ते इसे सही माध्यम से बच्चों तक पहुँचाएँ। निःसंदेह इस हेतु शिक्षक को थोड़ा प्रयास अवश्य करना होगा कि वह विभिन्न विधियों का प्रयोग बच्चों को गणित सिखाने हेतु प्रयुक्त करें।

इस दृष्टि से, यदि हम गणित को भाषा के साथ प्रयुक्त कर कुछ प्रयोग करें तो निश्चय ही सफ़ल हो सकते हैं, क्योंकि भाषा और गणित का प्राचीन संबंध रहा है। जिस तरह भाषा के विकास की कहानी है, वैसे ही गणित के विकास का भी अपना साहित्य और इतिहास है। शिक्षक तरह-तरह की कहानियाँ, किस्से, कविताएँ, चुटकुले, पहेलियाँ, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से इस शुष्क और नीरस कहे जाने वाले विषय को सरल, सहज और ग्राह्य बना सकते हैं। उन्हें यह प्रयास अवश्य करना चाहिए, जिससे छात्रों के बीच न केवल गणित की उपयोगिता बढ़ेगी, वरन् विषय के प्रति उनका आकर्षण भी होगा। इस तरह छात्रों को उपयोगी जानकारियाँ उपलब्ध कराने के साथ हम उनकी विचारशक्ति को भी विकसित कर सकते हैं।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आज पाठ्यक्रम के विस्तार की वजह से शिक्षक सारा ध्यान, सारी ऊर्जा उसे समाप्त करने पर खर्च कर देता है, किंतु एक सफ़ल शिक्षक वही है, जो इतने व्यापक पाठ्यक्रम में से उपायोगी सामग्री निकालकर रुचि और आकर्षक विधियों के द्वारा छात्रों तक पहुँचाते हुए उनमें उत्सुकता जाग्रत करे और उनके मन-मस्तिष्क में ऐसी छाप अंकित करे कि वे स्वयंमेव निरंतर आगे बढ़ते रहें। अँग्रेज़ी में एक कहावत है- 'All work and no play makes jack a dull boy.'

इस आधार पर यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि गणित जैसे विषय को मनोरंजन से जोड़ना बहुत आवश्यक है और इसमें भाषा हमारी सबसे बड़ी मददगार साबित होगी। सुनने में शायद यह बात कुछ अटपटी लगे मगर यह सच है कहते हैं-

'गणित एक व्यायाम है
बुद्धिमान बनाना इसका काम है।'

ऐसे ही कुछ आयाम हमने बच्चों के साथ मिलकर किए और यकीन मानिए, बच्चों ने मिलकर इसका लुत्फ़ उठाया और गणित का हौवा जो उनके मन में बैठा था, वह भी दूर हुआ।

प्रयोग नंबर एक- जादू का खेल

बच्चो, आओ आज तुम्हें कुछ संख्या का जादू दिखलाते हैं, जिसमें अपने द्वारा चुनी

संख्याओं को उल्टा-पुल्टा करने पर भी उनका योग 1089 ही आएगा।

पहले अपने मन में कोई तीन अंकों वाली संख्या सोच लो। माना 562। अब उसके अंको को उल्टे क्रम में लिखो, जैसे-265। इन दोनों में जो छोटी संख्या है, उसे बड़ी संख्या में से घटा दो। अब जो संख्या आए, उसे भी उलटे क्रम में लिख दें। अब इन दोनों संख्याओं का योग करें, तो उत्तर हमेशा 1089 ही होगा चाहे जो भी संख्या (तीन अंकों वाली) आपने ली हो।

अब बच्चों की जिज्ञासा इस खेल में बढ़ेगी और वे स्वविवेक से पुनः किसी नई संख्या के आधार पर इसे करेंगे।

862	संख्या
-268	उल्टा
594	बकाया
+ 495	उल्टा
1089	योग

प्रयोग नंबर दो - पहेलियाँ

पहेलियाँ न केवल बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक होती हैं, बल्कि उनके दिमाग का अच्छा खासा व्यायाम भी करती हैं, इनके प्रति बच्चों की रुचि होती है और साथ ही परस्पर उत्तर देने की होड़ भी रहती है। अतः बच्चों से उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर पहेलियाँ पूछी जाएँ जैसे-

तीतर के दो आगे तीतर

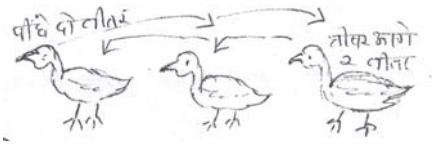

तीतर के दो पीछे तीतर
आगे तीतर पीछे तीतर
बोलो कुल कितने तीतर
जवाब कुल तीन तीतर

या

हम माँ-बेटी, तुम माँ-बेटी
चले बाग को जाएँ
तीन नींबू तोड़ कर

साजी-साजी (पूरा-पूरा) खाएँ।

प्रश्न - हम माँ-बेटी, तुम माँ-बेटी मिलकर तो चार होना चाहिए। तीन नींबू आपस में (पूरे) कैसे खाएँगे?

इसी तरह हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी कुछ लंबे और जटिल लगने वाले प्रश्नों को बड़ी सुगमता से हल कर सकते हैं। ज़रूरत हो, तो चित्रों के माध्यम से भी बच्चों को समझा सकते हैं।

- प्रश्नोत्तर - जैसे (1) एक बुज़ुर्ग व्यक्ति अपनी बकरी तथा एक लड़की के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला, उसने बुज़ुर्ग से तीन सवाल किए, और उनके उत्तर जानने चाहे

1. आपकी उम्र क्या है?
2. बकरी की कीमत क्या है?
3. लड़की से आपका रिश्ता क्या है?

उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में दिया वह शब्द क्या है? यह

प्रश्न बच्चों की सोचने की शक्ति को तेज़ करेगा। देखें, बच्चे क्या और कितना सोचते हैं?

उत्तर होगा - नवासी - (89)

1. बुज़ुर्ग की उम्र नवासी साल है।
2. बकरी की कीमत नवासी रूपये है।
3. लड़की बुज़ुर्ग की नवासी (नातिन) है। (बेटी की बेटी)

(2) दूसरे तरह का प्रश्नोत्तर जिसे बच्चे चित्र के माध्यम से अपनी नोटबुक में बनाकर प्रश्न का हल खोजेंगे। जैसे-

• पापा ने श्याम को स्कूल जाने के लिए एक कागज़ पर नक्शा बना कर दिया। फिर निर्देश दिया कि इस नक्शे पर घर लौटने का मार्ग चिह्नित करो।

• **चुटकुले के माध्यम से (मनोरंजन और गणित)** - बच्चे विज्ञान की कक्षा समाप्त होने पर बेसब्री से गणित की कक्षा के लिए उत्साहित थे कि कब गणित के अध्यापक कक्षा में आए और चुटकुले सुनाएँ। गणित की कक्षा और चुटकुले सुनने में बात कुछ अजीब-सी लग रही है ना! मगर यह सच है। गणित जैसा विषय भी चुटकुलों से जोड़ा जा सकता है।

आइए, देखते हैं-

डाकबाबू ग्राहक से-

कृपया देख लीजिए, लिफ़ाफ़े पर टिकट ठीक लगा है कि नहीं

ग्राहक ने लिपिक से पंद्रह पैसे का टिकट माँगा। लिपिक ने गलती से सुन लिया 'पचास' और पचास पैसे का टिकट दे दिया।

ग्राहक ने भी बगैर ध्यान दिए वह टिकट चिपकाकर डाकबाबू के पास पहुँचा। और बोला, 'साहब देखिए'?

डाकबाबू- साहब! मैंने आपसे पंद्रह (fifteen) पैसे का टिकट लगाने को कहा था, पचास (fifty) का नहीं।'

ग्राहक- 'कोई बात नहीं'! वह फौरन लिपिक से पैंतीस पैसे का टिकट ले आया और पचास पैसे के नीचे (-) घटाने का चिह्न लगाकर चिपका दिया। फिर डाकबाबू के पास पहुँचा और बोला- देखिए, अब तो ठीक है।

डाकबाबू हँस पड़े और बोले-'यह सब क्या है? ग्राहक बोला, 'साहब'! सब ठीक तो है। लगता है, आपका गणित कमज़ोर है। रुकिए, अभी समझाता हूँ। वह लिपिक के पास गया, वहाँ से पंद्रह पैसे का टिकट लिया और जहाँ

50-35 का टिकट लगा था, उसके आगे का चिह्न लगाकर पंद्रह पैसे का टिकट लगा दिया- 50-35=15

और बोला, 'साहब'! अब तो समझ में आया या नहीं?

इस तरह गणित की कक्षा में भी आप बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देख सकते हैं।

चुनौती भरे सवाल-

जब बच्चे रुचि के साथ किसी विषय से जुड़ते हैं तो उनका क्रियात्मक दिमाग अपनी अठखेलियाँ करना शुरू कर देता है। वे खुद भी कुछ नया करना और गढ़ना चाहते हैं, जैसे- उन्होंने यह सवाल रचा, जिसने बच्चों के साथ-साथ शिक्षक को भी अचंभित कर दिया था। जैसे-

पाँच को अँग्रेज़ी में लिखकर रेखाएँ गिनो।

FIVE = इनकी रेखाएँ हैं 10 इनमें से F और E को निकाल दिया। बताओ कितनी रेखाएँ बचीं?

F=3, E=4 बचा IV जो रोमन का अंक है 4 बचा यद्यपि यह नियम के विरुद्ध था नियम के अनुसार IV=3 बचा

यहाँ पर एक तरह से बच्चे का भी उत्तर सही था क्योंकि उसने रोमन IV का अर्थ हिंदी में 4 लिखा था।

शैतानियाँ इतना ही नहीं बच्चे कितने नटखट होते हैं, इस बात को कोई नहीं समझ पाता है। यूँ ही जब बच्चे गणित के रस में डूबे हुए थे, उस समय बच्चों की उद्दण्डता पर जब मैंने उन्हें तेज़ी से डपट दिया था और यह कहकर कक्षा के बाहर आ गई कि अब मैं तुम्हें गणित की कक्षा में कोई कहानी या चुटकुला नहीं सुनाऊँगी, तो जानते हैं, इन बच्चों ने क्या किया? मेरी शह पर मात दी। लघु अवकाश के दौरान एक बच्चा आकर मेरे हाथ में कागज़ की एक पर्ची पकड़ा गया। लाख उलट-पलट करने के बावजूद भी जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया, बस कुछ उल्टे-पुल्टे अंक दिखाई दिए, तब एक बालक ने कहा, 'मैम'! यह अंकों का कमाल है। जरा काँच में देखिए। जब मैंने काँच में देखा तो लिखा था, I am sorry maa'm तो यह थी नन्हे दिमाग की बड़ी शैतानी।

किस्से-कहानियाँ जयपुर की महारानी का एक समारोह के दौरान हँसी-खेल में गले का मोतियों का हार टूट गया। उस हार के एक-तिहाई मोती उनकी दासी के पास पहुँचे। मोतियों का छटवाँ हिस्सा बिस्तर पर ही गिर गया। शेष आधे, फिर शेष आधे फिर उसके भी शेष आधे, इस तरह कुल 6 बार में मोती यहाँ-वहाँ गिरे। माला में केवल 114 मोती रह गए बताओ हार में कितने मोती रह गए?

बच्चे जोड़, घटाना करेंगे। जवाब होगा (3456)

पिकनिक पर इस तरह के सवाल कहीं पिकनिक आदि के दौरान अंताक्षरी के अलावा भी खेले जा सकते हैं। ये केवल मौखिक आधार पर ही होंगे या यदि वहाँ कागज़-कलम की व्यवस्था होने पर कुछ बड़े और चित्रों से जुड़े सवाल भी किए जा सकते हैं। जैसे- यही सवाल लीजिए-

माँ के पास एक सोने का एक पैंडेंट है, जिसकी आकृति दिए गए चित्र के अनुसार है।

वे इस पैंडेंट को अपनी दोनों बेटियों में बाँटना चाहती हैं, मगर उनकी दो शर्त हैं कि दोनों को इसका बराबर हिस्सा मिले और पैंडेट की आकृति भी माँ के पैंडेंट के अनुसार ही रहे।

बताइए, यह कैसे संभव है?

यह तो थी, अंकगणित की बात, जिसे हम साहित्य की गद्य और पद्य दोनों विधाओं से तरह-तरह से सिखा पाते हैं और बच्चे भी इसे ग्रहण करने में रुचि और उत्साह से जुटते हैं, किंतु जब रेखागणित की बात आती है, तो हम प्रकृति के माध्यम से बच्चों को इसका बेहतर ज्ञान दे सकते हैं। फोरियर का एक कथन है कि प्रकृति का गहन अध्ययन गणितीय शोध के लिए अधिक फलदायक स्त्रोत है। पेड़-पौधों की टहनी 'पत्तियों का आकार, सरल सीधी रेखाएँ, भेड़ और बारहसिंगों के समान आड़ी-तिरछी वक्र रेखाएँ, माचिस की तीली से विभिन्न आकृति त्रिभुज, चतुर्भुज कोण आदि की आकृतियाँ इसके अतिरिक्त रेखाओं से चित्र तैयार करके उसके बारे में बच्चे से चर्चा करें।

देखिए! यह चित्र कुछ कह रहा है। अब बच्चे बताएँगे कि यह चित्र क्या कह रहा है। इस पर चर्चा करें। बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर दें। इसे हम चित्र को पढ़ना कह सकते हैं। बच्चे यह जानकर भी खुश होंगे कि रेखाओं के द्वारा इस तरह चित्र बनाया जा सकता है।

कहानी 'गणित के अध्यापक का दंड'

एक गणित अध्यापक वैद्यनाथजी ने अपने बेटे मनमोहनदास को दस का नोट देकर दो किलो टमाटर लाने को बाजार भेजा। अब मनमोहनदास टमाटर तो ले आया मगर बाकी बचे पैसे दुकानकार से लेना भूल गया। अब वैद्यनाथ जी ने मनमोहन दास को एक अनूठी सजा दी।

वह सजा थी टोकरी से हर बार केवल एक टमाटर निकालकर एक ही सीध में इस प्रकार रखो कि पहला टमाटर टोकरी से एक मीटर दूर दूसरा पहले से दो मीटर दूर, तीसरा दूसरे से तीन मीटर दूर और तब तक रखना है जब तक टोकरी खाली न हो जाए फिर इसी क्रम में उन्हें पुनः टोकरी में रखना इस पूरी प्रक्रिया में मोहनदास 88 बार झुका! उफ! इतना झुका कि उसकी कमर ही झुक गई। मगर आपको बताना है कि इस पूरी प्रक्रिया में वह कितने मीटर चला है?

उत्तर- (7.59 कि. मी.)

हमने ऊपर कई प्रयोग बच्चों के साथ किए जैसे कविता, कहानी, प्रसंग, चुटकुले, प्रश्नोत्तरी, पहेली आदि। मगर अन्य शिक्षक इसमें अपने बौद्धिक कौशल का प्रयोग कर इसमें और भी प्रभावकारी परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही इसमें बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है, आज परिवर्तन के दौर में बच्चे नवीन कौशल और तकनीकी के प्रभाव में जल्दी आते हैं और इस क्षेत्र में कई नई और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दे सकते हैं जैसे एस. एम. एस में भी वे तरह-तरह के गणितीय प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब बड़े देने में असमर्थ रहते है। वैसे भी

गणित तो बौद्धिक व्यायाम है। कि किसी भी विषय की प्रतिभा जन्मजात होती है लेकिन यह पोषित भी की जा सकती है। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह जन्मजात होती है और प्रयत्न के द्वारा इसे शिखर तक पहुँचाया जा सकता है किंतु विकास के साधन के और उचित मार्ग दर्शन के अभाव में यह प्रतिभा नष्ट भी हो सकती है यही कारण है कि प्रतिभा जो झोंपडे से लेकर महल तक जन्मजात होती है मगर महलों की प्रतिभा विकसित हो जाती है। आज के विज्ञान और गणित प्रधान युग में जहाँ गणित एक मुख्य विषय के रूप उभर कर सामने आया है वहाँ बच्चों का इसके प्रति रुझान आवश्यक है।

यह सच है कि आरंभ में बाल बुद्धि को यह विषय कुछ जटिल लगता है और यही वह अवस्था होती है जब बच्चों के दिमाग में इस धारणा को घर करने से बचाया भी जा सकता है। यूँ तो वैदिक गणित भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। मगर हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चों को सहज और रुचिकर माध्यमों से यह ज्ञान पहुँचाए। इस दिशा में भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि चाहे किसी भी क्षेत्र का बच्चा हो, भाषा उसके ज्ञान का प्रमुख आधार होती है। जब भाषा को गणित से जोड़ा जाएगा तो गणित जैसा विषय भी रससिक्त हो जएगा।

❑❑❑

10

ikFkfed Lrj ij dk;kuHko dh xfrfof/k;k & iLrkfor ;k fu/kkfjr

'kkjnk dekjh*

कक्षा में पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता देना आवश्यक है। इस प्रकार की स्वतंत्रता से जहाँ बच्चों को अपनी पसंद का कार्य करने का अवसर मिलता है, वहीं वे समूह में रहकर कार्य करना भी सीखते हैं, और गुमसुम रहने वाले बच्चे भी अपनी रुचि के कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव की गतिविधियाँ कराई जाती हैं। क्या हों ये गतिविधियाँ? इन्हें कैसे करवाया जाए? इन्हीं सवालों का जवाब दे रहा है यह लेख।

पश्चिमी दिल्ली का प्राथमिक विद्यालय और उसकी पाँचवी कक्षा का दृश्य है। कक्षा के कुछ विद्यार्थी बड़ी तल्लीनता से किसी कार्यकलाप में जुटे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी कक्षा के कोने में अनमने भाव से बैठे हैं और कुछ अपने बस्ते में से सामान निकालते हैं, उसे देखते हैं फिर निराश होकर वापिस बस्ते में डाल देते हैं। शिक्षिका का ध्यान इन दोनों समूहों की ओर नहीं है। वह बीच-बीच में उपेक्षित-सी नज़र इन बच्चों पर डालती हैं और कुछ कठोरता के साथ कहती हैं, "कल सामान ज़रूर लाना, नहीं तो कक्षा के बाहर खड़ा कर दूँगी।" बच्चों के मुख पर पुनः एक बेचैनी और निराशा एक साथ हो उठती है। क्या इस दृश्य से आप कुछ अनुमान लगा पाए?

आपको अनुमान लगाने में हम कुछ मदद करते हैं। दरअसल, अध्यापिका यहाँ कार्यानुभव से संबंधित कार्यकलाप करवा रही है-

"अनुपयोगी से उपयोगी सामग्री बनाना (Utility Article with Waste material) इस कार्य हेतु उन्होंने बच्चों को सामग्री की एक सूची दी थी। सूची इस प्रकार थी-

- आधा मीटर जूट
- सात-आठ सरकंडे
- सूखी तुरई
- गोल और चौकोर शीशे
- लाल रंग की कतरनें और काले रंग का ऊन का गोल

फेविकोल, कैंची, पैमाना, पैंसिल इत्यादि सामान की सूची अध्यापिका ने छात्रों एक सप्ताह पहले ही दे दी थी और बीच-बीच में बच्चों को सामग्री एकत्रित करने के लिए याद भी दिलवाती रहीं। परंतु निश्चित दिन सभी बच्चे आवश्यक सामग्री लाने में असमर्थ रहे।

जो बच्चे सामग्री ले आए वे अध्यापिका के

* वरिष्ठ प्रवक्ता, मं.शि.प्र.सं., आर.के.पुरम., नयी दिल्ली

विशेष पात्र बनकर कार्यकलाप में जुटे नज़र आए। कुछ विद्यार्थी थोड़ी बहुत सामग्री जुटा पाए थे, वे बार-बार अपने बस्ते में सामग्री को उलट-पलट रहे थे, इस आशा से कि जादू से कुछ और बस्ते के अंदर आ जाए। और कुछ भी न ला पाने वाले अनमने भाव से एक ओर बैठे नज़र आए।

आप विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में एक विशेष समझ रखते हैं। क्या आप उन कारणों की चर्चा कर सकते हैं जिनके रहते कुछ बच्चे सभी वस्तुएँ ला पाए, कम ला पाए और कुछ ला ही नहीं पाए?

- संभवतया: निर्धारित समय पर सभी प्रकार की सामग्री ला पाने वाले बच्चों के माता-पिता उनकी पढ़ाई के विषय में विशेष रूप से जागरूक और शायद आर्थिक दृष्टि से सबल होंगे।
- संभवत: अध्यापिका द्वारा कही गई प्रत्येक सामग्री न ला पाने वाले बच्चों के परिवेश में वे सरलता से उपलब्ध न हों और बाज़ार से खरीदने की सामर्थ्य न रखते हों।
- यह भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे इस सामग्री की अपेक्षा कुछ और विकल्प खोजना चाह रहे हों। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें इस प्रकार की सामग्री के साथ कार्य करने की तनिक भी रुचि न हो। और भी कारण हो सकते हैं।

आपके सामने एक और दृश्य प्रस्तुत है। छठी कक्षा में कार्यानुभव का सत्र है और कार्यकलाप का नाम है-'श्यामपट्ट की पुताई'

कक्षा में सभी बच्चों का उत्साह देखते बन रहा है। एक आम सहमति से यह प्रस्ताव पारित हुए-

- कुछ बच्चे बैटरी के पुराने सैल इकëा करेंगे,
- कुछ बच्चे सैल के अंदर की कालिख का पाउडर बनाएंगे,
- कुछ बच्चे घोल बनाने के लिए बाल्टी/डिब्बा और एक-दो पुराने कपड़े लाएंगे।
- कुछ बच्चे पुताई का कार्य करेंगे।

सबसे रुचिकर बात यह है कि इस कक्षा में एक पोलियोग्रस्त विद्यार्थी थी, उसे भी उत्तरदायित्व दिया गया। अर्थात् सभी को किसी न किसी प्रकार का काम दिया गया और सभी एक उत्तरदायित्व की भावना के साथ काम पूरा करने में जुटे थे।

दोनों ही स्थितियों में कार्यानुभव संबंधी गतिविधियाँ चल रही हैं।

पहली स्थिति में

सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि एक विशेष प्रकार की सामग्री लाने का दबाव था।

दूसरी स्थिति में

सभी बच्चों की बराबर की भागीदारी के साथ-साथ सभी में एक विशेष प्रकार का उत्साह था क्योंकि-

- बच्चों ने कार्यकलाप हेतु कुछ खरीदना नहीं था वरन् अपने आसपास ही खोजना था।
- बच्चों को स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई थी।
- किसी विद्यार्थी विशेष से यह अपेक्षा नहीं की गई कि वह ही बैटरी के सेल खोजे, पुराने कपड़े लाए या कोई अन्य कार्य करे वरन्

बच्चों ने अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार कार्यों का चुनाव किया।

- बच्चों के समक्ष कार्यकलाप के उद्देश्य एकदम स्पष्ट थे - अपनी कक्षा के श्यामपê की पुताई करना।
- इस कार्यकलाप में कक्षा के सभी बच्चों के करने के लिए 'कुछ-न-कुछ' अवश्य था। ऐसा नहीं था कि एक विशेष प्रकार की रुचि रखने वाले बच्चे ही इस कार्य को कर सकते हों।

ऊपर उल्लिखित उदाहरणों के आधार पर हम सरलतापूर्वक उन आवश्यक मापदण्डों के बारे में जान सकते हैं जिनके आधार पर कार्य अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत करवाई जाने वाली गतिविधियों का चयन किया जाए-

1. सर्वप्रथम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि करवाए जाने वाले कार्यलाप में 'कार्यानुभव' के उद्देश्य निहित हों। कार्य अनुभव का प्रत्येक कार्यकलाप सोद्देश्य और अर्थपूर्ण होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि हर कार्यकलाप से सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती हो।
2. कार्य अनुभव के कार्यकलापों का चयन करते समय हमारे लिए उन बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश की जानकारी तथा समझ बहुत आवश्यक है जिनसे कार्यकलाप करवाए जाने हैं।

आप कारण अवश्य जानना चाहेंगे।

एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से 'डॉल कार्नर' (गुड़िया का कोना) बनवाए जाने के प्रति बहुत ही उत्साहित थीं। इस कार्यकलाप हेतु बहुत-सी सामग्री तो वे स्वयं घर से लाईं पर विद्यार्थी उनकी कल्पना को साकार रूप नहीं दे पा रहे थे। ऐसा नहीं कि 'डॉल कार्नर' बनाने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण नहीं थी। बच्चे मिल-जुलकर रंग योजना पर विचार करते, डॉल कार्नर में रखी जाने वाली वस्तुओं के आकार-प्रकार, रूप आदि के समायोजन पर विचार करते, वस्तुओं के स्रोतों और उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने गुमसुम रहने वाले बच्चे भी पर सोचिए एक या दो कमरों के मकान में अथवा स्लम संस्कृति में पनपने वाले बच्चे, जिनकी डॉल (गुड़िया) आम तौर पर डंडी पर लिपटी हुई पुरानी कतरन होती है और उस पर कालिख या काले डोरे से आँख, बाल आदि बना दिए जाते हैं, किसी सजे-सजाए पृथक् 'डॉल कार्नर' की कल्पना को साकार कैसे कर सकती है? वे तरह-तरह की कतरनों या रूई या फिर ऊन आदि से आकर्षक गुड़िया/गुड्डा तो बना सकेंगे परंतु सोफासेट पलंग, परदों वाला 'डॉल कार्नर' बनाने में पूरी तरह सक्रिय न हो पाएँगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यकालाप बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में प्रासंगिक हों। वे उनके सामाजिक सरोकारों को प्रतिबिंबित भी करते हों।

पूर्वग्रहों और असंतुलनों से दूर

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान अनेक शिक्षकों से खुल कर चर्चा करने के अवसर प्राप्त होते हैं। उनके साथ की गई चर्चाओं के आधार पर यह बात एकदम स्पष्ट है कि हममें से अधिकांश शिक्षक अनेक प्रकार के पूर्वग्रहों से ग्रस्त हैं। उदाहरण के तौर पर एक मुख्य अध्यापिका नेतृत्व की भावना से जुड़े कार्य

जैसे बालसभा का आयोजन, विद्यार्थियों की पंक्तियाँ बनवाना, ड्रिल, व्यायाम आदि करवाना लड़कों से ही करवाती हैं, क्योंकि उनके अनुसार लड़कियाँ इस प्रकार के कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकतीं। वे लड़कियों से सफ़ाई, पानी का प्रबंध, पुष्पसज्जा आदि कार्य करवाती हैं। इसी प्रकार एक अध्यापक बागवानी से जुड़े कार्यों में लड़कियों को सम्मिलित नहीं करते और कक्षा में यदि शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे भी हैं तब उन्हें तो यह कहकर छोड़ दिया जाता है-"अरे, तुम तो कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें तकलीफ़ होगी उठने बैठने में। तुम रहने दो।"

हमें इन सभी पूर्वग्रहों और भेदभाव से मुक्त होने के लिए संघर्ष करना है। कार्यानुभव कार्यक्रम हेतु वांछित सफलता के लिए हमें ऐसी स्थितियाँ बनानी होंगी जिनमें समानता को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाए। इसके लिए-

- लैंगिक भेदभाव और लैंगिक पूर्वग्रह मिटाना अत्यंत आवश्यक है। यह कदापि न सोचें कि अमुक कार्य लड़कियों से करवाना है और अमुक कार्य मात्र लड़कों से। प्रत्येक कार्य में दोनों की ही भागीदारी आवश्यक है। ऐसा करके हम एक ऐसे वातावरण का विकास कर सकते हैं जिसमें लड़के-लड़कियाँ दोनों का समान रूप से पोषण होगा, दोनों समान रूप से सक्षम होंगे, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होंगे और एक दूसरे की चिंता से जुड़कर एक दूसरे के साथ समान रूप से भागीदार बनेंगे। दोनों में ही हर क्षेत्र से जुड़े जीवन कौशलों का विकास हो, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए।
- शारीरिक रूप से चुनौती वाले बच्चों के लिए भी आप द्वारा चुनी गई गतिविधि में संभावना अवश्य होनी चाहिए। इस क्षेत्र में बच्चे स्वयं बहुत संवेदनशील होते हैं। वे ऐसा कोई-न-कोई कार्य अवश्य ढूँढ लेते हैं जिससे विशेष चुनौती वाले बच्चे भी गतिविधि का एक प्रमुख हिस्सा बन सकें। उदाहरण के तौर पर एक विद्यालय में बच्चों को आस-पास के परिवेश से पत्तियों का संग्रह और उनके नाम की जानकारी का कार्य दिया गया। उस कक्षा की एक बालिका चलने में असमर्थ थी। अध्यापिका अभी इस बारे में सोच ही रही थीं कि अमुक बालिका इस कार्य को कैसे कर पाएगी कि बच्चों ने सुझाव दिया- "महोदया, क्यों न हम चुने गए पत्तों के *Botanical Name* भी जानें और यह काम 'सरोज' (उल्लिखित बालिका) को सौंप दें।" इस सुझाव पर सरोज तो लगभग झूम ही उठी कि उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य दिया जा रहा है। नहीं तो उसके मन में तरह-तरह की शंकाएँ घुमड़ रही थीं।

हममें से बहुत से शिक्षकों के मन में अपनी-अपनी कक्षा के बच्चों को लेकर तरह-तरह के पूर्वाग्रह अथवा भ्रांतियाँ होंगी।

- अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आए बच्चों की क्षमता को लेकर।
- जाति विशेष के बच्चों की योग्यता और कार्य क्षमता को लेकर।

सामाजिक परिवेश, जातिगत पृष्ठभूमि अमीर, और गरीब बच्चों के विकास और सीखने की गति को प्रभावित तो कर सकता है पर उनकी बौद्धिक क्षमता का निर्धारण नहीं करता। अत: कार्यकाल का चयन करते समय बच्चों के

संबंध में बने पूर्वग्रहों को भूलना ही उपयुक्त होगा अन्यथा आप मानव संचेतना की समस्त सर्जनात्मक शक्तियों को प्रस्फुटित करने का अवसर खो देंगे। कार्यकलापों के चुनाव में यह बात अवश्य ध्यान में रखें कि कक्षा के सभी बच्चे अपनी पूर्ण क्षमतानुसार कार्य कर सकें।

बच्चों का स्तर, रुचि एवं आवश्यकताएँ

कार्यकलाप का चयन और बच्चों का शारीरिक, मानसिक विकास दोनों का आपस में गहरा संबंध है। कार्य अनुभव का एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है- 'कक्षा-कक्ष की सफ़ाई।' प्राथमिक विद्यालय में पहली से लेकर पाँचवी कक्षा के बच्चों को यह कार्यकलाप करवाया जाना चाहिए। पर क्या कार्य का प्रारुप प्रत्येक कक्षा में एक समान ही रहेगा। निश्चित रूप से नहीं। पहली कक्षा के बच्चों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि कक्षा में इधर-उधर पड़े कागज़ आदि के टुकड़ों को कूड़ेदान में डाल दें। अन्य कक्षाओं के बच्चे अपनी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के अनुसार कक्षा-कक्ष में झाड़ू लगाना, कक्षा की अलमारियों में साफ़-सुथरा कागज़ बिछाना, जाले उतारना आदि का कार्य कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक बच्चों की क्षमताओं का अवश्य ध्यान रखें।

शारीरिक और मानसिक क्षमता के साथ-साथ बच्चो की रुचि और आवश्यकताएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। बच्चे यदि बागवानी के कार्यकलापों में अधिक रुचि ले रहे हैं तो बागवानी से ही जुड़ी कुछ ऐसी गतिविधियाँ ले सकते हैं जो बहुउद्देश्यीय हों।

इस विषय को लेकर आमतौर पर शिक्षक दो प्रकार की शंकाएँ प्रस्तुत करते हैं-

1 कक्षा में 40 बच्चे हैं, सभी की रुचि भिé-भिé है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?

2 क्या बच्चों के अंदर किसी नवीन वस्तु/घटना/कार्यकलाप के प्रति रुचि न उत्पé करें?

ज़रा सोचिए, क्या आप पूरे सत्र भर में एक-दो कार्य, कलाप ही करवाएँगे। यदि आपने बीस कार्यकलाप भी करवाए तो कक्षा के आधे बच्चों की रूचि के कार्यकलाप तो शामिल हो ही गए। इस प्रकार बहुत से बच्चों की रुचियाँ शामिल हो गईं। अब रही बात नई रुचियाँ जाग्रत करने की, वह तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ज्यों-ज्यों कार्यकलापों में बच्चों की स्वयं की भागीदारी बढ़ती जाएगी, वे नए ज्ञान के साथ-साथ नयी रुचियों और दृष्टिकोणों का भी विकास करेंगे।

हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कार्य करने करवाने का तरीका इस प्रकार का हो कि बच्चों की रुचि बनी रहे। उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे।

सामान्यत: कार्य की प्रकृति तो बच्चों की रुचि के अनुसार होती है पर कार्य की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया जाता है कि मनपसंद कार्यकलाप होने पर भी बच्चे पूरे उत्साह के साथ कार्य नहीं करते। आशा है, आप इस स्थिति से अवश्य बचेंगे। बच्चों के दैनिक जीवन और उनके परिवार एवं समुदाय की आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़े कार्यकलापों का चुनाव ही श्रेयस्कर रहेगा।

समय और स्थान की उपलब्धता

हर प्रकार के कार्यकलाप के लिए एक निश्चित समय और उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। 'समय' की ज़रूरत को दो कोणों से देखा जा सकता है–

प्रथम – किसी कार्यकलाप विशेष के लिए कितना समय (अवधि) चाहिए?

द्वितीय – कौन-सा कार्यकलाप कब करवाया जाए?

दोनों बिंदुओं पर आप सरलतापूर्वक विचार कर सकते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर आप यह निश्चित कर पाएँगे कि अमुक गतिविधि को कितना समय चाहिए। यहाँ गतिविधि की प्रकृति के साथ-साथ कार्य करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर 'विद्यालय परिसर के गमलों पर गेरू रंगने' की गतिविधि के लिए आपने यदि एक घंटा निश्चित किया है तो यह अवश्य सोचा होगा कि हमारे पास कितने गमले हैं, कितने विद्यार्थी हैं और गमले रंगने की सामग्री और गेरु घोलने आदि क्या सभी इसी एक घंटे की अवधि में सम्मिलित है अथवा उसके लिए अलग से समय निश्चित किया गया है! क्या प्रत्येक विद्यार्थी एक-एक गमले पर रंग करेगी/करेगा अथवा यह एक सामूहिक कार्यकलाप होगा? इन सब बिंदुओं के आधार पर गतिविधि की समयावधि निश्चित की जाती है। अवधि के साथ 'कब करवाई' की जाए यह भी गतिविधि के चयन हेतु महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

ऋतुएँ, स्थानीय एवं राष्ट्रीय त्योहार और घटनाओं का समय निसंदेहात्मक रूप से कार्यानुभव संबंधी कार्यकलापों को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर जुलाई-अगस्त बागवानी के लिए उपयुक्त रहेंगे। अक्तूबर-नवंबर में अनेक त्योहार पड़ते हैं जैसे दीपावली आदि अत: दीपसज्जा, मोमबत्ती बनाना इसी माह में करवाए जा सकते हैं। विद्यालय की समय-सारिणी को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे – अप्रैल माह में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अत: उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए इस माह की सर्वथा उपयुक्त गतिविधियाँ होंगी–

1 प्रवेशार्थी बच्चों के निरक्षर माता-पिता की आवेदन पत्र भरने आदि में मदद करना,
2 समीपस्थ बस्तियों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण करवाना,
3 'नव विद्यार्थी आगमन' समारोह आयोजित करना,
4 विद्यालय परिसर की सफ़ाई एवं साज-सज्जा।

'समय निर्धारण' के बाद महत्वपूर्ण घटक है 'स्थान'। प्रत्येक गतिविधि के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव किया जा सकता है। आप कदापि यह नहीं चाहेंगे कि स्थान की अनुपयुक्तता के कारण कार्यकलाप के निहित वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा पा रहे।

यदि विद्यालय में उपयुक्त स्थान नहीं है तो आप विद्यालय की चारदीवारी के बाहर भी अपने कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त स्थान खोज सकते हैं।

समुदाय आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है, यह मान कर चलें। बागवानी, सामुदायिक स्वच्छता, मिड्डी का कार्य, जिल्दसाज़ी अनेक

ऐसे कार्यकलाप हैं जिनके लिए आप उपयुक्त स्थान समुदाय की सहायता से खोज सकते हैं।

'स्थान' के संबंध में आप कुछ बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं जो प्रश्न के रूप में नीचे दिए जा रहे हैं –

- क्या चुना गया स्थल बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है?
- वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के लिए बच्चों को बैठाने, चलने-फिरने आदि की सुविधा है या नहीं?
- बच्चों द्वारा उपयोग में लाई जानेवाली सामग्री को सुविधापूर्वक रखा जा सकता है या नहीं?
- कार्यकलाप के दौरान आपके द्वारा चल-फिर कर मॉनीटरिंग की जा सकती है अथवा नहीं और आप द्वारा कार्य का प्रदर्शन करते समय सभी बच्चे सरलतापूर्वक देख पा रहे हैं या नहीं?

स्वतंत्र एवं निर्देशित, वैयक्तिक एवं सामूहिक हर प्रकार के कार्यकलाप हेतु स्थान की उपयुक्तता आप द्वारा चुने गए कार्यकलाप के लिए ठोस मापदण्ड प्रस्तुत करेगी।

अभिभावकों एवं साथी शिक्षकों का सहयोग एवं दृष्टिकोण

आप द्वारा चयनित कार्यकलाप के प्रति अभिभावकों और साथी शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए प्रत्येक दृष्टि से लाभदायक हो सकता है।

आपके विचारानुसार कोई कार्यकलाप बहुत ही महत्वपूर्ण है परंतु अभिभावकों की समझ में उस कार्य की उपयोगिता उनके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है तो संभवत –

- वे उन दिनों बच्चों को विद्यालय ही न भेजें,
- आवश्यक सामग्री की व्यवस्था न करें,
- आपके प्रति आक्रोश प्रकट करें, ऐसी स्थिति में शिक्षक अभिभावक बैठकों, अनौपचारिक बातचीत आदि के माध्यम से अभिभावकों के विचार जाने जा सकते हैं और उन्हें अपने दृष्टिकोण का परिचय दिया जा सकता है।

सही तरीके से प्रस्तुत की गई बात से वे अवश्य सहमत होंगे।

'विद्यालय परिसर की सफ़ाई में विद्यार्थियों को सम्मिलित करना' कार्यानुभव की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिससे विद्यार्थी में सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों यथा: स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, अपने परिवेश के प्रति संवेदनशीलता, समूह भावना, श्रम की महत्ता आदि का विकास होता है। इस दृष्टिकोण के रहते एक विद्यालय में यही कार्यकलाप करवाया जा रहा था जिस पर कतिपय अभिभावकों ने कड़ी आपत्ति जताई। अभिभावकों के अनुसार उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं न कि सफ़ाई आदि का कार्य करने। शिक्षक ने अभिभावकों और प्रधानाचार्य की आपत्ति के कारण उपरोक्त कार्यकलाप करवाना ही बंद कर दिया। आप संभवत: ऐसा नहीं करेंगे। आप सत्र के आरंभ में ही अभिभावकों एवं अन्य सहयोगियों की मिली-जुली बैठकों में-

- कार्यानुभव की अवधारणा का परिचय देंगे,
- कार्यानुभव के अंतर्गत करवाए जाने वाले कार्यकलापों से अवगत करवाएंगे,

- अभिभावकों की शंका, आपत्ति का समाधान प्रस्तुत करेंगे,
- कार्यकलापों के क्रियान्वयन में सभी का सहयोग आमंत्रित करेंगे,
- कार्यकलापों, स्थान, सामग्री आदि के चयन में अभिभावकों के सुझाव आमंत्रित करेंगे,
- अभिभावकों को स्रोत व्यक्ति के रूप में भी आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे।

इस प्रकार विद्यार्थी आपके द्वारा सोचे गए कार्यकलाप से वंचित नहीं रह पाएँगे। यदि आप अपने साथी शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद स्थापित कर पाए तो आप उनके दृष्टिकोण भी जान सकेंगे और अपने दृष्टिकोण से उन्हें भी परिचित करा सकेंगें।

संसाधनों की उपलब्धता

शिक्षक की इच्छा है वह अपने विद्यार्थियों को सीपियों की सहायता से कुछ कार्य करवाएँ क्योंकि उसकी शिक्षिका ने भी सीपियों का कार्य कर उसके अंदर की रचनात्मक शक्ति और सौंदर्यानुभूति का विकास किया था। इसी सोच के रहते वह विद्यार्थियों को तरह-तरह की आकृति और आकार वाली सीपियाँ लाने के लिए कहती हैं। आप अगले दिन के दृश्य का अनुमान कर सकते हैं। जी हाँ 40 बच्चों की संख्या में से मात्र 3 विद्यार्थी सीपियाँ लाए हैं वह भी संख्या में बहुत कम।

शिक्षिका निराश है। दो दिन का समय देती है। दो चार दिन बाद भी स्थिति वही है। उसके अनुसार –

- बच्चे इतनी सुंदर गतिविधि क्यों नहीं करना चाहते?
- अभिभावक सामग्री जुटाने में मदद क्यों नहीं करते?

आप तो ऐसा नहीं सोच रहे न? आपने सही समझा, संसाधन और सामग्री का चुनाव स्थानीय परिवेश से हटकर कैसे हो सकता है। नदी, समुद्र आदि के किनारे बसे कस्बों शहरों के बच्चों से तो अपेक्षा की जा सकती है सीपियाँ इकëी करने की परंतु हर क्षेत्र के बच्चे तो प्रत्येक वस्तु का जुगाड़ नहीं कर सकते। हाँ, यह बात ज़रूर है कि सीपियाँ खरीदी भी जा सकती है पर क्या हर बच्चे का सामर्थ्य है खरीदने का? दूसरी महत्वपूर्ण बात, खरीदकर एकत्रित की गई सामग्री द्वारा क्या कार्यकलाप में निहित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा?

अधिकारियों की सकारात्मक इच्छा शक्ति

आपके द्वारा चयनित कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु आपके विद्यालय के अधिकारियों का सहयोग अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। वे न केवल आपको भावनात्मक संबल देंगे अपितु कार्यकलाप हेतु विद्यालय समय-सारिणी में उचित और पर्याप्त समय, स्थान, संसाधन आदि की समुचित व्यवस्था करने में पूरा सहयोग देंगे। यदि आप द्वारा चनित कार्यकलापों में उन्हें आपत्ति है तो उनके साथ संवाद स्थापित कर अपने दृष्टिकोण से उन्हें अवगत करवाएँ और उनके मत को भी समझने का प्रयास करें।

❑❑❑

11

xke f'k{kk lfefr esa b&izcU/ku dk iz;kl

fnus'k dqekj*

भारत सरकार का यह प्रयास है कि सन् 2015 तक देश की प्राथमिक पाठशालाओं को इंटरनेट से जोड़ दिया जाए, विद्यालयी व्यवस्था में ई-प्रबंधन का यह प्रयास यद्यपि चुनौतिपूर्ण है पर यदि इसे सफलतापूर्वक लागू कर दिया जाए तो विद्यालयों में वित्तीय व्यवस्था, अध्यापकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच संबंध, ग्राम शिक्षा समिति एवं अभिभावक शिक्षक संघ के बीच यदि सहभागिता एवं सहयोग को अधिक सुचारु किया जा सकता है।

शिक्षा एक सामाजिक और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जो किसी भी देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जिस देश की शिक्षा पद्धति नवीन आवश्यकताओं, संभावनाओं एवं तकनीकी विचारधाराओं पर आधारित होगी, नि:संदेह वहाँ के लोगों का शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्तर, जीवन स्तर ऊपर उठेगा और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की आय भी बढ़ेगी। और किसी भी देश का विकास वहाँ की प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। अत: आधुनिकता की इस प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक देश अग्रणी होना चाहता है इसके लिए आवश्यक है कि वह देश अपने सभी नागरिकों को अच्छी और उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराए। इस शिक्षा के कई स्तर हैं। परंतु जिस प्रकार एक मजबूत और टिकाऊ भवन या इमारत के लिए उसका प्रथम स्तर अर्थात् नींव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार अच्छी और उपयोगी शिक्षा के लिए उसका प्रथम स्तर अर्थात् प्राथमिक शिक्षा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, और मजबूत होने का तात्पर्य है कि सुयोग्य अध्यापकों के द्वारा सक्षम, आवश्यक, उपयोगी पाठ्यक्रम उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से बालक और बालिकाओं को दिया जाए।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल से भारत में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में अपनी अमरकीर्ति को लहराते रहे हैं, परंतु यहाँ पर विदेशियों के व्यापारिक एकाधिकार और राजनीतिक स्वामित्व की लालसा ने शिक्षा की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसके बाद विदेशी मिशनरियों द्वारा आधुनिक भारतीय शिक्षा को धर्म के साथ जोड़ कर प्रसारित करने का प्रयास किया गया। 1813 ई. के आज्ञा पत्र

* *शोधछात्र* एवं *अतिथिप्रवक्ता*, शिक्षाशास्त्र विभाग, इ.वि., इलाहाबाद।

के अनुसार कुछ अनुदान भी इसके लिए उपलब्ध करवाया गया, परंतु पूर्वी-पश्चिमी भाषा विवाद का यह प्रयास सफल न हो सका। पुनः सन् 1835 ई. में लार्ड मैकाले के विवरण पत्र के अनुसार लार्ड विलियम बैंटिक ने शिक्षा संबंधी अपनी संशोधित-नीति प्रस्तुत की। परंतु इसमें भी पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान पर ज़ोर और पूर्वी शिक्षा की अवहेलना की जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा पर बुरा असर पड़ा। सन् 1854 में वुड के घोषणा-पत्र के अनुसार सभी भारतीय प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और उनके ऊपर प्राथमिक शिक्षा का भार सौंप दिया गया। साथ ही व्यक्तिगत संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया गया। परंतु आंग्ल अधिकारियों द्वारा इसका क्रियान्वयन बहुत ही कम प्रभावी रहा। सर्व प्रथम हंटर आयोग (1882) ने प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष रुचि लेते हुए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत कीं-

1. प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यतः उच्च शिक्षा का साधन न मानकर जन साधारण की शिक्षा का एक अंग माना जाए।
2. प्रत्येक जिले में 'विद्यालय बोर्ड' स्थापित किए जाएँ जिनका कार्य स्कूल के प्रबंध पर नियंत्रण रखना हो।
3. देशी स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए।
4. देशी स्कूलों को परीक्षाफलों के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाए।
5. शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राजकीय सहायता और अनुदानित नार्मल स्कूलों की स्थापना की जाए।

इसके उपरांत सन् 1904 का सरकारी प्रस्ताव, सन् 1911 में गोखले का शिक्षा विधेयक (जो 19 मार्च 1911 को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए केंद्रीय धारा-सभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया), सन् 1913 का सरकारी प्रस्ताव, सन् 1929 में हर्टाग समिति, सन् 1937 में वुड एबट रिपोर्ट, सन् 1937 में बेसिक शिक्षा (जिसे नई तालीम, बुनियादी शिक्षा या वर्धा-योजना का नाम दिया गया।), सन् 1944 में सार्जेंट योजना, सन् 1964-66 में कोठारी आयोग, सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सुचारू तथा उपयोगी रूप से चलाने के लिए प्रयास किए गए। साथ ही कोठारी आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकान ने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। पाठ्यक्रम सुधार के लिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1973 में एक विशेषज्ञ समिति या पाठ्यक्रम समिति का गठन किया और 1974 में इसका विस्तार किया। इस समिति ने एक दिशा पत्र (Approach Paper) तैयार किया जिस पर दिल्ली में 1975 में आयोजित 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सम्मेलन' पर विचार किया गया। तत्पश्चात् राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् ने 1975 में 'The curriculum for the Ten year school: A frame work' नामक दस्तावेज प्रकाशित किया और 1976 में विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यचर्याएँ, पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री भी तैयारी की, जिसकी आलोचना। अध्यापकों, अभिभावकों और छात्रों द्वारा की गई। तब जनता सरकार ने सन् 1977 में डॉ.

ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने "दस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम की समीक्षा करते समय वास्तविकता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया, जिसको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने अनदेखा किया था। पुनः राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से एक समिति बनी जिसने गहन अध्ययन एवं संशोधन के बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा को सन् 1986 में प्रकाशित किया।

इन सभी प्रयासों के क्रियान्वयन के बाद भी जब देश के अनेक बच्चे चाहे विकलांग हों, लड़कियाँ हों, अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जन जाति के हों, मैदानी क्षेत्र के हों, पर्वतीय या पठारी हों या फिर जंगली क्षेत्र के हों, शिक्षा से वंचित रह जाते थे। ऐसी स्थिति में आपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया। प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसको सफल बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 'स्कूल चलो अभियान' तथा 'मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम' भी लागू किया गया। फिर भी आज वर्तमान आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में संबंधित अधिकारियों की बड़ी अहम भूमिका होती है। सही और उपयुक्त समय पर अधिकारियों की अनुपलब्धता, उदासीनता, यातायात की समस्या, लिया गया गलत निर्णय, संपर्क एवं संवाद आदि समस्याओं के कारण उपर्युक्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सही दिशा और दशा में नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरुप आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीण अंचलों में विद्यालय हैं जहाँ न ही कोई अधिकारी निरीक्षण हेतु पहुँच पाता है, न ही सही समय पर मध्याह्न भोजन हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो पाती है और न ही सभी छात्र-छात्राओं को शिक्षा से जोड़े रखने की राष्ट्रीय अभिलाषा पूरी होती है। इन सभी समस्याओं के अवलोकन के उपरांत यह एक सुझाव प्रस्तुत किया जा रहा है कि कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा स्तर पर संबंधित सभी अधिकारियों को ई-प्रबंधन की सहायता प्रदान की जाए जिसमें ई-मेल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलिक्रोंफ्रेंसिंग, विडियो कांफ्रेंसिंग आदि माध्यमों से एक राष्ट्र स्तर और प्रांतीय स्तर, तथा जिला स्तर एवं विकास खंड स्तर तथा विद्यालय स्तर से संबंधित सभी अधिकारियों को एक साथ सूचना और संचार तकनीकि के संजाल में जोड़ा जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा।

ई-प्रबंधन के अंतर्गत यदि किसी विद्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ दिया जाए और इस प्रकार का संजाल इंटरनेट के माध्यम से होने पर एक जिला मुख्यालय का संपर्क दूसरे जिला मुख्यालय से, दूसरे का तीसरे से और एक विद्यालय से दूसरे, तथा दूसरे का तीसरे से, इस प्रकार का संपर्क स्थापित हो जाने से किस विद्यालय को क्या समस्या है, कौन अधिकारी कब और कहाँ अपनी उदासीनता या गलत निर्णय देकर समस्या उत्पन्न कर रहा है आदि का पता सभी संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र हो जाएगा

इस एक समस्या के निराकरण के लिए कई योग्य व्यक्ति आगे आएँगे और समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र हो जाएगा, और दोषी व्यक्ति को सज़ा भी आसानी से दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रबंधन - जैसे वित्तीय व्यवस्था, अध्यापक एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच संबंध, ग्राम शिक्षा समिति एवं अभिभावक शिक्षक संघ के बीच सहभागिता एवं सहयोग इत्यादि संदर्भों में चल रही गतिविधियों आदि का आसानी से प्रबंधन हो सकेगा। इस तरह समस्याओं से मुक्ति पाकर कार्यक्रमों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया जा सकेगा। तभी हमारा 'सर्व शिक्षा अभियान' का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा-

- ई-प्रबंधन को प्रत्येक स्थान पर पहुँचाना होगा।
- ई-प्रबंधन ज्ञान के लिए संबंधित सभी लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।
- ई-प्रबंधन की उपलब्धता हेतु भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।
- वित्त सुलभ करवाना होगा।
- राजनैतिक सहयोग प्राप्त करना होना।

ई-प्रबंधन को संपूर्ण देश में प्रसारित करना एक कठिन कार्य है क्योंकि संबंधित उपकरण के संचालन हेतु विद्युत आदि की आवश्यकता होगी जो कि ग्रामीण अंचलों के लिए समस्या है। पर्याप्त समय एवं पर्याप्त मात्रा में विद्युत का प्रसारण नहीं हो पाता है। इसके अलावा जितने भी विद्यालय के ग्राम शिक्षा समिति के अधिकारी हैं, से लेकर ज़िला मुख्यालय तक के अधिकारियों को कंप्यूटर चलाने और समझने का प्रशिक्षण प्रदान करना होगा, जिसमें समय और धन तो व्यय होगा, साथ ही प्रशिक्षण अवधि के अंतर्गत दैनिक कार्य (विभाग से संबंधित) भी प्रभावित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी वित्तीय-प्रबंधन की। सभी विद्यालयों, विकास खंडों एवं जिला मुख्यालयों तक कंप्यूटर और इंटरनेट उपलब्ध करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी जिसे राज्य अथवा केंद्र सरकार को अनुदान स्वरूप देना होगा। और इन सबके बाद भी यदि राजनैतिक उदासीनता हाथ लगी तो यह सबसे बड़ी समस्या होगी। यदि कोई राजनेता या स्थानीय नेता इसमें अपना सहयोग देगा, तो यह कार्यक्रम आसानी से चल पड़ेगा परंतु उदासीनता की स्थिति में यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यद्यपि भारत सरकार का यह भी प्रयास है कि "सन् 2015 तक देश की सभी प्राथमिक पाठशालाओं को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा।" यह बात नवंबर 2005 के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मानव संशाधन एवं विकास मंत्री मानवीय अर्जुन सिंह जी ने कही।

यदि उपरोक्त चुनौतियों का सामना करके इस नई प्रविधि को लागू किया जाए तो नि:संदेह जिन कार्यों को कई अभियानों एवं कार्यक्रमों के माध्यमों से पूरा नहीं किया जा सका, उन्हें ई-प्रबंधन के द्वारा पूरा किया जा सकता है और राष्ट्रीय उद्देश्य का जो सपना कई वर्षों से पूरा नहीं हो सका, देश के सभी बालक-बालिकाओं

को शिक्षा से जोड़कर 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' और 'सर्व शिक्षा अभियान' के लक्ष्यों से नि:संदेह पूरा किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डा. एस.पी. गुप्ता एवं डा. अलका गुप्ता– आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ
2. प्रो. मदन मोहन एवं डा. नीता सिन्हा– भारतीय शिक्षा की उदीयमान समस्याएँ
3. डा. प्रतिभा उपाध्याय– भारतीय शिक्षा में उदीयमान प्रवृत्तियाँ
4. डा. आर.ए. शर्मा– शिक्षा के तकनीकी आधार
5. सुरेन्द्र एस. धईया – एजुकेशन टेकनॉलोजी टोवाड्स बेटर टीचर परफोम्स।

❑❑❑

12

lLÑfr dh /kjgj g & ckyxhr vkj ykfj ;k

nh{kk tk'kh*

नन्हें बच्चों को कहानी कविता जितनी रसमय लगती है उतनी ही उन्हें लोरियाँ और बालगीत भी सरस लगते हैं। परंतु आज जीवन की भागदौड़ में माता-पिता के कामकाजी होने के कारण ये लोरियाँ और बालगीत विलुप्त से होते जा रहे हैं। इन्हीं बालगीतों और लोरियों को शिक्षा से जोड़ते हुए कक्षाओं तक ले जाया जा सकता है इसके माध्यम से बच्चे न केवल सहज रूप से जानकारी ग्रहण करते है। बल्कि जानकारी ग्रहण करना उनके लिए रोचक भी बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन विलुप्तप्राय: लोरियों एवं गीतों को संकलित किया जाए। इसी संदर्भ में हुए एक लघु शोध की रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत है।

माँ-बाबा के गीत-कहानी
मीठी यादें बचपन की,
रहे सदा मन के कोने में
चाहे हो जाऊँ पचपन की।

बचपन के वो प्यारे दिन, माँ का दुलार और पिता का प्यार, ऐसे खुशियों भरे दिन जो भुलाए न भूलें, मिटाए न मिटें। रोज़ शाम को कुमायूँ के अंचल में बिखरी कहानियाँ और गीत माँ सुनाती थी। वे कहानियाँ और गीत आज भी, मेरे अंतर्मन में कहीं-न-कहीं माला में मोतियों-सी पिरोई रखी हैं। सोते समय बाबूजी के सुनाए छोटे-छोटे गीत-

"आते-बाते दही चटाते, गोरी बछिया लुकती-छिपती" या "आहो चड़ि तेरे काटेंगे कान, तूने चुराए बल्ला के धान'

अथवा

''घुघूति-बासूति, माम काँ छू, मालकोटि" कैसे भूल सकती हूँ? सुंदर बचपन। एक मधुर एहसास लिए हुए, बचपन हर एक की यादों में होता है। । यदि बचपन दुलार भरा हो तो जीवन सदैव खुशहाल होता है। चेतनामय, आनंदभरा और सकारात्मक सोच से परिपूर्ण। इसी कारण मैंने अपने बच्चों को भी गीतों एवं कहानियों भरा बचपन देने का प्रयास किया।

परंतु आज के एकल परिवार, कामकाजी माता-पिता, व्यस्त जीवन के कारण बच्चों को लोरियाँ, गीत और कहानियाँ सुनाने का समय किसी के पास नहीं है। उन सबकी जगह ले ली है आधुनिक उपकरणों ने। बच्चे व्यस्त हैं कंप्यूटर, कॉमिक्स, वीडियोगेम एवं टी.वी.की दुनिया में।

इसी कारण अंत:करण से आवाज़ उठी कि क्यों न मैं उन भूली-बिसरी लोरियों एवं बालगीतों का संकलन करूँ जो हम सब की यादों में हैं। आवश्यकता है तो केवल उनके संकलन की।

* *प्रधानाध्यापिका*, रा.प्रा.वि. चोरगलिया, हल्दवानी, नैनीताल उत्तराखण्ड

इसी सोच के साथ मैंने चतुर्थ डिप्लोमा कोर्स ई.सी.सी.ई. की आपूर्ति हेतु अपने लघु शोध का विषय चुना- "हल्द्वानी विकास खंड में प्रचलित लोरियों एवं बालगीतों का संकलन एवं विश्लेषण।"

इस लघुशोध के उद्देश्य जो मैंने निर्धारित किए वे निम्नांकित हैं -

(i) हल्द्वानी विकास खंड के घरों में प्रचलित लोरियों एवं बालगीतों का संकलन

(2) संकलित लोरियों एवं बालगीतों की मूल स्वरों एवं धुनों में रिकार्डिंग।

(3) संकलित लोरियों एवं बालगीतों की लिंग के आधार पर वर्गीकरण।

(4) संकलित लोरियों एवं बालगीतों का भाषा/बोली के आधार पर वर्गीकरण।

शोध की परिकल्पनाएँ

(1) लोरियाँ एवं बालगीत शिशु के मूल्य विकास एवं संवेगात्मक विकास में सहायक होते हैं।

(2) लोरियाँ एवं बालगीत शिशु के भाषाई-विकास में सहायक होते हैं।

(3) लोरियाँ एवं बालगीतों का बच्चों के भावी जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(4) लोरियाँ एवं बालगीत समाज में फैली हैं, उनके संकलन की आवश्यकता है।

समय-सीमा को ध्यान रखते हुए मेरे द्वारा कुमायूँ-मंडल के नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी विकास खंड का चयन कर यादृच्छिक रूप से छः ग्रामीण एवं चार नगरीय क्षेत्र लिए गए-

ग्रामीण क्षेत्र

- बमौरी
- बिठोरिया
- छोटी मुखानी
- जवाहर ज्योति
- फलेहपुर
- चोरगलिया

नगरीय क्षेत्र

- मल्ला गोरखपुर
- कलावती कॉलोनी
- आनंदपुरी
- नवाबी-रोड

तत्पश्चात् मेरे द्वारा संकलन कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें सर्वे द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन किया गया तथा साक्षात्कार प्रपत्र, वीडियो कैमरा इत्यादि उपकरण प्रयोग किए गए।

प्रदत्त संकलन से पूर्व शोधकर्त्ता द्वारा पाँच ग्रामीण लोगों पर उपकरण परीक्षण किया गया। तत्पश्चात् विशिष्ट मत संग्रह किया गया। संकलन के साथ-साथ ही रिकार्डिंग का कार्य भी किया गया। उस क्षेत्र की वृद्ध महिलाओं, माताओं, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, शिक्षक वर्ग से साक्षात्कार के माध्यम से बालगीतों एवं लोरियों का संकलन किया गया।

रिकार्डिंग साथ-साथ करने से ये लाभ हुआ कि अपनी रिकार्डिंग कराने के उत्साह में लोगों ने अपने पास छिपे खजाने का मुँह खोल दिया और लोरियों एवं बालगीतों के रूप में मेरी झोली में उड़ेल दिया।

मेरे द्वारा घर-घर जाकर अकेले ही यह कार्य किया गया। दस पंद्रह घरों से खाली हाथ लौटती तो अगले कुछ घरों से एक साथ छः-सात बालगीत और लोरियाँ प्राप्त हो जाती

थीं। धीरे-धीरे मेरा उत्साह बढ़ा और विद्यालय कार्य के साथ-साथ अपना संकलन एवं रिकार्डिंग का कार्य पूर्ण किया। मेरा लक्ष्य सौ बालगीतों एवं लोरियों का संकलन करना था परंतु मैं एक सौ बारह (112) बालगीत एवं लोरियाँ संकलित कर सकी। समय और होता तो शायद और अधिक संकलन मैं कर पाती।

तत्पश्चात् प्रदत्तों की सांख्यकीय गणना की गई। जो लोरियाँ एवं बालगीत (हिंदी और अँग्रेज़ी के अतिरिक्त) पंजाबी, कुमाऊँनी, राजस्थानी, नेपाली आदि में प्राप्त हुए, उनके भाव और कठिन शब्दों के अर्थ भी मेरे द्वारा दिए गए। प्रत्येक गीत एवं लोरी को एक उपर्युक्त शीर्षक देने का प्रयास भी मैंने किया।

संकलित बालगीतों एवं लोरियों में से कुछ प्रस्तुत हैं-

एक सुंदर हिंदी बालगीत-

चिड़िया लाई चीनी चावल
चूहा लाया आटा,
हरी सब्जियाँ तोता लाया
धोकर उनको काटा,
मुर्गी पूरा मटका भरकर
दूध कहीं से लाई...,
आग जलाकर मीठी-मीठी
उसकी खीर बनाई,
पूरी बनी, बनी तरकारी,
सबने मिलकर खाया
कामचोर कौए का मन,
देख-देख ललचाया।

कुमाऊँनी का एक बालगीत -

उड़कुच्चि मुड़कुच्चि, दाम धरें कुच्चि
लैय्या लौंची, पीतल कैंची।
चोर की चोलिन कसि-कसि मैंछिन,
बृंदाबन में गेंद खेलनि
ओढ़-मोढ़, दैणि हात्ति
दैणि खुट्टि.....
निमोरि, नामोरि, लै.....

एक और उदाहरण प्रस्तुत है-

चूँ मुसि चूँ
ऊखल गाड़ा ग्यूँ,
ताल गाड़ा ग्यूँ पाका,
माल गाड़ा जौ पाका,
बीच मसूरी पाकी,
डाना को काफल पाको
नौल छै गो बेडु पाको,
गाड़ तिमुली पाकी,
चड़ि कणि ल्यो लागो
उड़ चड़ि उड़.....

पंजाबी का एक बालगीत -

अंब, अंब बिकाऊ
पैसे दे पज्ज..
धेले दे ढ़ाई
राजा दी बेटी
मोती चुणेंदियाँ,
फकीर खल्लड़ पाई।

इस प्रकार छोटे-बड़े कुल 56 (छप्पन) बालगीत संकलित किए गए इसके साथ ही 56 (छप्पन) लोरियाँ भी संकलित कर पाई जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

आजा री निंदिया आ जा री....
मुन्ने को सुला जा री।
सोने-चाँदी का है पलना
बिस्तर तकिया है मखमल की।
चार बहू आवे मुन्ने की,
दो सुलावे, दो खिलावे
ले साने की थाली....।

एक और लोरी

सो जा राजकुमारी सो जा
सो जा माँ की दुलारी सो जा,
सो जा नय उजियारी सो जा
सोजा.....सोजा.....सो जा...
सोजा, सोजा, सो जा...।
परियों के देश की रानी सो जा
चंदा तेरी बलिहारी सो जा
पवन चले मनहारी सो जा
सो जा.....।
फूलों की सेज बिछाई सो जा
पलकों में नींद समाई सो जा
निदियाँ करे अगुवाई सो जा
सो जा....सो जा....सो जा....।
सो जा, सो जा, सो जा।

संकलन के पश्चात् उसकी सांख्यिकीय गणना कर विविध विषयों से संबंधित लोरियों का उद्देश्यों के आधार पर विश्लेषण कर मैंने पाया कि लोग बालगीत एवं लोरियों के बच्चों पर पड़े प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव से परिचित हैं। वे जानते हैं कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने, मूल्य स्थापित करने, सकारात्मक सोच बनाने में इनका बड़ा योगदान है।

एक ओर जहाँ लोरियाँ बच्चों को सुरक्षा भावना, आनंद, स्नेह एवं सुख की अनुभूति कराती हैं वहीं दूसरी ओर बालगीत उनमें भाषा, गणित, नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, संवेज्ञात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास के साथ-साथ संगीत एवं कला के प्रति रुचि उत्पन्न करने और समग्र विकास में अपना योगदान देते हैं।

वर्तमान में एकल परिवारों का होना, माताओं का कामकाजी होना और अभिभावकों की व्यस्तता के कारण ये बालगीत और लोरियाँ लुप्तप्राय होने लगी हैं और इनका स्थान आधुनिक उपकरणों ने (खेल एवं मनोरंजन के) ले लिया है। यद्यपि हल्द्वानी खंड में विविध भाषा/बोली वाले लोग रहते हैं तथापि हिंदी एवं कुमाऊँनी लोगों की अधिकता है, इसी कारण हिंदी एवं कुमाऊँनी भाषा में अधिक संकलन संभव हो सका।

लोग लोरियों की अपेक्षा बालगीत सुनाने में अधिक रुचि लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बालगीतों का बहुत महत्त्व है क्योंकि इनके माध्यम से बच्चे सहज रूप में विविध जानकारियाँ ग्रहण कर लेते हैं।

बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के लिए लोरियाँ बहुत ही कम हैं, इसके लिए मेरा सुझाव है कि बालिकाओं को लोरी सुनाते समय लोरियों में संबोधन बदल दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के लिए नई लोरियाँ बनाई जा सकती हैं जिससे आने वाले समय में समाज में ये प्रचलित हो सकें।

भावी शोध के संदर्भ में मेरे निम्न सुझाव हैं कि संकलन हेतु वृद्ध पुरुषों, महिलाओं, माताओं, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, शिक्षक वर्ग के अतिरिक्त

आई.सी.डी.एस. के कर्मचारियों एवं अधिकारियों, साहित्यकारों, समाज सेवियों से भी संकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्य के प्रत्येक जनपद से आँकड़े संकलित किए जाएँ तो संकलन और सुदृढ़ होगा।

निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि भविष्य में भी बालगीतों एवं लोरियों का संकलन कर उनका निरंतर विकास किया जाए। पाठ्यक्रम में भी इन्हें सम्मिलित किया जाए, साथ ही साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी इनका प्रचार किया जाए। जिससे इनका संकलन निरंतर समृद्ध हो। इनके द्वारा हमारी संस्कृति एवं परंपराएँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हों और प्रत्येक शिशु को इनका लाभ मिल सके। प्रत्येक बच्चे का भावी जीवन खुशहाल हो इसी कामना के साथ..।

माँ की ममताई लोरियाँ
बाबू जी की कहानी
मन के नन्हें कोने में,
छिपी उन्हीं की ज़ुबानी।

❑❑❑

13

dfork l i<kb

Lugyrk *

अपनी लय और तुकबंदी के कारण कविता बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इस कविता का उपयोग भाषा ही नहीं अपितु अन्य विषयों को सिखाने के लिए भी किया जा सकता हैं कैसे? जानने के लिए पढ़िए यह लेख।

प्राणिजगत् का वर्गीकरण (classification of Animal Kingdom) जीव विज्ञान का पहला पाठ है। जो देश भर के सभी विद्यालयों में छठवीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। यह पाठ याद करना बच्चों को काफ़ी कठिन लगता है, क्योंकि इसमें फाइलम के क्रमानुसार उनके लक्षण, उदाहरण याद करना मुश्किल होता है। मैं स्वयं जब छोटी थी, तब मुझे भी इस पाठ को समझने तथा याद करने में काफ़ी कठिनाई हुई थी। जब मेरा बेटा पाँचवीं कक्षा में आया तब भी यह पाठ उसके कोर्स में था। मेरे मन में विचार आया कि क्यों न कुछ ऐसा लिख दिया जाए कि बच्चों को यह पाठ आसानी से याद हो जाए और इसलिए मैंने संपूर्ण पाठ को कविता के रूप में लिखने का विचार किया। कविता बच्चों को आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि उसमें गेयता और लयात्मकता होती है। इसमें प्राणिजगत् का बँटवारा (classification of Animal Kingdom) कर उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है जैसे – रीढ़ वाले सारे प्राणी वर्टीब्रेट होते हैं और बिना रीढ़ के प्राणी इनवर्टीब्रेट कहलाते हैं। उसके बाद उनके वर्ग (phylum), भेद वर्ग (Class), लक्षण (characteristics), को उदाहरण (example) के साथ कविता के रूप में लिखा है। इसमें वर्टीब्रेट के सभी पाँच फाइलम तथा इनवर्टीब्रेट के सभी नौ फाइलम

वर्टीब्रेट – 1. पिसीज़ 2. एम्फीबिया 3. रैप्टीलिया 4 एवीज़ 5. मेमीलिया, **इनवर्टीब्रेट**– 1. प्रोटोजोआ 2. पोरीफेरा 3. सीलनटेटा 4. प्लैटीहैलमिंथज़ 5. नीमेटोडा 6. एनीलिडा 7. आॅर्थोपोडा 8. मोलस्का 9. इकीनोडर्मेटा।

फाइलम के नाम अँग्रेज़ी में रखे हैं जिससे हिंदी तथा अँग्रेज़ी दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से खेलकूद में ही समझ सकें।

* 1/309, विकासनगर, लखनऊ, उत्तरप्रदेश (उ.प्र.)

प्राणिजगत् का वर्गीकरण

प्राणिजगत् के बँटवारे की बच्चों कथा सुनाऊँ
उनके वर्ग, भेद, लक्षण उदाहरण सहित समझाऊँ।

सारे प्राणिजगत् को दो वर्गों में बाँटा जाता
रीढ़ और बेरीढ़ बने होने से अंतर आता।

जिनके होती रीढ़ सभी वह वर्टीब्रेट कहाए
इनवर्टीब्रेट कहलाए बिना रीढ़ जो आए।

बिना रीढ़ के बने सभी फिर भी अंतर था भारी
नौ भागों में रखने की इसलिए हुई तैयारी।

एक कोश के सारे प्राणी प्रोटाजोआ कहलाए
पैरामीशियम और अमीबा इसके अंदर आए।

जिनकी देह बनी छिद्रों की पोरीफेरा होते
साइकोन, स्पंज समुंदर के अंदर ही सोते ।

सीलनट्रेटा का मतलब है पेट सिलिंडर जैसा
बिना हाथ सिर्फ मूंछ का हाइड्रा लगता कैसा।

चपटी काया पाने से प्लैटीहैलमिंथज कहाए
टेपवर्म, टीनिया, सोनियम कीड़े इसमें आए।

धागे जैसे पतले कीड़े नीमेटोडा कहते
एस्केरिस, हुकवर्म पेट के कीड़े इसमें रहते।
जोंक, केंचुए ने छल्लों वाली काया को पाया
इसीलिए इनका फाइलम एनीलिडा कहलाया।

ऑर्थोपोडा का मतलब है जोड़ों वाली टाँगें
टिड्डे, तितली, काकरोच यह पूरी करते माँगें।

कोमल काया ढँकी शैल से वह प्राणी मोलस्का
अजब तमाशा, घोंघे, सीपी, शँख, आक्टोपस का।

काँटो वाली त्वचा रखें इकीनोडर्मा उनको कहते
सी अर्चिन, सितारा मछली मारे से न मरते।

पाँच भाग में फिर वर्टीब्रेट को हैं बाँटा जाता
पिसीज, एंफीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मेमीलिया आता।

सब मछली पिसीज वर्ग में साँस गिलों से लेतीं
पानी के अंदर रहकर भी पानी कभी न पीतीं।

एंफीबिया रहें जो पल में, जल में, थल में
मेंढक, टोड, हाइला बदलें देखों घर पल-पल में।

रैप्टाइल होते जो प्राणी रेंग-रेंग चल पाएँ
साँप, छिपकली, डाइनोसारस कैसे धूम मचाएँ।

एवीज रखें पर सुंदर कोमल हल्की होती काया
मोर, कबूतर, तोते, चिड़ियों ने सबका दिल लुभाया।

मेमीलिया वर्ग के अंदर प्राणी स्तनधारी
मानव, हाथी, शेर, गाय के आने की तैयारी।

प्राणिजगत् का यह बँटवारा पढ़ो और दोहराओ
अपनी कक्षा में सबसे अच्छे नंबर लाओ।

❑❑❑

14

vkdyu dh ubl i)fr & xfMx flLVe

ljteyxx*

शिक्षण के उपरान्त मूल्यांकन ही एक ऐसा उपकरण है जो अधिगम की वैधता को स्थापित करता है। मूल्यांकन के विविध प्रकारों में से एक है सतत एवं समग्र मूल्यांकन (सी. सी. ई)। विद्यार्थियों का लगातार अंतराल पर मूल्यांकन उनकी अधिगम दक्षता एवं प्रतिपुष्टि के लिए बेहद ज़रूरी है। मूल्यांकन के इसी पहलू पर इस आलेख के द्वारा प्रकाश डाला गया है।

सतत् एवं समग्र मूल्यांकन (सी.सी.ई) – ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा

सतत् एवं समग्र मूल्यांकन (सी.सी.ई.) से अभिप्राय एक ऐसी नियमित–निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पद्धति से है जिसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के सभी पक्षों को सम्मिलित किया गया हो। सतत् से अभिप्राय नियमित मूल्यांकन– इकाई परीक्षणों की आवृत्ति, अधिगम प्रक्रिया के अंतरालों का विश्लेषण, संशोधन के उपाय पुनर्परीक्षण तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को स्वमूल्यांकन के लिए जानकारी प्रदान करना है। समग्र से अभिप्राय विद्यार्थी के विकास के दोनों अर्थात् शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करना है।

सतत् एवं समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया प्राथमिक कक्षाओं में विगत कई वर्षों से चल रही है। विद्यार्थी किस क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन कर रहा है? उसकी उपलब्धियों के आधार पर आकलन किया जाता है। सामान्य दैनंदिन गतिविधियों और क्रियाकलापों को प्रभावी ढंग से शिक्षा की प्रक्रिया के आकलन के काम में लाया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक विषय का आकलन दक्षताओं एवं कौशलों के आधार पर किया जाता है। पढ़ाई में सुधार के लिए शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। जिसमें प्रत्येक बच्चे को सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अपने अनुभव एवं क्षमता के अनुसार स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया को प्रायः कक्षाओं में विशेष स्थान दिया गया है। उनके प्रयोगों के आधार पर लगातार और विस्तृत मूल्यांकन ही एकमात्र सार्थक मूल्यांकन है। जिसमें विद्यार्थी की गुणवत्ता का आकलन समय–समय पर किया जाता है।

* *प्राचार्य*, विद्यालय, जे.एन.यू. परिसर, नयी दिल्ली–67

पहली और दूसरी कक्षा में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन नहीं किया जाता है बल्कि दैनिक कार्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न कौशलों एवं दक्षताओं का आकलन किया जाता है। अध्यापन और अध्ययन को सार्थक और आनंदप्रद बनाने के लिए परीक्षा के कुप्रभाव से बचाने के लिए इन कक्षाओं को लिखित परीक्षा से मुक्त किया गया है। दिन-प्रतिदिन के कार्यों से पहली और दूसरी कक्षाओं का आकलन किया जाता है।

कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक शिक्षण की समस्त क्षमताएँ, व्यवहार और कौशलों की समझ को हम स्कूली पाठ्यचर्या के माध्यम से विकसित करना चाहते हैं। इसलिए इन कक्षाओं में मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं के आधार पर आकलन किया जाता है। बच्चों तथा अभिभावकों को भी इसकी जानकारी दी जाती है। ताकि उन्हें अपने अध्ययन क्षेत्र को समझने में मदद मिले। इसलिए कक्षा तीसरी से सतत् और समग्र-इन दोनों 'पक्षों' के माध्यम से विद्यार्थी का मूल्यांकन - फारमेटिव (रचनात्मक) तथा समेटिव (संकलित) मूल्यांकन के रूप में किया जाता है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं सुदृढ़ता लाने हेतु मूल्यांकन के लिए सी.सी.ई. पद्धति अक्तूबर 2009 से कक्षा नौ एवं दस में लागू की। इस पद्धति में कक्षा नौ एवं दस के विद्यार्थियों के अधिगम को सतत् एवं समग्र मूल्यांकन के माध्यम से विद्यालय में ही मूल्यांकन किया जाएगा न कि किसी अन्य बाहरी परीक्षा के द्वारा।

यह सर्वविदित है कि सी.सी.ई. पद्धति लागू होने से पूर्व विद्यार्थी का मूल्यांकन कक्षा दस में वर्ष के अंत में बोर्ड परीक्षा के द्वारा होता था किंतु अब सी.सी.ई. पद्धति के माध्यम से मूल्यांकन लगातार पूरे वर्ष शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों एवं गतिविधियों में विद्यार्थियों के निष्पादन के आधार पर होगा। यह मूल्यांकन तीन भागों में होगा-

(1) विद्यार्थी का मूल्यांकन कक्षा नौ एवं दस में शैक्षिक निष्पादन के आधार पर निम्न प्रक्रियानुसार होगा-

क. फारमेटिव (रचनात्मक) मूल्यांकन

- इसके अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थी के विकास का सकारात्मक वातावरण में मूल्यांकन करेंगे।
- इस मूल्यांकन में लिखित परीक्षा के स्थान पर विविध गतिविधियों से विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें प्रश्नोत्तरी, साक्षात्कार, दृश्य परीक्षण, मौखिक परीक्षण, परियोजना तथा प्रयोग शामिल हैं।

ख. समेटिव (संकलित) मूल्यांकन

यह मूल्यांकन लिखित परीक्षा के रूप में प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रत्येक सत्र के अंत में आयोजित किया जाएगा।

परीक्षा में स्तर एवं एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-प्रश्न बैंक, समाधान और अंक योजना विद्यालयों को उपलब्ध कराएगा। इस मूल्यांकन प्रक्रिया का समय-समय पर बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा।

(1) इस प्रकार एक वर्ष में दो सत्र होंगे। प्रत्येक सत्र में दो रचनात्मक(फारमेटिव)

कक्षा	सत्र	मूल्यांकन का प्रकार	शैक्षिक सत्र में प्रतिशत संभार	सत्रानुसार संविभाजन	कुल वार्षिक प्रतिशत
नौ	**प्रथम सत्र** (अप्रैल से सितंबर)	एफ.ए -1 एफ.ए -2 एस.ए -1	10% 10% 20%	एफ.ए -1+2=20% एस.ए -1=10%	फारमेटिव-40% समेटिव-60% कुल-100%
	द्वितीय (अक्तूबर से मार्च)	एफ.ए -3 एफ.ए -4 एस.ए -2	10% 10% 40%	एफ.ए -3+4=20% एस.ए -2=40%	
दस	प्रथम (अप्रैल से सितंबर)	एफ.ए -5 एफ.ए -6 एस.ए -3	10% 10% 20%	एफ.ए -5+6=20% एस.ए -3=20%	फारमेटिव-40% समेटिव-60% कुल-100%
	द्वितीय (अक्तूबर से मार्च)	एफ.ए -3 एफ.ए -4 एस.ए -2	10% 10% 40%	एफ.ए -7+8=20% एस.ए -4=40%	

और एक संकलित (समेटिव) मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के निष्पादन को जाँचा जाएगा। मूल्यांकन का आधार अंक न होकर श्रेणी (ग्रेड) होंगी।

(2) सह-शैक्षिक क्षेत्रों जिनमें जीवन कौशल, दृष्टिकोण एवं मूल्य - बोध का मूल्यांकन किया जाएगा। पाँच-बिंदुओं के आधार पर जीवन-कौशलों और तीन बिंदुओं के आधार पर दृष्टिकोण एवं मूल्य बोध आंका जाएगा।

(3) सह- शैक्षिक क्रियाकलापों में भाग लेने के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अंतर्गत पुस्तकालय, वैज्ञानिक, सौंदर्यपरक गतिविधियों, गोष्ठियों में भागीदारी तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा को आधार बनाया गया है। तीन-बिंदुओं के आधार पर इन सभी क्षेत्रों को श्रेणीकृत किया जाएगा।

सतत् एवं समग्र मूल्यांकन के लाभ

(i) संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया को एक ही परीक्षा के स्थान पर अब 12 मूल्यांकनों के माध्यम से आंका जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थी का वास्तविक मूल्यांकन संभव हो पाएगा। किसी एक मूल्यांकन का प्रभाव संपूर्ण मूल्यांकन पर नहीं पड़ेगा।

(ii) इस पद्धति में न केवल शैक्षिक अपितु सह-शैक्षिक क्षेत्रों एवं गतिविधियों को भी जाँचा जाएगा।

(iii) इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति लगाव बढ़ेगा।

(iv) इसके द्वारा विद्यार्थियों में उन जीवन-कौशलों को विकसित करना संभव होगा जो सृजनात्मक और संतोषप्रद जीवन के लिए आवश्यक हैं।

(v) यह पद्धति विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रखने में सहायक होगी क्योंकि-

- विषयवस्तु को छोटे अंशों में विभक्त करके नियमित अधिगम प्रक्रिया की जाँच की जा सकेगी।
- विभिन्न विद्यार्थियों की विविध अधिगम आवश्यकता और क्षमता के अनुसार विविध उपायों पर आधारित होने के कारण शिक्षा पद्धति अधिक प्रभावशाली होगी।
- विद्यार्थी के प्रदर्शन पर नकारात्मक टिप्पणियों पर रोक लगेगी।
- अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

(vi) जो विद्यार्थी शैक्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाते किंतु सह-शैक्षिक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी क्षमताओं को पहचाना जाएगा।

(vii) विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नियमित रूप से सत्र के आरंभ से ही विभिन्न प्रकार के सुधार-उपायों द्वारा किया जा सकेगा। किंतु इस पद्धति का यह आशय नहीं निकाला जाना चाहिए कि इसमें विद्यार्थी की शैक्षिक उपलिब्धयों को कम किया जाएगा। अब विद्यार्थियों को शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन तो करना ही होगा साथ ही साथ वे जीवन-कौशल, विचार-कौशल एवं भाव-कौशल के माध्यम से अतिरिक्त कौशलों का विकास करके जीवन की परिस्थितियों का अधिक परिपक्वता से सामना कर सकेंगे।

आज शिक्षकों की भूमिका में हमारे लिए यह अत्यावश्यक है कि हम विद्यार्थियों में उच्च नैतिक मूल्यों का विकास करें और उनमें वह सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करें जो उन्हें न केवल अपने देश का ही अपितु समूचे विश्व का एक सुयोग्य और ज़िम्मेदार नागरिक बनने का आधार प्रदान करे।

❑❑❑

15

fnokLolu*

गुजरात के महान शिक्षाविद् और बाल शिक्षक गिजुभाई बधेका ने शिक्षा संबंधी अनेक प्रयोग किए। बच्चे की स्वतंत्रता और स्वालंबन में अटूट निष्ठा रखने वाले गिजुभाई बधेका ने 1920 में बालमंदिर की स्थापना कर अपनी निष्ठा को संस्थायी आधार दिया और अपने दैनिक व्यवहार और लेखन में इसकी सार्थक अभिव्यक्ति की। ऐसी ही एक अभिव्यक्ति उभरी कथा शैली में लिखी गई पुस्तक 'दिवास्वप्न' के रूप में। इस पुस्तक में पिटाई को लेकर कक्षा में बच्चों की बातचीत का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है। अनुशासन के नाम पर बच्चे को दंडित करना बच्चे के तन और मन दोनों को ही आहत करता है। पिटाई बच्चे के मन में नकारात्मक भावनाएँ ही उत्पé करती है।

एक दिन पास के एक कमरे से एकाएक 'अरे बाप रे! मरा रे! मार डाला रे!' की आवाज़ आई। हमारे कान खड़े हो गए। मैं कहानी सुना रहा था। लड़कों का ध्यान बरबस उधर चला गया। मैंने कहानी बंद की और कहा,'' एक विद्यार्थी जाकर देख आए कि बात क्या है? कौन रो रहा है, किसलिए रो रहा है?'' एक लड़का देखकर आया और कहने लगा, ''उस कक्षा के जीवनलाल को मास्टर ने पीटा है।'' मैंने पूछा, ''क्यों?'' वह बोला, ''जीवन को भूगोल याद नहीं था।'' मैंने फिर पूछा, ''तो इसमें पीटने की क्या बात थी?'' मेरा एक छात्र बोला, ''जब कोई अपना सबक याद करके नहीं लाएगा तो और क्या होगा?''

मैंने कहा, ''लेकिन किसी को याद ही न रहा हो तो?'' दूसरा बोला, ''सबक तो याद होना ही चाहिए। न होगा तो मास्टर और क्या करेंगे? सज़ा तो देंगे ही।'' मैंने पूछा, ''लेकिन किसी को बार-बार रटने पर भी याद न हो तो?'' तीसरा बोला, ''तो भी मास्टर जी तो ज़रूर मारेंगे। वे और कर ही क्या सकते हैं? न याद होगा, तो मारेंगे, पीटेंगे, सज़ा देंगे।'' मैंने कहा, ''अच्छी बात है। बोलो, कौन-कौन मार खाने को तैयार है?'' सब बोले, ''जी नहीं तैयार कौन होगा?'' मैं बोला ''मैं तुम्हें सबक दूं और तुम याद करके न आए तो मुझे भी तुम्हें मारना चाहिए या नहीं?'' सब बोले ''लेकिन हम सबक याद करके ही आएगें।'' मैंने पूछा, ''तुम उसको रटो और फिर भी वह तुम्हें याद न रहे तो?'' ''तो क्या.... तो भी सज़ा मत दीजिएगा। मारेंगे तो लगेगी। हाँ, हमें याद न रहे तो आप फिर पढ़ाइएगा। हम फिर घोटा लगाएँगें'' लड़के बोले। मैंने कहा, ''खैर! अब हम कहानी शुरू करें?''

*गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक *दिवास्वप्न* मूलत: गुजराती में सन् 1932 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद श्री काशीनाथ त्रिवेदी ने किया है। यह पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया दिल्ली से प्रकाशित है।

लेकिन लड़कों का मन तो आज उस जीवन लाल में लगा था। वे कहने लगे, ''देख लेना, जीवन तो ऐसा उस्ताद है कि बाद में शिक्षक को गाली देगा। दीवार पर उनकी तस्वीर लगाएगा और उनके नाम गालियाँ लिखेगा।'' मैंने कहा, ''जीवन को ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं।'' सब कहने लगे, ''लेकिन शिक्षक भी तो उसे बहुत ही पीटते हैं।'' मैंने कहा, ''तो इसका कोई उपाय है?'' लड़के बोले, ''हाँ, उसको पीटना नहीं चाहिए।'' मैंने कहा, ''फिर सबक का क्या होगा?'' लड़कों ने जवाब दिया, ''जो सबक याद करके न आए, उसको पाठशाला में से निकाल दिया जाए। नाहक मारने से क्या फ़ायदा? यदि पीटने से विद्या आती हो तो लड़के पिटते तो रोज़ ही हैं न?'' एक ने कहा, ''अजी, जीवन का तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। उसे तो खरगोश पकड़ने का शौक है और ढोर (मवेशी) चराने का वह रसिया है।'' दूसरा बोला, ''भैया, जीवन तो मदरसे में भी पिटता है। बाकी बाहर तो वही सब लड़कों को पीटता है। हम सब उससे डरते हैं।''

मैंने पूछा, ''वह किस जाति का है?'' लड़कों ने कहा, ''जी, वह कोली जाति का है। उसके पिता जी सरकारी नौकर हैं और वे उसे जबरदस्ती पढ़ाते हैं। पढ़ाने के लिए उन्होंने एक शिक्षक भी रखा है।'' मैंने कहा, ''खैर, गोली मारो इसे। चलो, हम तो अपनी कहानी पूरी करें।'' कहानी खत्म करके हम उठे और इतने में घंटी लगी। मैं सज़ा और उसके परिणामों पर विचार करता-करता घर पहूँचा। मुझे तो किसी को सज़ा देना ही नहीं थी, इसलिए मैं अपने मन में निश्चिंत था।

❑❑❑

कहानी

16

rk e Hkh i<xk

erh'k >k*

माता-पिता और शिक्षकों द्वारा बच्चों को मार-पिटाई और ज़ोर-ज़बरदस्ती के साथ पढ़ाना, उनके मन में पढ़ाई के प्रति खौफ़ पैदा कर उनके आत्मविश्वास को भी कम कर देता है। ऐसे में बच्चा डर के कारण माता-पिता और शिक्षक के सामने किताब खोलकर तो बैठ जाता है लेकिन पढ़ाई से दूर ही रहता है। इसलिए ज़रूरी है की बच्चों कि मानसिक स्थिति को समझकर बच्चे की पढ़ाई और खेल के बीच तालमेल बैठाना। बच्चों को दंड देने की अपेक्षा उन्हें प्यार और प्रोत्साहन देकर उनके मन में पढ़ाई के प्रति रुचि जाग्रत की जा सकती है। अभिभावक की सूझबूझ किस प्रकार एक बच्चे में पढ़ने के प्रति ललक जगा सकती है जानने के लिए पढ़िए कहानी - तो मैं भी पढ़ूँगा।

कहाँ से शुरू करूँ इस छोटी-सी जिंदगी की कहानी को शब्दों में समेटने की। उस ज़िद्दी, अक्खड़, शरारत-शैतानियों से भरे बचपन से, जहाँ सात-आठ साल का बच्चा मतीश जो बड़ा ही ढीठ और निडर होकर अपने माँ-बाबूजी द्वारा पढ़ने के लिए कहने पर कहता है कि मैं यदि पढ़ूँगा तो खेलूँगा कब? इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगा। खेलना उसकी नियति है, वह खेलने में खाना-नहाना सब कुछ भूल जाता है। उसे भला खेलने से कौन रोक सकता है? उस वक्त पढ़ाई न करने के पीछे दो कारण प्रमुख रूप से सक्रिय रहे। एक तो खेल के प्रति अत्यधिक झुकाव और दूसरा पढ़ाई के दौरान पिटाई का खौफ़। इस पिटाई के खौफ़ ने अनगिनत बच्चों को निरक्षरता के अंधकार में भटकने के लिए मज़बूर किया और कमोबेश आज भी बच्चे इस दंड संहिता के चपेट में आकर पढ़ाई ही नहीं अपनी जान तक गँवा देते हैं।

इसलिए मैंने अपने अंतरंग मित्रों - बिमल और संतोष के साथ मिलकर अपने में एक अहम् और उसी अंधकार में ले जाने वाले फैसले को हरी झंडी दिखाते हुए कसमें खाईं कि घरवाले चाहे मारें..काटें..कुछ भी करें....पर हमें एक ही जवाब देना है कि मैं नहीं पढ़ूँगा। यदि पढ़ूँगा तो खेलूँगा कब? चाहे मारो.....काटो....मैं नहीं पढ़ूँगा। और यही वाक्य हम तीनों अपने-अपने घरों में बेखौफ़ एक लंबे समय तक दोहराते रहे और पढ़ाई करने से बचते रहे। इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ने के लिए दबाव नहीं डाला गया बल्कि बहुत बार अच्छी-खासी धुनाई भी हुई, परंतु हम पढ़ते कैसे? हमने तो न पढ़ने की कसमें जो खाईं थीं।

* *कनिष्ठप्रोजक्टफ़ेलो*, सी.आई.ई.टी., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली-110016

कंचा खेलना, गिल्ली-डंडा खेलना, पतंगें उड़ाना, छुपम-छुपाई खेलना और यार-दोस्तों के साथ उनकी गायें चराना तथा कुत्ते लड़ाना (अपने कुत्तों को दूसरों के कुत्तों से) हमारी दिनचर्या का अभिन्न और दिलचस्प हिस्सा, या यूँ कहें कि आदत-सी बन गई थी। इस खेल में तीन और महानुभाव थे- बिजली, कालू और बसंती। यों तो ये तीनों कुत्ते-कुतिया थे, परंतु समझदारी और वफ़ादारी किसी इंसान से कम नहीं। जब जिसे जो आदेश किया जाता वे तीनों उसका पालन करते। हमारे गिल्ली-डंडा मैच के दर्शक-समर्थक ये तीनों धुरंधर गिलहरी, साँप, नेवला, सियार आदि के शिकार में सिद्धहस्त थे। एक बार तो कालू ने आम के बगीचे में एक बंदर को ही दबोचकर मार डाला।

एक बार की बात है, मेरे मामाजी मेरे घर आए। उनके कोट की जेब में एक बहुत ही कीमती और सुंदर कलम टँगी हुई थी। मैं अचानक घर में आया तो माँ ने कहा बेटे मामाजी को प्रणाम करो। मैंने प्रणाम किया और कुछ देर तक उनकी वेश-भूषा को निहारता रहा। एक जगह आकर मेरी आँखें अटक गई। उनकी चमकती सुनहरे रंग की कलम ने मुझे बाँध-सा दिया और मैं वहाँ से तब हटा जब माँ ने मुझे पुकारा-मंटू! इधर आ, मामाजी के लिए चाय ले जा। और मैंने माँ के पास आकर पूछा- माँ मामाजी की जेब में रखा वो क्या है? माँ ने कहा- मैंने ध्यान नहीं दिया, तू खुद चाय लेकर जा और देखकर मुझे बताना कि वो क्या है। माँ लौटकर आई और बोली- इसलिए कहती हूँ कि पढ़ो, तुम कलम तक को नहीं पहचानते.. तुम्हारा क्या होगा? और माँ उदास हो गई... आँखों में आँसू छलक आए। मुझे माँ का यह रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पढ़ने के लिए कहा इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं पढ़ता क्यों नहीं हूँ? और मैंने माँ से पूछा कि इस कलम से क्या करते हैं? माँ बोली इससे भी लिखते हैं। मैंने कहा - दीदी, भाईजी सब तो पेंसिल और चॉक से लिखते हैं? माँ बोली जब पढ़-लिखकर बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं तो ऐसी कलम से लिखते हैं। तुम्हारे मामाजी प्रवक्ता हैं। जो कॉलेज में, बड़े-बड़े लड़के-लड़कियों को पढ़ाते हैं। मैंने फिर सवाल किया कि यदि मैं भी पढ़ूँगा तो मुझे भी ऐसी कलम दोगी? माँ ने कहा कि तू पढ़ेगा तो इससे भी अच्छी कलम खरीद दूँगी। तो मैंने कहा- ठीक है...मैं भी पढ़ूँगा। एक क्षण के लिए मैं कलम के लालच में भूल ही गया कि मैंने न पढ़ने की कसमें खाई हैं। इतने में दोस्तों के सीटी बजाने की आवाज़ आई और मैं नौ-दो ग्यारह। शाम को मैं लौटा तो मामाजी जा चुके थे और मैं भी कलम को भूल चुका था। लेकिन माँ को शायद मेरी वो बातें याद थी कि मैं भी पढ़ूँगा। और पिताजी ने अगली रात दुकान पर से आने के बाद मुझे बुलाकर अकेले में कहा - मंटू एक बात कहूँ? और मैंने मन-ही-मन सोचा - कि पढ़ने के लिए कहेंगे और क्या? लेकिन मैंने कहा - कहिए। पिताजी बोले कि आपको तो पढ़ना है नहीं। आप पूरे दिन खेलते हैं? मैंने कहा - हाँ। उन्होंने कहा - खेलो पूरे दिन खेलो....अच्छी बात है, बस सिर्फ़ रात में मेरे साथ थोड़ी देर पढ़ना है और सो जाना है और फिर पूरे दिन

खेलते रहना। पढ़ाई के लिए आग्रह था और ज़ोर "पूरे दिन खेलते रहना" पर दिया ताकि मैं ना न कह सकूँ। और उनको अपनी इस योजना में सफलता मिली। मैंने सोचा कि खेलने के लिए तो मना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ रात में तो थोड़ी देर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेंगे और मैंने हाँ कर दी। अब मैं रोज़ रात को पढ़ने लगा और पढ़ना मुझे अच्छा भी लगने लगा क्योंकि यहाँ डाँट-डपट और पिटाई जैसी दंड-संहिता नहीं थी। अगर बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जाए तो पढ़ाई बोझ क्यों लगेगी? दरअसल खोट हमारी शिक्षण पद्धति में है जिसको दूर करना अत्यावश्यक है। कुछ दिनों बाद पिताजी ने फिर कहा- मंटू, पूरे दिन तो आप खेलते हैं? मैंने कहा - हाँ। उन्होंने कहा खेलो.....खूब खेलो, बस अब थोड़ी देर सुबह के समय भी मेरे साथ पढ़ लो और "पूरे दिन खेलते रहो" पर। और मैंने फिर हाँ कर दी, यह सोचते हुए कि खेलने को तो पूरा दिन मिल ही रहा है। अब सुबह-शाम पढ़ने का रूटीन बन गया। कोई दो महिने बाद उन्होंने फिर पूछा कि आप पूरे दिन खेलते हैं? मैंने कहा- हाँ खेलता हूँ। वे बोले - थोड़ी देर के लिए स्कूल चले जाओगे? वहाँ भी बहुत से बच्चे आते हैं, सब के साथ खेलना। और मेरी आँखों में स्कूल....बच्चे और तरह-तरह के खेल घूमने लगे और न जाने कब मैंने हामी भर दी।

अब मैं रोज़ स्कूल जाने के लिए समय से पूर्व ही तैयार हो जाता था, क्योंकि मस्ती करने की...खेलने की..शरारत करने की एक बेहतरीन जगह और ज़रिया जो मिल गया था। लड़ना-झगड़ना, स्कूल के पिछवाड़े बहने वाली रातो नदी में नंगे बदन नहाना अब आम हो गया था। शरारत अपने चरम पर तब पहुँची जब मैं टॉयलेट करने का बहाना लेकर कक्षा से बाहर निकला और चुपके से बड़ी ही सावधानी के साथ अध्यापिका के लंबे, घने और खुले बालों को पीछे खिड़की के डंडे से बाँधकर आ गया और कक्षा में सबसे पीछे जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद जैसे ही अध्यापिका जाने के लिए उठीं तो सभी बच्चों ने ज़ोर से ठहाका लगाया। तब एक लड़की ने पीछे जाकर अध्यापिका के बाल खोले। अध्यापिका का गुस्सा सातवें आसमान पर था अध्यापिका ने पूछा - ये किसकी शरारत थी? सभी चुप। अध्यापिका ने डंडा घुमाते हुए पूछा कि- ये किसकी शरारत थी वर्ना पूरी कक्षा की पिटाई कर दूँगी। सभी बच्चों की हँसी गायब। पर यह किसकी शरारत है, किसी को क्या पता? अध्यापिका बोली - सभी खड़े हो जाओ और अपने-अपने हाथ सामने निकाल लो। मैं अब भी चुप था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अध्यापिका सिर्फ़ डरा रही हैं ताकि कोई अपना जुर्म कबूल कर ले। पर मैं इस झांसे में कहाँ आने वाला था। लेकिन जब अध्यापिका ने पीटना शुरू कर दिया और दो-तीन छात्रों पर तड़ातड़ डंडे बरसाने लगीं तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं अध्यापिका के सामने खड़ा हो गया। अध्यापिका ने गुस्से में कहा कि डाँट-पिटाई खाने की इतनी जल्दी हो रही है? जाओ अपनी सीट पर खड़े रहो। मैंने कहा - दीदीजी! अध्यापिका गुस्से में बोली- क्या है? मैंने डरते-डरते कहा-दीदीजी....दीदीजी... आपके बाल मैंने बाँधे....अध्यापिका ने हैरानी

से मुझे घूरते हुए पूछा- तुमने! मैंने हाँ में सिर हिलाया। अध्यापिका की निगाह में मैं शरीफ़ बच्चा था, यह छवि कब और कैसे बनी मुझे नहीं मालूम, पर बन गई थी। सो अध्यापिका को लगा कि मैं पूरी कक्षा को पिटने से बचाने के लिए कबूल कर रहा हूँ और उनका गुस्सा शांत होकर स्नेह में बदल गया। पिटाई से बच गया था, इसकी खुशी थी। पर जब पिताजी को ये बात बताई तो उन्होंने समझाया कि आप बेशक सच बता रहे थे, किंतु दीदीजी ने उसका अर्थ आपके अच्छे व्यवहार को देखकर अपने हिसाब से निकाला। इसलिए आप दीदी से दुबारा माफ़ी माँगेंगे और बताएँगे कि सचमुच आपने ही उनके बाल बाँधे थे।

इस तरह पिताजी के प्यार, आग्रह और समझदारी तथा कलम के प्रति आकर्षण की वजह से मैंने सुबह-शाम पढ़ना और फिर स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया और "हमें तो पढ़ना नहीं है" की कसम कब कैसे तोड़ दी पता ही नहीं चला। और कसमें तोड़ने का यह सिलसिला एम.ए., बी.एड. मीडिया कोर्स आदि कर लेने के बाद भी बदस्तूर जारी है। आज दोनों दोस्तों के बारे में सोचता हूँ जिन्होंने उस कसम को बड़ी निष्ठा से निभाया है और अँगूठा टेक हैं तो अपने आप को दोषी पाता हूँ,. ....काश हमने वो कसमें न खाई होतीं। अब कुछ करने के नाम पर मैं अपने दोनों दोस्तों को केवल हस्ताक्षर करना ही सिखा पाया, जब मैं छुट्टियों में गाँव गया तो संयोग से वो दोनों भी गाँव आए थे।

पढ़ाई में पिटाई का खौफ़, नीरस, और बोझिल पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों, गरीबी, अशिक्षा आदि ऐसे कारक हैं जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में बाधक हैं। शिक्षा-संस्थानों, शिक्षा-शास्त्रियों और सरकार को इन कारकों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। तभी सर्व शिक्षा यानी सभी के लिए शिक्षा का नारा बुलंद एवं प्रभावी हो सकेगा।

❑❑❑

अनुभव

eY;kdu l tM fpjLej.kh; vuHko

fdju non*

शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की उपयोगिता केवल विद्यार्थियों ही नहीं बल्कि शिक्षक, शिक्षाविद् और शैक्षिक प्रशासकों के लिए भी है। ऐसी चर्चाओं के दौरान सभी को कुछ-न-कुछ सीखने का अवसर ज़रूर मिलता है। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के साथ अपने अनुभव बाँटना और उनके अनुभवों से बहुत कुछ नया सीखना किस प्रकार एक चिरस्मरणीय अनुभव बन जाता है, जानने के लिए पढ़िए यह लेख- मूल्यांकन से जुड़े चिरस्मरणीय अनुभव।

मई 2010 में 14 व्यक्तियों का एक समूह (जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा सर्वशिक्षा अभियान के अधिकारी सम्मिलित थे) उत्तरी अमेरिका के शैक्षिक दौरे पर गया।

विक्टोरिया (कैनेडा) में हमने एक बड़े अंर्तराष्ट्रीय मूल्यांकन सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में चार दिनों तक अकादमिक के साथ-साथ अन्य मानवीय गुणों को देखकर एक सुखद अनुभव हुआ। यहाँ छोटी उम्र के व्यक्तियों का सम्मान किया जाता देख हमें अचंभा हुआ।

27 वर्षीय साइमन जैकसन द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 7 वर्ष की आयु से 'स्पिरिट बीयर' को बचाने का अपना सपना साकार किया। तीसरे दिन मूल्यांकन पर शोधकार्य करने वाले युवाओं के लिए 'ऑन द स्पॉट प्रतियोगिता' रखी गई। इसमें जीतने वाले तो प्रोत्साहित हुए परंतु जो भाग नहीं ले पाए या जीत नहीं पाए, उनकी आशा आने वाले सम्मेलनों में भाग लेने की बनी रही। मूल्यांकन सम्मेलन में भाग ले रहे हर प्रतिभागी को सम्मान तथा उनकी बात पर ध्यान दिया जाता था। एक-दूसरे के साथ वैयक्तिक तौर पर चर्चा कर पाना हमेशा संभव था।

सभी प्रतिभागियों के साथ 'ओशन क्रूज़' में जाना एक बहुत सुंदर अनुभव था। समुद्र की असीमित गहराई और सीमा में मन और मस्तिष्क खो-सा गया। सभी प्रतिभागी एक-दूसरे से अच्छी चर्चा कर पाए। वापसी में रोशनी से सजे

* *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-110016

(*प्रोफ़ेसर*, देवेंद्र चौधरी, *सम-कुलपति*, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय तथा डॉ. जयश्री ओझा, टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के प्रति चर्चाओं के लिए आभार)

भवनों, होटलों, विक्टोरिया की संसद तथा वैनकूवर के समुद्री तट को देखकर भरपूर खुशी मिली।

सम्मेलन का समापन समारोह बहुत सारे मूल्यों को स्वयं में समेटे अनेक संदेश बहुत खूबसूरती से दे गया। कोई भी सम्मेलन सभी के मिलेजुले परिश्रम की वजह से कामयाब हो पाता है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। हर व्यक्ति का प्रयत्न कामयाबी की ओर कदम बढ़ाता है। हर व्यक्ति जो भी सम्मेलन से जुड़ा था, वह अपने बारे में नहीं, सम्मेलन की सफलता के बारे में सोच रहा था। समापन समारोह में भी कुछ ऐसा ही नज़र आया। समापन समारोह में ही घोषणा की गई कि अगला मूल्यांकन सम्मेलन एडमिंटन में आयोजित किया जाएगा। जब सम्मेलन का झंडा एडमिंटन में सम्मेलन आयोजन करने वाले समूह को दिया गया तो झंडा देने वाली तथा उसे लेने वाली दोनों ही टीमों में शत-प्रतिशत मानसिक, शारीरिक व रूहानी का तालमेल दिखा। विक्टोरिया सम्मेलन टीम खुश थी कि सम्मेलन हर प्रकार से सफल रहा तथा एडमिंटन वाली टीम खुश थी कि उसे सम्मेलन आयोजन करने के काबिल समझा गया। दोनों टीमें एक-दूसरे के लिए भी खुश थीं।

विक्टोरिया से हम ओटावा विश्वविद्यालय पहुँचे। यहाँ हम प्रो. ब्रैड कज़िंस से उनके मूल्यांकन की सोच तथा शोध के बारे में परिचित थे। उनका विश्वास भागीदारी से जुड़े मूल्यांकन में हैं। उनके सभी सत्रों में हम सभी ने भाग लिया और चर्चा भी अच्छी रही। अन्य सत्र ठीक थे। जिन पर हम सभी कुछ-न-कुछ टिप्पणी करते रहे। एक सत्र 'भावुकता से जुड़ी समझ' में हमें यह लगा कि कभी भी नकारात्मक उदाहरणों से शुरू कर उन पर बहुत अधिक समय देना उचित नहीं है। सत्र की शुरुआत सकारात्मक होकर एक-दो नकारात्मक उदाहरण देने के बाद वापिस सकारात्मक उदाहरणों और सोच पर आना बेहतर होता है, अन्यथा शुरू से लगातार नकारात्मक उदाहरण सुनते-सुनते सुनने वालों के मन और मस्तिष्क पर बोझ बन जाता है।

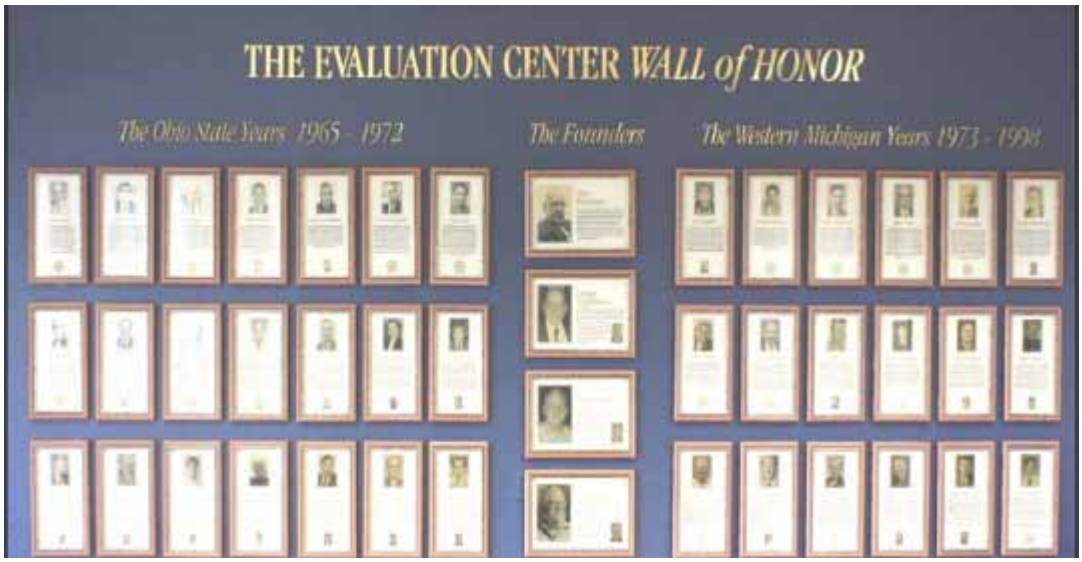

वेस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय पहुँच कर सभी बहुत उत्साहित थे क्योंकि यहाँ के मूल्यांकन केंद्र को विश्व में सबसे पहला केंद्र होने के इतिहास रचने का गौरव प्राप्त है। यहाँ प्रो. क्रिस कोरिन के सारे सत्र रोचक तथा प्रभावी रहे। जहाँ हमें किसी विषय को समझने में कठिनाई प्रतीत होती, उसे भाँपते ही वे अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते। जब लगातार काफ़ी देर तक चर्चा करने पर प्रो. कोरिन थकते तो समूह के लीडर प्रो. वशिष्ठ अपना योगदान देते। इससे प्रो. कोरिन खुश होते और बार-बार प्रो. वशिष्ठ के मूल्यांकन संबंधी ज्ञान तथा समझ से खुश और अचंभित होते। केंद्र में 'वॉल ऑफ ऑनर' पर उन सभी व्यक्तियों के चित्र और उनके बारे में छोटी टिप्पणी हैं, जिन्होंने आज के मूल्यांकन की सोच-समझ की नींव रखीं। इसे देखकर सभी मूल्यांकन से जुड़े युवाओं का सपना रहता होगा कि उनका नाम भी वहाँ हो। इसके साथ ही यह संदेश सबके लिए था कि हर व्यक्ति का किया योगदान याद रखना ज़रूरी है। हमें प्रो. डैनियहन स्टफलबीम से मिलने का अवसर मिला। यह 'वॉल ऑफ ऑनर' के तीन नींव रखने वालों में से एक हैं।

85 वर्ष की आयु में एक कटी हुई टाँग, एक हाथ में बँधी पट्टी के बावजूद अपनी व्हील चेयर पर मूल्यांकन केंद्र पहुँचे।

वे हम सब को बाँटने के लिए अपने शोध कार्य का बड़ा बस्ता भी लाए थे। बाद में हमें पता चला कि प्रो. स्टफलबीम अपने फार्म से अपनी बैटरी से चलने वाली कार स्वयं चला कर आए थे। प्रो. स्टफलबीम से मिलना एक न भूलने वाला अनुभव रहा जिसमें कई संदेश मिले, कष्ट की परवाह न कर अपने काम को समय पर करना, प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी अपने अकादमिक सहयोगियों के प्रति आदर रखना और हर किसी के अनुभव और योगदान की सराहना करना। इन्होंने समूह के लीडर तथा समूह के प्रत्येक सदस्य की हर बात को बहुत ध्यान से सुना और सराहा। समूह के लीडर को बहुत सुंदर ई-मेल भेज कर उनकी मूल्यांकन और स्पष्टता की तारीफ़ करते हुए यह विश्वास जताया कि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किए जा रहे चारों मूल्यांकन अध्ययन सही दिशा में चल रहे हैं। प्रो. स्टफलबीम इन चारों अध्ययनों के सलाहकार हैं।

हमारा आखिरी पड़ाव लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में था। वहाँ प्रो. क्रिस्टीना क्रिस्टी के व्याख्यान द्वारा नए तरीके के मूल्यांकन की जानकारी हुई। प्रो. क्रिस्टीना क्रिस्टी की मूल्यांकन के प्रति समझ में गहराई और अनोखापन था। उनकी प्रस्तुति के बाद हमें यह अच्छी तरह समझ में आया कि मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करना हो या कहीं उसकी चर्चा करनी हो तो फ्लोचार्ट, तालिका, सांख्यिकी को बहुत अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। इससे बोरियत के साथ मस्तिष्क तथा आँखों पर बहुत ज़ोर पड़ता है। प्रो. एलकिंस तथा किस्टीना के मूल्यांकन सिद्धांत से सभी प्रभावित थे। प्रो. क्रिस्टीना की सोच और समझ (तकरीबन हर उस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम इस वृक्ष की शाखाओं या तने पर था) ने हमें अचंभित किया। विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक परिसर, छः सबसे पहली बनी इमारतें तथा नई इमारतें देखने का अवसर मिला। पूरे परिसर में किस्म-किस्म के सैंकड़ों फूल, फव्वारे, छोटे-छोटे तालाब, पानी की धाराएँ आदि देखकर हमारी थकावट गायब हो गई। विक्टोरिया, ओटावा, कलामज़ू तथा लॉसऐंजलिस में अकादमिक के

साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता के अनुभवों से मन बहुत खुश रहा। आज भी हम प्राकृतिक सुंदरता के बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस दौरान तीन ऐसे अवसर आए जिसमें हमें मानवीयता के गुणों का सुंदर अनुभव हुआ। एयर कैनेडा और एयर अमेरिका की उड़ानों में किसी यात्री को कुछ खाने-पीने की सामग्री लेने पर क्रेडिट कार्ड से ही रकम देनी पड़ती है, डालर नहीं लेते। एक बार इनका कॉम्पलिमैंटरी ड्रिंक, चाय या सेब, टमाटर का जूस हज़म होने पर जब तेज़ भूख लगती तब कठिन समस्या हो जाती तीन बार फ्लाईट इनचार्जों ने हमारी मुश्किल समझ कर छोटे-छोटे प्रयास किए जिससे हमारी लंबी हवाई यात्राएँ (5-6 या 2½ घंटे की) चॉकलेट या काजू खाकर पूरी हो पाई और भूख की घबराहट कम हो गई। यह तभी संभव हो पाया जब इन तीनों ने अपनी नौकरी की परवाह कम करते हुए मूल्यों की ओर अधिक ध्यान दिया।

❑❑❑

शोध

18

ikFkfed fo|ky;k d l jdkjh rFkk xj & l jdkjh f'k{kdk dh dk; lrf"V dk vè; ;u

vkQrkc tkdjkfl íhdh*

किसी भी कार्य की गुणवत्तापूर्ण परिणति के लिए कार्यसंतुष्टि एक प्रेरणा का कार्य करती है जिसकी वजह से व्यक्ति अपना कार्य करने में आनंद की अनुभूति करता है। अध्यापन कार्य में कार्य संतुष्टि का होना ज़रूरी है क्योंकि इससे विद्यालयी वातावरण सीधे-सीधे प्रभावित होता है। प्रस्तुत अध्ययन उन तथ्यों का विश्लेषण करता है जिनकी वजह से अध्यापकों की कार्य करने की दृष्टि प्रभावित होती है।

भारतीय परंपरा में अध्यापकों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। वह सामाजिक शक्तियों परंपराओं और आदर्शों का मान रखता है क्योंकि वह समाज के अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र की शिक्षा पद्धति पाठ्यक्रम तथा विशेष रूप से शिक्षकों पर निर्भर करती है।

रवींद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में "एक अध्यापक तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि स्वयं वह सीख न रहा हो, ठीक उसी तरह जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्जवलित नहीं कर सकता जब तक उसकी स्वयं की ज्योति जलती न रहे।" 21वीं शताब्दी में भौतिकता के अत्यधिक विस्तार होने तथा ज्ञान के क्षेत्र की व्यापकता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य परिवर्तन दिन-प्रतिदिन तीव्र गति से हो रहे हैं। जिससे अध्यापकों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ, उनका स्वयं का व्यक्तित्व तथा अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि प्रभावित हो रही है। कार्यसंतुष्टि अध्यापकों के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है जिससे वह अपना कार्य संपादित करने में आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं।

समस्या का कथन- सरकारी एवं गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कार्य संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

उद्देश्य-

1. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि का अध्ययन करना।
2. गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि का अध्ययन करना।

* *प्रवक्ता*, बी.एड.विभाग, सीतापुर शिक्षा संस्थान, सीतापुर-261001

3. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों तथा गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. अध्यापकों की कार्य संतुष्टि में वृद्धि हेतु प्रभावी उपायों का सुझाव देना।

परिकल्पना-

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों तथा गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

जनसंख्या एवं प्रतिदर्श- सीतापुर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के सरकारी तथा गैर-सरकारी 100 अध्यापकों का चयन किया गया।

प्रदत्त संग्रह- प्रस्तुत अध्ययन में अध्यापकों की कार्य संतुष्टि से संबंधित प्रदत्त एकत्र करने के लिए डा. प्रमोद कुमार एवं डी.एन. मुथा द्वारा निर्मित कार्यसंतुष्टि मापक (टीचर-जॉब सैटिस्फैक्शन तथा अध्यापकों के सुझावों को एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित प्रपत्र का प्रयोग किया गया)।

सांख्यिकीय विधि- प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान, मानक विचलन, मात्रक त्रुटि आदि ज्ञात किया गया। तत्पश्चात् प्राप्त माध्यमानों में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु क्रांतिक अनुपात का प्रयोग किया।

तालिका संख्या-1
अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि का अध्ययन

क्र सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि
1.	सरकारी अध्यापक	50	17.3	6.105	992
2.	गैर-सरकारी अध्यापक	50	13.66	2.268	

तालिका संख्या-2
प्राथमिक विद्यालयों के सरकारी अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि का प्रतिशत

क्र.सं.	कार्यसंतुष्टि की श्रेणी	कार्यसंतुष्टि का प्रतिशत
1.	उच्च श्रेणी की संतुष्टि	26.78 प्रतिशत
2.	उत्तम श्रेणी की संतुष्टि	21.7 प्रतिशत
3.	औसत श्रेणी की संतुष्टि	17.82 प्रतिशत
4.	निम्न श्रेणी की संतुष्टि	13.5 प्रतिशत
5.	अति निम्न श्रेणी की संतुष्टि	12.02 प्रतिशत

तालिका (2) से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालय के सरकारी अध्यापकों की कार्य संतुष्टि उच्च स्तर की 26.78 प्रतिशत की है जबकि अति निम्न श्रेणी की संतुष्टि का स्तर 12.02 प्रतिशत है।

तालिका संख्या-3
प्राथमिक विद्यालयों के गैर-सरकारी अध्यापकों का प्रतिशत

क्र.सं.	कार्य-संतुष्टि की श्रेणी	कार्यसंतुष्टि का प्रतिशत
1.	उच्च श्रेणी की संतुष्टि	16.24 प्रतिशत
2.	उत्तम श्रेणी की संतुष्टि	15.26 प्रतिशत
3.	औसत श्रेणी की संतुष्टि	14.3 प्रतिशत
4.	निम्न श्रेणी की संतुष्टि	12.9 प्रतिशत
5.	अति निम्न श्रेणी की संतुष्टि	10.9 प्रतिशत

तालिका (3) से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों के गैर-सरकारी अध्यापकों की कार्य संतुष्टि उच्च स्तर की 16.24 प्रतिशत की है जबकि अति निम्न श्रेणी की संतुष्टि का स्तर 10.9. प्रतिशत है।

क्रांतिक अनुपात
तालिका संख्या-4

क्रम सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता का स्तर
1	सरकारी अध्यापक	50	17.3	6.105	4.26	.01
2	गैर-सरकारी अध्यापक	50	13.38	2.268		

उक्त तालिका में सरकारी अध्यापकों तथा गैर-सरकारी अध्यापकों के मध्यमान क्रमशः 17.3 और 13.38 है। मानक विचल 6.105 तथा 2.268 प्रदर्शित है। अंतर की सार्थकता की जाँच करने के लिए क्रांतिक अनुपात ज्ञात किया जो कि 4.26 आया मध्यमान की 01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से अधिक है। अतः सरकारी अध्यापकों और गैर-सरकारी अध्यापकों में सार्थक अंतर है अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत है।

अध्यापकों से प्राप्त सुझाव

1. अध्यापकों के वेतन में बढ़ोत्तरी की जाए।
2. शैक्षिक अनुभवों के अनुसार अध्यापकों की पदोन्नति के अवसर दिए जाँए।
3. शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों से परिचित कराने के लिए समय-समय पर पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
4 शिक्षकों को अध्यापन कार्य में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
5. विद्यालयों में हिंदी तथा अँग्रेज़ी शिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
6. शिक्षा में कंप्यूटर तथा आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग होना चाहिए।
7. पाठ्यक्रम में भी समयानुसार परिवर्तन की आवश्यकता है।

प्रस्तुत शोध में दिए गए सुझावों पर अमल किया जाए तो अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि और स्तर को अधिक उन्नत किया जा सकता है।

शोध कार्य का शैक्षिक महत्त्व

प्रस्तुत शोध सरकारी तथा गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि पर आधारित है। सरकारी विद्यालयों के आँकड़े इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि तुलनात्मक संतुष्टि गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा बेहतर है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का वेतनमान निजी प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में बेहतर है, साथ ही सेवाकाल की पूर्ण निश्चितता उनकी कार्यसंतुष्टि के स्तर को बेहतर बनाती है जबकि गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के वेतन में विसंगतियाँ तथा सेवाकाल की अनिश्चतता उनकी कार्य संतुष्टि को प्रभावित करती हैं। गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सभी प्रकार की सुविधाएँ दी जाएँ तो इनके भी कार्य संतुष्टि का स्तर बेहतर होगा। साथ ही वह लगन और निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य करेंगे।

❑❑❑